चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 29 मार्च–4 अप्रैल 2010

अंधे सिर्फ़ आलोचना करते हैं, समाधान नहीं देते

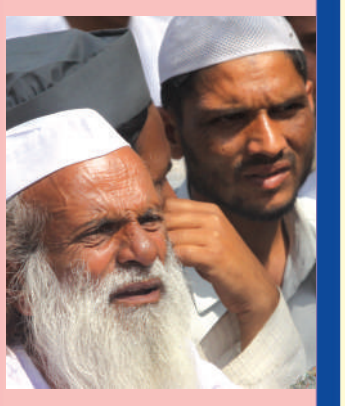

पेज 3

वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा

पेज 5

सभी से एक समान प्रेम करो

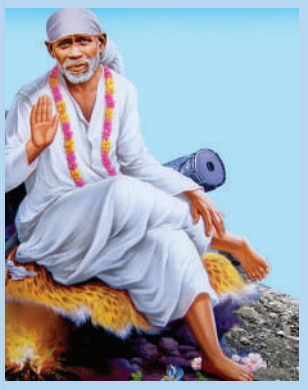

पेज 12

गंगापुत्र नहीं चाहते गंगा मंदिर सुंदर दिखे

पेज 13

लीडर भी बनेंगी लीडर पैदा भी करेंगी

इस्लाम धर्म का उदय बड़ा क्रांतिकारी रहा है. इसकी शिक्षाएं इसका प्रमाण हैं लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदारों ने महिलाओं को घर में ही सीमित रहने की जो राय ज़ाहिर की है, उसे मानने को नए मुस्लिम समाज की महिलाओं ने सिरे से ख़ारिज कर दिया है, इस बार हम यह मुद्दा उठा रहे हैं.

ज़माना बदल गया है

प्रोफेसर अज़रा आब्दी

भारतीय मुस्लिम महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी हो या नहीं, इस प्रश्न पर मौलाना हज़रात ने फिर राजनीति शुरू कर दी है. प्रश्न यह नहीं कि धर्मगुरुओं ने पहली बार महिलाओं के मौलिक अधिकारों एवं भारतीय संविधान के अधिकारों की अनदेखी की है, बल्कि शायद हमारे मौलाना हज़रात इसे अपना पहला कर्तव्य समझते हैं कि महिलाओं को मूल धारा से न जुड़ने दिया जाए, जैसा कि कुछ राजनीतिक दल इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं. यह पुरुष प्रधान समाज एक संकीर्ण मानसिकता को प्रस्तुत करता है, जहां धर्म एवं लिंग को आधार बनाया जाए, न कि व्यक्ति विशेष के गुणों को. यह बात कितनी हास्यास्पद प्रतीत होती है कि आज पुरुष स्वयं तय करने लगे हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है. हमसे भी पूछ लिया होता, फिर शायद हम जवाब देते कि हमारा काम लीडरी करना भी है और लीडर पैदा करना भी.

इस्लाम धर्म का उदय बड़ा क्रांतिकारी एवं परिवर्तन से भरा रहा है. इस्लाम धर्म की शिक्षाएं इसका प्रमाण हैं कि सृष्टि को बनाने वाला अल्लाह भी समानता एवं न्याय फैलाना चाहता है, न कि वह एक को सब कुछ दे और दूसरे को कुछ भी न दे. फिर उसका न्याय कैसे होगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मद ने भी हज़ारों ऐसे उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत किए, जिनसे यह मालूम पड़ता है कि महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार प्राप्त है. इस्लाम धर्म ने सदियों से दबी-कुचली परंपराओं एवं रीति-रिवाज़ों में जकड़ी नारी को मुक्ति और समानता का पैगाम दिया. कुरान जैसी पवित्र किताब में भी, हज़रत मुहम्मद से पहले जो नबी आए थे, उनकी मां, पत्नी एवं बहन की चर्चा मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्हें भी सशक्तिकरण का उदाहरण स्वीकार किया जाता है. परंतु दु:ख आज इस बात का है कि इस्लाम जिसकी शिक्षा एवं पैगाम इतना क्रांतिकारी रहा, उस धर्म की महिलाओं की दशा इतनी ख़राब क्यों है? उनका शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व सही ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सर्वप्रमुख कारण है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जहां बेटियों को अब रहमत नहीं, ज़हमत स्वीकार किया जाने लगा है.

यह वही औरत है, जिसके मां के रूप में उसके पैरों के नीचे स्वर्ग होने की बात अल्लाह के आख़िरी रसूल ने कही थी. आज हमारे समाज में उसे भी बच्चे एक बोझ समझने लगे हैं. आख़िरी नबी ने शिक्षा को अनिवार्य बताया. हर मुस्लिम पुरुष एवं महिला को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार मिला, परंतु मुस्लिम महिला शिक्षा से महरूम की जाने लगी. दहेज जैसी कुप्रथा इस्लाम में नहीं है, परंतु आज आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि मुस्लिम लड़कियां दहेज न लाने पर जलाई जा रही हैं. घरों में हिंसा का शिकार हो रही हैं और तीन बार तलाक कहकर अपने अधिकारों से वंचित की जा रही हैं. क्या यह इस्लाम की शिक्षा है? मेरा सवाल है कि आज हमारे धर्मगुरु इस ओर एकजुट होकर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या यह उनका कर्तव्य नहीं है कि वे एक देशव्यापी दहेज विरोधी आंदोलन छेड़ें और उसे समाप्त करें. तीन तलाक़ की कुप्रथा अधिकतर मुस्लिम देशों में समाप्त हो गई है. ऐसे में भारत और पड़ोसी देश के मौलाना हज़रात इस पर क्यों विचार नहीं करते कि जिस प्रकार कुछ मुस्लिम इस विषय पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, वे भी इसमें अपना योगदान दें.

परवीन अमानुल्ला

हाल में कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने बयान जारी किया है कि मुस्लिम महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए. आज के आधुनिक ज़माने में ऐसे विचार दु:खद और अव्यवहारिक हैं. पिछले 50 वर्षों के दौरान हज़ारों महिलाओं ने जीवन के हरेक क्षेत्र में सफलता हासिल की है. बात चाहे विज्ञान के क्षेत्र की हो या तकनीक की, यहां तक कि व्यापार और सियासी गलियारों में भी महिलाओं ने काफी तरक़्क़ी की है. इन सारे क्षेत्रों के अलावा उन्होंने अंतरिक्ष तक में पहुंच कर कीर्तिमान बनाया. पुरुषों को यह स्वीकार करना ही होगा कि महिलाएं उनकी बराबरी में आज खड़ी हैं. यही नहीं, कुछ क्षेत्रों में तो वे पुरुषों से बेहतर भी हो चुकी हैं. महिलाओं के प्रति इस सोच को सक्षम बनाने केलिए पुरुषों को, ख़ासकर मौलवियों एवं पंडितों को आगे आना होगा. महिलाओं की प्रगति से घबराने वाले लोग ही इस तरह के समाज विरोधी बयान जारी करते हैं. यह सच है कि सियासत का रास्ता व्यवसाय से अधिक कठिन है, लेकिन महिलाओं ने सियासत के कठिन रास्तों पर भी अनेक सफलताएं हासिल की हैं, इसलिए धार्मिक नेताओं को ख़ासतौर से कोई भी बयान जारी करते समय ज़्यादा गंभीरता का प्रदर्शन करना चाहिए.

लेखिका मशहूर समाज सेविका और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं

feedback@chauthiduniya.com

हमारे देश में धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है. हमारी राष्ट्रपति महोदया महिलाओं की शक्ति एवं गरिमा की प्रतीक हैं. उन्हें देखकर क्या यह बात समझ में नहीं आती कि महिलाएं भी अपनी गरिमा एवं छवि को प्रस्तुत करने में सक्षम हैं, भले ही वह राजनीति हो या जीवन से जुड़ा अन्य कोई क्षेत्र. महिला अपनी मर्यादा में रहकर उसे भलीभांति निभा सकती है. जब हमारे देश का संविधान धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेद नहीं करता, तो यह अधिकार फिर किसी को नहीं जाता. जहां तक इस्लामी शरीयत की बात है, मुझे यह बताया जाए कि क्या मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान एवं इराक़ जैसे मुस्लिम देशों ने शरीयत के दायरे में रहते हुए महिलाओं को सेना, राजनीति, टीवी, शिक्षा और खेलकूद यानी हर मैदान में बराबरी का अधिकार नहीं दिया? जब उन मुस्लिम देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? अब समय आ गया है कि हमारे मौलाना हज़रात संकीर्ण विचारधाराओं को छोड़ दें और खुले दिल से अपना योगदान प्रस्तुत करें. महिलाओं में भी एक कुशल राजनीतिज्ञ के गुण मौजूद हैं. वे अच्छी लीडर भी बन सकती हैं और अच्छी जननी भी.

हर मुस्लिम पुरुष एवं महिला को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार मिला, परंतु मुस्लिम महिला शिक्षा से महरूम की जाने लगी. दहेज़ जैसी कुप्रथा इस्लाम में नहीं है, परंतु आज आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि मुस्लिम लड़कियां दहेज़ न लाने पर जलाई जा रही हैं.

लेखिका जामिया मिलिया इस्लामिया में समाज शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं

feedback@chauthiduniya.com

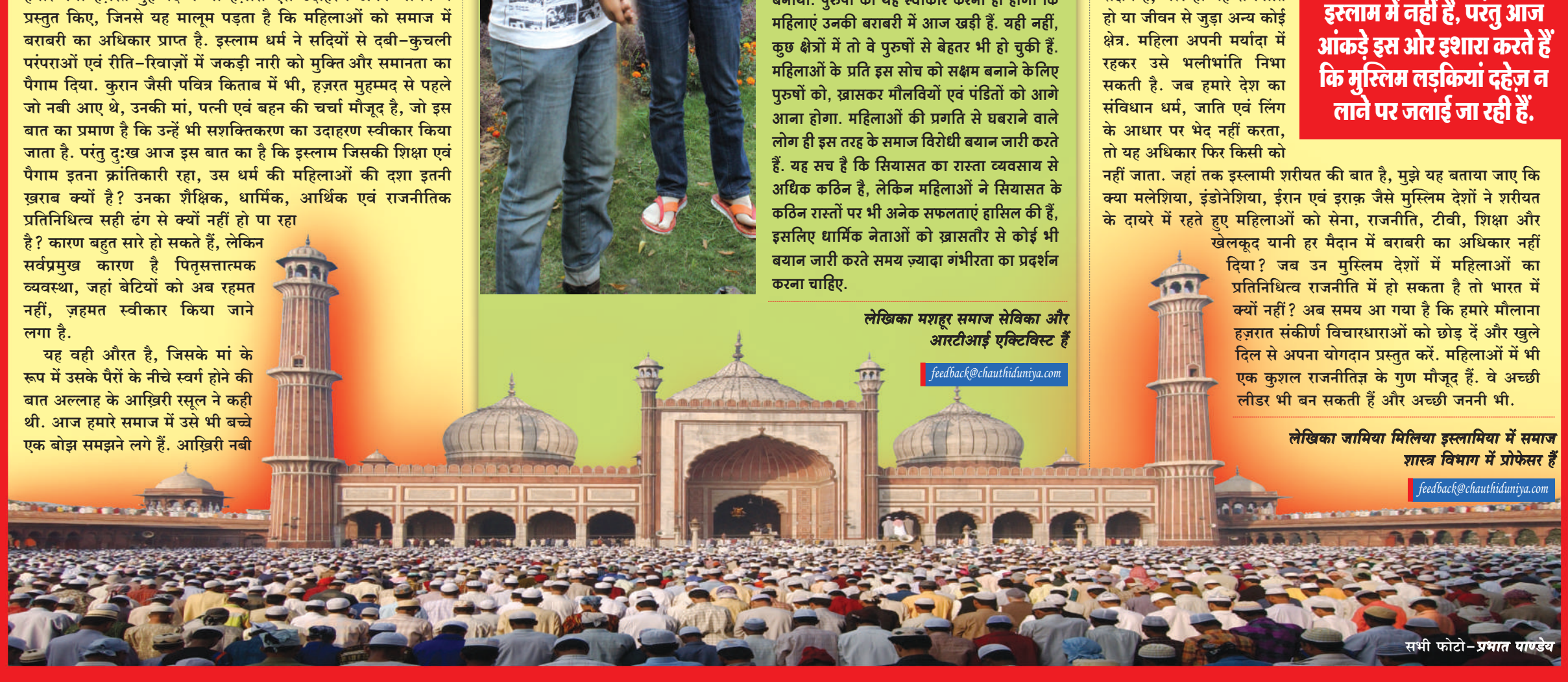

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

आयोग ने 2007 में ही उनके खिलाफ विभागीय जांच और जांच अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया था.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

नौकरशाहों का शोर-दिल्ली चलो

वामपंथी धड़े से जुड़े राजनीतिज्ञ यदि पूर्वाभासों में भरोसा रखते हैं, तो उन्हें पश्चिम बंगाल और केरल में नौकरशाही के बदले रुख पर गौर करना चाहिए. जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि पश्चिम बंगाल कैडर के कई वरिष्ठ अधिकारी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति के लिए हाथ–पैर मार रहे हैं. अब तो हालत यह है कि ऐसे नौकरशाहों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती ही जा रही है. उन्हें लगने लगा है कि राज्य में वामदलों की सरकार के दिन अब लदने ही वाले हैं. हालांकि वामपंथी नेता खुलकर ऐसा मानने से इंकार करते हैं. बदलाव की इस बयार में सत्ता की खुशबू ममता बनर्जी के इर्द–गिर्द ज्यादा महसूस की जा रही है.

सूत्रों पर भरोसा करें तो दीदी के कार्यालय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की गुहार लगाने वाले अधिकारियों की फाइलों का अंबार लग रहा है. वाममोर्चे की सरकार और भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के कोटे में कमी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा. कमोबेश यही हाल अब वामदलों द्वारा शासित एक और राज्य केरल में भी देखने को मिल रहा है. खबरों के मुताबिक, केवल पिछले तीन सालों में कम से कम 30 आईएएस अधिकारी राज्य से बाहर गए हैं और 40 वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. कई अन्य नौकरशाह जिनमें मुख्य सचिव नीला गंगाधरन भी शामिल हैं, राज्य से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं. राज्य के बाहर निकलने की इस जद्दोजहद की वजह तो उक्त अधिकारी खुल कर नहीं बताते, लेकिन लोगों का मानना है कि सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप और वामदलों के बीच आपसी खींचतान से इनका जीना दूभर हो गया है. फिर हालिया चुनावों में वामदलों के खराब प्रदर्शन से इनकी हालत और भी पतली हो गई है.

सतर्कता आयोग का नया नुस्खा

ऐसा लगता है कि नौकरशाही में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अधिकारियों के यहां आयकर विभाग के छापों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब आयोग के एक नए फैसले ने उनकी चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है. आयोग ने अब ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने का निर्णय किया है, जिनमें उसे लगता है कि आरोपित अधिकारी अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच प्रक्रिया को जानबूझ कर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है.

हाल के दिनों में आयोग की वेबसाइट पर करीब 30 ऐसे अधिकारियों के नाम देखने को मिले. उक्त सभी अधिकारी आईएएस और आईआरएस से संबद्ध हैं और कम से कम पिछले तीन सालों से आयोग की जांच के दायरे में हैं. इनमें से कई ऐसे हैं, जो फिलहाल वित्त, शहरी विकास जैसे मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं. इनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया आगे न बढ़ने की दो ही वजहें हैं, जांच अधिकारी की अनुपस्थिति या फिर मामले से संबंधित कागजातों को न सौंपना. कोई आश्चर्य नहीं, यदि आयोग के अधिकारियों को लगता है कि जांच प्रक्रिया को जानबूझ कर बाधित किया जा रहा है. आयोग की वेबसाइट पर ऐसे ही एक अधिकारी जी पी उपाध्याय का हवाला दिया गया है, जो फिलहाल फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में पदासीन हैं. आयोग ने 2007 में ही उनके खिलाफ विभागीय जांच और उसके लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया था. लेकिन, हैरत की बात यह है कि तीन साल बीत जाने के बाद भी निगम जांच अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर पाया है. कई और ऐसे मामले हैं, जिनमें मामले से जुड़े कागजातों की आयोग की मांग को अनसुना कर दिया गया. नौकरशाहों के इस अड़ियल रवैये से परेशान होकर सतर्कता आयोग ने उनके नामों को सार्वजनिक करने का यह नया नुस्खा अपनाया है. अब इसका कोई असर इन बाबुओं पर पड़ता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी.

औरत के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का मतलब है मुसीबत को हवा देना

फ़ारिया रहमान

औरतों के फ़र्ज़ की जब बात आती है तो सारा मंच एक तरफ़ दिखाई देता है, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर स्कॉलर हों या धर्मगुरु. लेकिन जब औरत के हक़ की बात आती है, चाहे उस हक की आवाज़ को दूसरे ही क्यों न उठाएं या वह ख़ुद मांगे, तो सारा समाज अचानक बंट जाता है.

सबका अलग–अलग ख्याल रखना, अलग–अलग तर्क देना अलग बात है, मगर किसी की भी अपनी राय हंगामा तब खड़ा कर देती है, जब अपनी बात को मनवाने के लिए समाज के ठेकेदार उसे धार्मिक चोले में लपेट कर पेश करते हैं. औरतों को कांग्रेस पार्टी का रिज़र्वेशन देने का फ़ैसला चाहे उस पार्टी के लिए राजनीतिक खेल हो, औरतों को आगे बढ़ने के लिए मददगार ज़रूर साबित हो सकता है. इसका फ़ायदा मुस्लिम औरतों को किस तरह मिलता है या औरतें अपनी भागीदारी का फ़ायदा कैसे उठाती हैं या फिर फ़ायदा मिलता भी है या नहीं, ये सारी बाद की बातें हैं.

मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ़ से कुछ बयान आए. क्या वे बयान इस्लामी दृष्टि से सही हैं? क्या इस्लाम या क़ुरान में उन दिए गए बयानों की वही जगह है, जिस तरह वे क़ुरान में पेश किए गए हैं. इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, जिसने पहली बार न सिर्फ़ औरत को इज़्ज़त दी, बल्कि वे सारे अधिकार दिए, जो इंसान को इज़्ज़त से सिर उठाकर जीने के लिए चाहिए. क़ुरान की सुर–ए–निसा में पूरी सूरत औरतों के लिए अधिकारों पर है. राइट ऑफ एजुकेशन पर क़ुरान कहता है, इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है.

इस्लाम में औरतों का जायदाद में हिस्सा भी क़ुरान ने निर्धारित किया. पहले विधवा औरतें शादी नहीं कर सकती थीं, पर विधवा को शादी का अधिकार इस्लाम ने दिया. अगर वह अपने पति के साथ अच्छी तरह से नहीं रह पा रही है तो उसे अलग होने का पूरा अधिकार है. कमाने का अधिकार देकर उसे आर्थिक आज़ादी दी गई. हुज़ूर (स.) ने फ़रमाया कि औरत के पैरों के नीचे जन्नत होती है. एक औरत अगर शिक्षित होती है तो उससे कई नस्लें सुधर जाती हैं. बच्चों की परवरिश करके वह उन्हें डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, पायलट, मुफ़्ती एवं लीडर सब बना सकती है. औरत एक अच्छी मां, बेटी, बीवी सब कुछ होती है. वह अपने सारे अधिकारों का पालन और अपनी ज़िम्मेदारियों को बख़ूबी पूरा करती है. क़ुरान में कोई एक ऐसी आयत या हुज़ूर का कोई ऐसा बयान, जिसने औरत की इज़्ज़त को कम किया हो या उसके विकास में रुकावट डाली हो, कहीं नज़र नहीं आता.

मुसलमानों के पास हदीसों का जो एक बड़ा भंडार है, उसमें हज़रत आयशा हुज़ूर की बीवी के बारे में सभी जानते हैं कि घर की ज़िम्मेदारियों के साथ– साथ जंग के मैदान में भी आप (स.) के साथ रहीं. जंग–ए–जमल उस वक़्त की वह जंग है, जो हज़रत आयशा रज़ि. के नेतृत्व में लड़ी गई. यह तो एक मिसाल थी. और भी ऐसी कई मिसालें हैं. यह सही नहीं है कि मज़हब ने औरतों को कमज़ोर बनाया है. सच यह है कि मज़हब के जानने वाले भी और न जानने वाले भी अपनी सुविधा के हिसाब से आधा सच बताते और दिखाते आए हैं. और, अधूरी सच्चाई मज़हब को बदनाम करने का सबब बन जाती है, क्योंकि हम अपने मज़हब की सच्चाइयों को जानते नहीं हैं.

कुछ सीमाएं हर मज़हब ने बनाई हैं, कुछ सीमाएं हर धर्म ने सिर्फ़ औरतों के लिए ही नहीं, दोनों के लिए ही रखी हैं, क्योंकि सीमाएं ज़रूरी हैं, तूफ़ानों को रोकने के लिए. मुस्लिम औरतों के पिछड़ेपन की बात आती है तो पर्दे को मिसाल बनाकर मज़हब को बदनाम किया जाता है. मज़हब आपको इज़्ज़त, आज़ादी, सारे अधिकार देता है तो आपके कर्तव्य भी हैं, जिनसे आंखें फेरी नहीं जा सकती हैं. मज़हब की सीमा में औरत हो या मर्द, एक पलड़ा फ़र्ज़ का है तो दूसरा अधिकार का. दोनों को बराबर करके चलना जरूरी है. और, जब हम दुनियावी और मज़हबी दोनों उसूलों को, दोनों के कर्तव्यों और अधिकारों को, एक साथ लेकर चलते हैं, तभी हम खरे उतरते हैं. अगर आरक्षण एक उम्मीद है, जो औरतों को आगे आने और उन्हें समाज में बेहतर मुक़ाम दिलाने में मदद करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है. अगर औरत अपनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ जिसमें बच्चों की परवरिश, सामाजिक ज़िम्मेदारियां और घर के सब काम यानी हर ज़िम्मेदारी को उतनी ही अच्छी तरह से कर सकती है जितना कि मर्द, तो फिर उसे भी सियासत में आगे आने का पूरा हक़ है.

(लेखिका प्रसिद्ध शिक्षिका हैं)

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 3
दिल्ली, 29 मार्च–4 अप्रैल 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

जब खुदा ने इंसानों को दुनिया के दरिया में ज़िंदगी की क़श्ती पर सवार किया तो अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अक्ल सा रहबर साथ किया.

अंधे सिर्फ आलोचना करते हैं समाधान नहीं देते

मौलाना कल्बे रुशैद रिज़वी

औरतों के इतिहास में एक सम्मानजनक नाम आया है, जिन्हें बीबी मरियम कहा जाता है. मरियम का मतलब पाकीज़ा होता है यानी पवित्रता. मरियम को हमारे देश के ईसाई और तक़रीबन सभी समुदाय के लोग बड़े सम्मान और श्रद्धा से जानते हैं. इस्लाम में तो उनका बड़ा महत्व है. जब कमतर और बेहतर जमा होते हैं तो एक समाज बनता है. इंसानों के मालिक ने सारी दुनिया इंसानों के लिए और इंसानों को अपने लिए बनाया. सबसे पहले यह बताया गया कि दुनिया को आगे ले जाने में हर मर्द औरत का मोहताज है, लेकिन उसने (ईश्वर) मरियम की कोख से ईसा को पैदा कर औरत की ताक़त दिखाई कि औरत मर्द की मोहताज नहीं है. इस समाज में कुछ अंधे और कुछ आंख वाले भी हैं. जब तक समाज आंख वालों के पीछे चला, अंधे भी गिरने से बचे. क्योंकि, आंख वालों की यह क़ैफ़ियत होती है कि वे खुद भी नहीं गिरते और दूसरों को भी गिरने से बचाते हैं. ये अंधे अक़्ल के भी होते हैं और फ़िक्र के भी. अक़्ल और फ़िक्र के अंधों ने बहसें तो बहुत की हैं, लेकिन हल नहीं दिया. जबकि बुद्धिजीवियों ने हमेशा समाज को एक हल दिया है, मसले में उलझाया नहीं. यह संसार का नियम है कि जब ख़ुदा ने इंसानों को दुनिया के दरिया में ज़िंदगी की कश्ती पर सवार किया तो अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अक़्ल सा रहबर साथ किया और एक उसूल दिया, न जानना ऐब नहीं है, जानने की कोशिश न करना ऐब है.

इस समाज में अच्छे लोगों ने मज़हब के क़ानून को यूं देखा, जैसे वे प्यासे हों और उनके सामने साफ़ पानी भी मौजूद हो और उनकी जान एक घूंट पानी पी लेने के लिए लम्हें गिन रही हो, ताकि प्यास की शिद्दत में कमी आए और दिल को सुकून हासिल हो. लेकिन एक डॉक्टर है, जो अपने यंत्र के ज़रिए पानी की जांच करता है और उसमें अलग-अलग प्रकार के जानलेवा कीटाणुओं की ख़बर देता है और अपने साथियों से कहता है कि इस पानी को इस्तेमाल करने से पहले इसको साफ कर लो, उबाल लो, ताकि तुम्हारी प्यास भी बुझ जाए और ज़िंदगी को कोई नुक़सान भी न हो. इसीलिए इस समाज के अच्छे लोगों ने अपने मज़हब को भी माना और मज़हब की भी मानी.

आज जो समाज में महिलाओं के लिए बातें हो रही हैं, मैं यह समझता हूं कि न तो कभी हिंदुस्तानी समाज ने महिला को बेइज़्ज़त रखने या करने की इजाज़त दी है और न ही इस्लामी समाज ने कभी औरत की प्रतिष्ठा को ख़त्म किया. इस्लाम ने औरत को इंसानी समाज में सबसे आला दर्जे पर बैठाया, लेकिन शर्त यह रखी कि वह औरत भी सिर्फ एक आम औरत न हो, बल्कि मरियम जैसी हो, ताकि दी हुई इज़्ज़त के साथ इंसाफ़ हो सके. इसमें कोई शक नहीं कि अगर औरत अपनी प्रतिष्ठा में मरियम हो तो समाज के मर्दों में उसका मुकाबला करने की ताक़त नहीं. यह मैं नहीं, कुरान कह रहा है.

कुरान में सुर-ए-मरियम में ख़ुदा कहता है, इस मरियम के बराबर मर्दों में कोई नहीं. इस आयत से महिलाओं की प्रतिष्ठा साफ़ हो जाती है. डॉ. अहमद बहिश्टी की लिखी हुई किताब ज़नाने नामदार (पारसी संस्करण), जिसका उर्दू अनुवाद मिसाली ख़वातीन है, में उन्होंने एक सौ पचास से ज़्यादा उन सम्माननीय औरतों का ज़िक्र किया है, जिन्होंने अपने समय के समाज में वह योगदान दिया है, जो उस ज़माने के मर्द भी न कर पाए. इसीलिए उन्हें आज भी हम इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं. हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम असभ्यता के ख़िलाफ़ हैं. कोई भी दुनिया औरत के बिना अधूरी है. यानी चल ही नहीं सकती. आप औरत के जज़्बे-ए- इशारों, कुर्बानी का अंदाज़ा लगाएं. उसका शौहर निकाह के वक्त नानो, नफ़का यानी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़िम्मेदारी उठाने का ख़ुद वादा करता है. आज हर समाज की हर औरत तैयार कपड़ा और तैयार रोटी की मांग नहीं करती. हालांकि वह कर सकती है. वह चूल्हे की आग की गरमी को महसूस करती है, तवे पर अपना हाथ ख़ुद जलाती है, लेकिन वह यह बर्दाश्त नहीं करती कि इन ज़हमतों से अपने शौहर को गुज़ारे. हालांकि वह चाहे तो इस्लामी क़ायदों के मुताबिक तैयार खाना मांग सकती है. फिर भी अपने शौहर की ज़िम्मेदारियों में भी शाना ब शाना हाज़िर रहती है. इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में औरत ने बड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिन्हें बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता. जंग-ए-आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान की बुनियादों को मज़बूत बनाने में वैचारिक और अमली तौर पर औरतों का बड़ा हाथ और योगदान रहा है.

अगर मज़हब की इज़्ज़त उसके दिल में है तो वह जानती है कि उसे कहां होना है और कहां नहीं. वह जहां कहीं भी मज़हब के साथ है, मज़हब की इज्ज़त है और अगर बिना धर्म का मान रखे वह घर में भी बैठी है तो वह मज़हब के लिए बेइज़्ज़ती का कारण बन जाती है. अगर औरत धर्म जानती है, ख़ुद को माहौल में महफ़ूज़ पाती है और ख़ुद को महफ़ूज़ रखने की ताक़त रखती है, तो उसे मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज की तरक्की में हाथ बंटाने से कोई नहीं रोक सकता. चाहे किसी भी क़िस्म का ज्ञान हो, सारी इल्मी दुनिया में औरतों की मौजूदगी बधाई के लायक़ है. इस्लाम ने औरत से सिर्फ़ एक ही चीज़ मांगी है, तुम कहीं भी रहो, कुरान ने जो तुम्हें ज़िंदगी जीने की तहज़ीब और उसूल दिए हैं, वे याद रहें. यानी कुरान के दायरे के अंदर रहो. कुरान की आयतों के साये में रहो.

मैं यहां एक ख़ूबसूरत वाक़या बताना चाहता हूं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर रीगन ने ईरान में आई इस्लामी क्रांति के ज़माने में अपनी संसद में कहा कि ईरान में औरतों की बहुत बुरी हालत है. उन्हें जानवरों की तरह परदे में बंद कर दिया गया है, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने तेहरान में कहा कि मैं मिस्टर रीगन को दावत देता हूं. हम साथ जंगल में जाते हैं. अगर जंगल के जानवर परदे में हैं तो हम अपने समाज को ठीक कर लेते हैं और अगर जंगल के जानवर नंगे हों तो वह अपने समाज में सुधार कर लें. ईरान में औरतों को परदे की रियायत के साथ हर मैदान में शाना ब शाना रहने की इजाज़त है. राष्ट्रपति मिस्टर आगये ख़ातमी के समय पचास प्रतिशत महिला आरक्षण बिल पास हुआ और आज वहां के अहम पदों पर औरतों की सेवाओं से देश का विकास हो रहा है.

हम पश्चिम की तहज़ीब की बात नहीं करते, लेकिन हमारी पूर्वी तहज़ीब और पश्चिमी तहज़ीब में ख़ास फ़र्क़ है. वे सिमिलैरिटी यानी समानता की बात करते हैं और हम इक्वैलिटी यानी बराबरी की बात करते हैं. हम समानता की बात इसीलिए नहीं करते कि हर समाज और हर मज़हब में हर काम औरत से नहीं लिया जा सकता. जैसे मुसलमान औरत मुर्दे को क़ब्र में नहीं उतार सकती, क्योंकि ख़ुदा ने उसके दिल को ममता से भरा हुआ बनाया है. ऐसा न हो कि वह इस काम को अंजाम देने में कहीं खुद ही न मर जाए. बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश के हिंदू समाज में औरत चिता को अग्नि नहीं देती, क्योंकि वहां भी शायद यही फ़लसफ़ा है. इस तरह हिंदुस्तानी समाज में औरत के लिए समानता नहीं, बराबरी की बात कही गई है. इसीलिए हम सारे हिंदुस्तानी चाहे किसी समाज के हों, सिमिलैरिटी में नहीं, बल्कि इक्वैलिटी में विश्वास करते हैं. कुरान भी यही कहता है, जो जितना गुनाहों से बचता है, उतना ही ख़ुदा के नज़दीक है. चाहे वह औरत हो या मर्द. एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वह यह कि औरतों का हर मुमकिन और जायज़ मैदान में शाना ब शाना होने के साथ-साथ ऐसे सख़्त क़ानून भी हों, जिनमें उनकी आबरू की हिफ़ाज़त हो. उनकी आबरू की हिफ़ाज़त को ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बनाया जा सके और हवस के वे दरिंदे, जो औरतों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सख़्त से सख़्त सज़ा मिल सके. इससे औरतों की उपस्थिति को महफ़ूज़ से महफ़ूज़तर बनाया जा सकता है और बाआबरू रखा जा सकता है.

(लेखक मशहूर शिया धर्मगुरु हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

इस्लाम और महिलाओं में खाई पैदा मत कीजिए

प्रो. अख्तरुल वासे

संसद के उच्च सदन में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. कुछ ऐसे सम्माननीय लोगों ने भी अपनी झुंझलाहट प्रकट की है, जिनसे इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी. अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने इसके लिए इस्लाम जैसे उदारवादी और समानता के हिमायती धर्म का न केवल सहारा लिया, बल्कि इसके विरोधियों को, जो पहले से ही इस्लाम और मुसलमानों की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं, इसके ख़िलाफ हल्ला बोलने का एक और अवसर थमा दिया है.

इस्लाम स्त्री और पुरुष में भेदभाव का कायल नहीं है. कुरान दोनों को पति और पत्नी के रूप में एक-दूसरे के लिए लिबास ठहराता है, जो एक-दूसरे के लिए ढाल या पर्दापोशी का काम करते हैं. कुरान में जो विशेषताएं पुरुषों की बताई गई हैं, वही महिलाओं की भी बताई गई हैं. इस्लाम औरत को महज़ जिस्म नहीं मानता, बल्कि यह मानता है कि वह भी पुरुषों जैसी है और कोमलता, संवेदनशीलता एवं सहृदयता की दृष्टि से वह पुरुषों से बेहतर है. मां की हैसियत से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने की जो भूमिका औरत को सौंपी गई है, उससे उसकी महानता और महत्व का पता चलता है. औरत को सामाजिक जीवन से अलग-थलग करने के लिए इस्लाम की आड़ लेना किसी भी तरह उचित नहीं है.

वास्तव में इस्लामी इतिहास के आरंभिक दौर पर नज़र डालें तो स्वयं पैग़ंबर-ए-इस्लाम हज़रत मुहम्मद के जीवनकाल में महिलाओं को वे तमाम अधिकार और स्वतंत्रता हासिल थी, जिनकी मांग आज भी महिलाओं के लिए की जा रही है. मिसाल के तौर पर नबी के दौर में आर्थिक स्वाबलंबन की सबसे बड़ी प्रतीक तो हज़रत ख़दीजा हैं, जो मक्का में आयात-निर्यात के एक बड़े कारोबार की मालकिन थीं. हज़रत मोहम्मद साहब से विवाह और हज़रत मोहम्मद की पैग़ंबरी के बाद भी उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई. इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हज़रत आयशा, जिनका हज़रत ख़दीजा के देहांत के बाद पैग़ंबर मोहम्मद साहब से विवाह हुआ, आज भी हमारे लिए आदर्श हैं. इस्लामी शरीअत का एक तिहाई हिस्सा उन्हीं की बदौलत लिखा गया है. इसी प्रकार राजनीतिक स्तर पर स्वयं हज़रत मोहम्मद की नातिन, हज़रत अली एवं फातिमा की बेटी और इमाम हसन एवं इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब की महान भूमिका किससे छुपी हुई है. उन्होंने कर्बला के मैदान में लुटे-पिटे क़ाफ़िले का न केवल नेतृत्व किया, बल्कि सीरिया के राज दरबार में सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा भाषण दिया, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा है:

शाम की तारीकियों में नूर फैला कर रही,
अज़मते-मज़लूम को ज़ालिम से मनवा कर रही.

इसी प्रकार आध्यात्मिक शिखर को छूने वाली महान हस्तियों में हज़रत राबिया बसरी को कैसे भुलाया जा सकता है. ये तो चंद मिसालें हैं, वरना जंग के मैदान से लेकर निर्देशन, नेतृत्व और आज़माइश की कठिन घड़ियों तक सहाबियात, पैग़ंबर की शिष्याओं की भूमिका से कौन इंकार कर सकता है.

आधुनिक दौर के इतिहास पर नज़र डालें तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. भारत में ही रज़िया सुल्तान, चांद बीबी, ज़ैबुन्निसा, जहांआरा और उनसे आगे बढ़कर भोपाल रियासत में एक नहीं, कई-कई महिलाएं राजप्रमुख रही हैं. उन्होंने आदर्श शासन, उदारवादिता, शिक्षा, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के उत्थान के लिए शानदार रिकार्ड कायम किए. हमारे प्रतिष्ठित उलेमा, बुद्धिजीवी और शायर, जैसे अल्लामा शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी, सिद्दीक़ हसन ख़ां, सर रास मसउद और अल्लामा इकबाल उनके योगदान के प्रशंसक रहे. हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी ने भी उनकी हुकूमत के औचित्य का फ़तवा दिया. इस्लामी विश्व के हर देश विशेषत: ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और कुवैत में महिलाएं अपने-अपने समाजों की मुख्य धारा में जिस प्रकार विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं, उसे कौन स्वीकार नहीं करता. हद तो यह है कि मलिक अब्दुल्लाह ने सउदी अरब में एक महिला को मंत्रिमंडल में शामिल किया है. इस्लामी जगत में आज ही नहीं, विगत शताब्दी में भी विदेशी हुकूमत से अपने-अपने देशों को आज़ाद कराने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने जिस साहस का प्रदर्शन किया, वे हमारे इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हैं. तुर्की की ख़ालिदा अदीब ख़ानम, तराबलिस की फ़ातिमा, अल जज़ाइर की जमीला बू पाशा को किस तरह भुलाया जा सकता है. हमारा स्वतंत्रता संग्राम साक्षी है कि जब अवध के ताजदार वाजिद अली शाह ने अंग्रेज़ों के आगे हथियार डाल दिए तो वह बेगम हज़रत महल ही थीं, जिनकी ग़ैरत ने साम्राज्यवादियों से हार नहीं मानी. इसके अलावा बीसवीं सदी के आरंभ में अली बंधुओं की मां बी अम्मां ने जिस तरह जनचेतना जगाने के लिए जलसों, जुलूसों में हिस्सा लिया, बेगम हसरत मोहानी ने स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी आंदोलन में जो कुर्बानियां दीं, उन पर उस समय के किसी आलिमे-दीन ने कोई रोक नहीं लगाई.

आज़ादी के बाद भी आधुनिक भारत में बहुत कम ही सही, लेकिन शासन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में जब भी अवसर मिला, महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज होने का श्रेय एक मुस्लिम महिला जज फ़ातिमा बीबी के हिस्से में आया. बेगम कुदसिया ऐजाज़ रसूल, मैमूना सुल्तान, मोहसिना क़िदवाई, अनवारा तैमूर, बेगम हामिदा हबीबुल्लाह, बेगम शेख़ मुहम्मद अब्दुल्लाह, महबूबा मुफ्ती, डॉ. नजमा हेपतुल्लाह और डॉ. सैयदा सैयदैन हमीद उन चंद अहम नामों में से हैं, जिनसे आप निजी और वैचारिक स्तर पर मतभेद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते.

जहां तक महिलाओं को शरीअत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुज़ारने और काम करने की हिदायत की बात है तो उससे हम भी सौ फीसदी सहमत हैं, लेकिन यहां इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि शरीअत जितनी महिलाओं के लिए है, उतनी ही पुरुषों के लिए भी है. इसलिए मुसलमान पुरुष हों या महिलाएं, अगर वे अपने को मुसलमान कहते हैं तो दोनों को इस दायरे में रहना चाहिए. लेकिन जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, इस्लामी शरीअत पुरुषों की तरह महिलाओं को संस्कारगत मर्यादा, लाज-शर्म, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और निजत्व को बरक़रार रखते हुए हर प्रकार की जायज़ आज़ादी प्रदान करती है.

महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का रवैया न केवल मुसलमानों के लिए घातक है, बल्कि यह उस जद्दोजहद को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगी और उस मुक़दमे को कमज़ोर करेगी, जिसके तहत महिला आरक्षण विधेयक में मुस्लिम औरतों के लिए हिस्सेदारी की मांग की जा रही है.

लेखक डॉ. ज़ाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डायरेक्टर हैं.

feedback@chauthiduniya.com

पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्रों के मुताबिक़, वर्ष 1980 तक कुल 32,84,065 शरणार्थियों का पुनर्वास हुआ था. अकेले बंगाल में इनकी संख्या 20,95,000 थी.

भारत में नया बांग्लादेश गढ़ रहे हैं घुसपैठिए

बिमल राय

बंगाल में एक फीलगुड कहावत है, ए पार बांग्ला, ओ पार बांग्ला. आम जनता की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री एवं राज्य के दूसरे बड़े नेताओं को यह कहावत उचरते सुना जाता रहा है. संकेत साफ़ है, ओ पार बांग्ला के निवासी भी अपने बंधु हैं. भाषा एक है, संस्कृति एक है, फिर घुसपैठ को लेकर चिल्ल-पों काहे की. राज्य में भाजपा के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती. असम में असम गण परिषद जो आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाती है, वही आरोप बंगाल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर लगता रहा है कि वोट बैंक मज़बूत करने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर बसाया गया है. आंकड़े साफ़-साफ़ सच बयां करते हैं. राज्य के सीमावर्ती ज़िलों में तो बांग्लादेशियों का बहुमत है और भारतीय नागरिक अल्पमत में आ गए हैं. राज्य में सांस्कृतिक एकता सिर चढ़कर बोलती है और राष्ट्रवाद पीछे छूट जाता है.

2006 में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन क्लीन चलाया था. 23 फरवरी 2006 तक अभियान चला और 13 लाख नाम काटे गए. हालांकि चुनाव आयोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और उसने केजे राव की अगुवाई में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए अपनी टीम भेजी. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन राज्य सचिव अनिल विश्वास ने कहा था, उन्हें सैकड़ों पर्यवेक्षक भेजने दीजिए, अब कोई भी क़दम हमें जीतने से नहीं रोक सकता. इस बयान से अंदाज़ा लगाया गया कि माकपा को अपने समर्पित वोट बैंक पर कितना भरोसा रहा है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वाममोर्चा के सत्ता में आने के समय से ही मुस्लिम घुसपैठियों को वोटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई. उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्य में दो करोड़ बोगस वोटर हैं. विभिन्न संस्थाओं एवं मीडिया के मोटे अनुमान के मुताबिक़, भारत में डेढ़ से दो करोड़ घुसपैठिए बस गए हैं और बंगाल के एक बड़े हिस्से पर इनका क़ब्ज़ा है. अब ममता भी चुप हैं, क्योंकि उन्हें भी 2011 में बंगाल की कुर्सी दिख रही है.

पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्रों के मुताबिक़, वर्ष 1980 तक कुल 32,84,065 शरणार्थियों का पुनर्वास हुआ था. अकेले बंगाल में इनकी संख्या 20,95,000 थी. इसके अलावा अवैध रूप से राज्य में रह रहे बांग्लादेशियों की आबादी कहने को 57 से 60 लाख के बीच है, पर असली संख्या इससे काफी ज़्यादा है. पूर्व आई बी प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल टी वी राजेश्वर राव ने 1990 में कोलकाता से प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक में छपे अपने लेख में इस समस्या की तल्ख हक़ीक़त सामने रखी थी. उन्होंने राज्य सरकार के हवाले से ही लिखा था कि 1972 से 1988 तक बंगाल में 28 लाख बांग्लादेशी नागरिक आए, लेकिन उनमें से पांच लाख यहीं के होकर रह गए. 1971 के पहले बांग्लादेशियों का भारत आना मुजीबुर्रहमान और इंदिरा गांधी के बीच हुए समझौते का हिस्सा था, पर आरोपों के मुताबिक़ 77 के बाद से घुसपैठियों एवं वाममोर्चा सरकार के बीच राजनीतिक पुनर्वास के लिए जैसे एक अलिखित समझौता हुआ. डेमोग्राफिक एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया पुस्तक के लेखक बलजीत राय ने 5 अक्टूबर 1992 को द स्टेट्समैन में पाठक के एक पत्र को उद्धृत किया, जिसमें लिखा था, मैं यह सुनकर चकित हूं कि जलपाईगुड़ी को छोड़कर पश्चिम बंगाल के सभी सीमावर्ती ज़िलों के मजिस्ट्रेटों ने राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी कि उनके ज़िलों में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ की कोई समस्या नहीं है. यह केवल कल्पना की बात नहीं रही कि भारी संख्या में घुसपैठियों को उनके मुस्लिम भाइयों ने पनाह दी है. राजमार्गों और रेल पटरियों के किनारे इन लोगों ने कालोनियां बना ली हैं. यह कृपा है उन राजनीतिक दलों की, जो अपने वोटबैंक की हिफ़ाज़त करना चाहते हैं. बलजीत राय ने यह भी लिखा कि ये घुसपैठिए अब बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्सों को मिलाकर मुस्लिम बंगभूमि की मांग कर रहे हैं. कितनी दयनीय हालत है कि एक समय सरकार की आंख और कान कहे जाने वाले अधिकारी पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दलों को ख़ुश करने के लिए इस राष्ट्रीय संकट के प्रति अंधे-बहरे हो गए हैं. लेखक ने राज्य की राष्ट्रवादी ताक़तों के नैतिक स्तर पर भी सवाल उठाया है.

भारत में विभिन्न राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अनुमानित संख्या (2004)

राज्य	संख्या
अरुणाचल प्रदेश	800
असम	5000000
बिहार	47900
गुजरात	100
हरियाणा	550
मध्य प्रदेश	700
महाराष्ट्र	20400
मेघालय	30000
नागालैंड	59500
उड़ीसा	30850
पंजाब	150
राजस्थान	2500
त्रिपुरा	325400
उत्तर प्रदेश	26000
पश्चिम बंगाल	5700000
अंडमान निकोबार	3000
दिल्ली	375000
कुल	11622850

भारत और बांग्लादेश के बीच 4095 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें बंगाल से लगी सीमा की लंबाई 2216 किलोमीटर है. इसमें बीएसएफ की साउथ बंगाल फ्रंटियर 1145.62 किलोमीटर तक निगरानी करती है, जिसकी सीमा दक्षिण में सुंदरवन से लेकर उत्तर में दक्षिण दिनाजपुर ज़िले तक है. ग़ौरतलब है कि 367.36 किलोमीटर सीमा रेखा नदी-नाले के रूप में है, जबकि 778.36 किलोमीटर रेखा ही ज़मीन से होकर गुजरती है. पूरे बंगाल में कुल 600 किलोमीटर तक सीमा रेखा नदी-नालों के रूप में है. घुसपैठियों एवं तस्करों को सबसे ज़्यादा सुविधा नदी-नाले के कारण होती है. दिन में जब उन नदी-नालों में औरतें नहाती हैं, तो स्थानीय लोगों की ओर से बीएसएफ जवानों का विरोध किया जाता है. साउथ बंगाल फ्रंटियर की देखरेख वाली 529.12 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ इसलिए नहीं लग पाई है कि गांव वालों ने अदालत की शरण ली है. बीएसएफ के सूत्रों ने बताया कि इसका मक़सद बाड़ लगाने के काम को लटकाना है. सीमा पर बसे लोगों का अपना स्वार्थ है. दक्षिण दिनाजपुर के हरिपुर गांव के बीचोबीच अंतरराष्ट्रीय सीमारेखा है. भारत के मुसलमान रेखा से सटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं. अब समझा जा सकता है कि बीएसएफ का काम कितना कठिन है. ऐसे ही दर्ज़नों गांव हैं. बेरोज़गारी के चलते लोगों ने घुसपैठ की एजेंसी एवं तस्करी का काम पेशे की तरह अपना लिया है. दूसरी बात यह कि बाड़ लगाने का काम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ज़िम्मे है और बीएसएफ इसमें हस्तक्षेप नहीं करती. बीएसएफ के पास जवानों की भी कमी है. अभी बंगाल में 20 बटालियनें ही तैनात हैं, जबकि ज़रूरत 34 बटालियनों की है. रात में ठीक तरह से निगरानी हो सके, इसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों की कमी है. सुंदरवन इलाक़े में बीएसएफ की जल शाखा को और भी चुस्त करने की ज़रूरत है. वैसे बीएसएफ ने 300 अतिरिक्त सीमा निगरानी चौकियां लगाने का फ़ैसला किया है, पर अगले पांच सालों में यह संभव होगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता.

1991 की जनगणना में साफ़ दिखा कि असम एवं पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों की जनसंख्या भी कितनी तेज़ी से बढ़ी. एक मोटे अनुमान के मुताबिक़, सीमावर्ती ज़िलों के क़रीब 17 प्रतिशत वोटर घुसपैठिए हैं, जो कम से कम 56 विधानसभा सीटों पर हार-जीत का निर्णय करते हैं, जबकि असम की 32 प्रतिशत विधानसभा सीटों पर वे निर्णायक हालत में हैं. असम में भी मुसलमानों की आबादी 1951 में 24.68 प्रतिशत से 2001 में 30.91 प्रतिशत हो गई, जबकि इस अवधि में भारत के मुसलमानों की आबादी 9.91 से बढ़कर 13.42 प्रतिशत हो गई. 1991 की जनगणना के मुताबिक़, इसी दौरान बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, मालदा, वीरभूम और मुर्शिदाबाद की आबादी क्रमशः 36.75, 47.49, 33.06 और 61.39 प्रतिशत की दर से बढ़ी. सीमावर्ती ज़िलों में हिंदुओं एवं मुसलमानों की आबादी में वृद्धि का बेहिसाब अनुपात घुसपैठ की ख़तरनाक समस्या की ओर इशारा करता है. 1993 में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री ने भी लोकसभा में स्वीकार था कि 1981 से लेकर 1991 तक यानी 10 सालों में ही बंगाल में हिंदुओं की आबादी 20 प्रतिशत की दर से बढ़ी, तो मुसलमानों की आबादी में 38.8 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ. 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 29.17 प्रतिशत थी, जो 2001 में घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई. सबूत तमाम तरह के हैं. 4 अगस्त, 1991 को बांग्लादेश के मॉर्निंग सन अख़बार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक़, एक करोड़ बांग्लादेशी देश से लापता हैं. यह सब होते हुए बांग्लादेश सरकार आज तक घुसपैठ की बात स्वीकार नहीं करती.

2001 की जनगणना के मुताबिक़, भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 1.5 करोड़ थी. सीमा प्रबंधन पर बने टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, हर महीने तीन लाख बांग्लादेशियों के भारत में घुसने का अनुमान है. केवल दिल्ली में 13 लाख बांग्लादेशियों के होने की बात कही जाती है, हालांकि अधिकृत आंकड़ा चार लाख से कम ही बताता है. भारत-बांग्लादेश सीमा का गहन दौरा करने वाले लेखक वी के शशिकुमार ने इंडियन डिफेंस रिव्यू (4 अगस्त, 2009) में छपे अपने लेख में बताया कि किस तरह दलालों का गिरोह घुसपैठ कराने से लेकर भारतीय राशनकार्ड और वोटर पहचानपत्र बनवाने तक में मदद करता है. दक्षिण दिनाजपुर के हिली गांव में भारत-बांग्लादेश सीमा पर कुछ दीवारें बनाई गई हैं, कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने बनाया है, पर यह समझने में मुश्किल नहीं है कि यह तस्करों के गिरोह की करतूत है. वहां सुबह से शाम तक तस्करी और घुसपैठ जारी रहती है. घुसपैठिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को सीमा पार कराते हैं और उन्हें किसी भारतीय अस्पताल में प्रसव कराकर उसे जन्मजात भारतीय नागरिकता दिलवा देते हैं. इस काम में दलाल और उनके भारतीय रिश्तेदार भी मदद करते हैं. मालूम हो कि सीमा के क़रीब रहने वाले लोगों में परंपरागत रूप से अब भी शादी-ब्याह का रिश्ता चलता है. यही नहीं, कुंआरी लड़कियों को बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में दुल्हनों के तौर पर बेच दिया जाता है. कई दलाल तो शादी कर उन्हें कोठे पर पहुंचा देते हैं. सीमा से लगी ज़मीन की ऊंची क़ीमतों से भी साबित होता है कि घुसपैठ एवं तस्करी को स्व-रोज़गार का कितना बड़ा साधन बना लिया गया है.

14 जुलाई, 2002 को संसद में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि भारत में 10 करोड़ 20 लाख 53 हज़ार 950 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं. इनमें से केवल बंगाल में ही 57 लाख हैं. इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया : द इमर्जिंग कन्फिल्क्ट के लेखक चंदन मित्रा ने पुस्तक में पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी गतिविधियों एवं कार्रवाइयों का पूरा ब्यौरा दिया है. वह लिखते हैं, सच कहें तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों का पसंदीदा राज्य बन गया है.

बीएसएफ की ओर से फायरिंग, कुल वारदात और मारे गए घुसपैठिए एवं तस्कर

वर्ष	दिन	रात	कुल	मृतक	पशु चोरी की कुल वारदातें
2006	36	411	447	278	59
2007	28	465	493	282	66
2008	19	323	342	216	35
2009	37	384	421	245	39

(स्रोत : बीएसएफ : साउथ बंगाल फ्रंटियर)

घुसपैठ की वारदात और बीएसएफ के हाथों पकड़े गए घुसपैठिए

वर्ष	घुसपैठ की वारदातें	भारतीय	बांग्लादेशी	कुल पकड़े गए घुसपैठिए
2006	2668	2517	5567	3050
2007	2336	2230	2759	4989
2008	1720	1720	1867	3547
2009	1577	1562	1573	3135

(स्रोतः बीएसएफ-साउथ बंगाल फ्रंटियर)

2003 में मुर्शिदाबाद ज़िले के मुर्शिदाबाद-जियागंज इलाक़े के नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचानपत्र देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया. इसमें भारतीय नागरिकों और ग़ैर-नागरिकों की पहचान तय करनी थी. हालांकि अंतिम रिपोर्ट अभी सौंपी जानी है, पर अंतरिम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. इस प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले 2,55,000 लोगों में से केवल 24,000 यानी 9.4 प्रतिशत लोगों के पास भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कम से कम एक दस्तावेज़ था. 90.6 प्रतिशत या 2,31,000 लोग निर्धारित 13 दस्तावेज़ों में से एक भी नहीं पेश कर पाए. आख़िर में इन्हें संदिग्ध नागरिकता की श्रेणी में डालकर छोड़ दिया गया.

मार्च के दूसरे सप्ताह में बीएसएफ और बांग्लादेश राइफल्स के बीच हुई बातचीत भी रुटीन ही रही. दोनों पक्षों ने घुसपैठ एवं तस्करी पर रोक लगाने और सीमा पर अमन क़ायम रखने पर सहमति जताई. बीएसएफ के महानिदेशक रमन श्रीवास्तव और 19 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आए बीडीआर के महानिदेशक मेजर जनरल मैनुल इस्लाम ने पिछले साल नवंबर में गृह सचिव स्तर की वार्ता के दौरान हुई सहमतियों पर काम आगे बढ़ाने की बात कही. बांग्लादेश ने भारत में आतंकी हरक़तें करने के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल न होने देने का वादा निभाने की बात कही. हाल में उल्फा नेताओं की गिरफ़्तारी से इसका सबूत भी मिला, पर जब तक बांग्लादेश घुसपैठ की बात नहीं स्वीकार करता या उन्हें वापस लेने के लिए नहीं तैयार होता है, तब तक जनसंख्या के इस हमले को रोकने में मदद नहीं मिलने वाली. बीडीआर ने सीमा से लगी 150 गज ज़मीन को लेकर पैदा होते रहे विवाद को भी आपसी सहमति से सुलझाने का वादा किया है. घुसपैठ की समस्या का एक तार भारत में आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है. बांग्लादेश का आतंकी संगठन हरकत-उल-जेहादी-इस्लामी (हूजी) भारत में दर्ज़नों आतंकी हमले एवं हरक़तें करा चुका है. गृह मंत्रालय के सूत्रों ने भी स्वीकार किया है कि वह लगातार अपने कॉडर भारत भेज रहा है. बांग्लादेश के सईदपुर, रंगपुर, राजशाही, कुस्ठिया, पबना, नीतपुर, रोहनपुर, खुलना, बागेरहाट एवं सतखीरा इलाक़ों से ज़्यादातर घुसपैठिए आते हैं और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी खुलकर मदद करती है. जैसा कि बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तपन सिकंदर ने चौथी दुनिया को बताया कि घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही तत्पर होना होगा और इसमें स्थानीय आबादी का भी सहयोग काफी अहम है. इसके साथ ही वोटबैंक की राजनीति भी बंद होनी चाहिए. उन्होंने 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक के प्रस्तावों को तुरंत लागू करने की ज़रूरत बताई, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं पुलिस महानिदेशकों ने शिरकत की थी. इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें किसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को सौंपा जाए, ताकि उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया आसान हो सके. इतने साल बीत जाने के बावजूद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा है. बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक, अभी घुसपैठियों को पकड़ कर राज्य पुलिस को सौंपा जाता है और फिर वे भारतीय जेलों की भीड़ बढ़ाते हैं.

भारत से पूर्वोत्तर का इलाका सिलीगुड़ी कॉरीडोर या चिकन नीक पट्टी से जुड़ा हुआ है. ऐसी भी रपटें आई हैं कि मुस्लिम आतंकी इस हिस्से को काटकर अलग इस्लाकमस्तान बनाना चाहते हैं. इसे ऑपरेशन पिनकोड का नाम दिया गया है और उनका इरादा पूर्वोत्तर इलाकों में 3000 जेहादियों को घुसाना है. मुगलिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बांग्लादेश ने मुगलिस्तान का एक नक्शा जारी किया है. सीमा प्रबंध टास्क फोर्स के मुताबिक़, भारतीय सीमा में 905 मस्जिदें बनाने और 439 मदरसे खोलने की योजना है. अगली एक अप्रैल से जनगणना का काम शुरू होना है और गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में पूरी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है. सचमुच, अगर समय रहते उपाय न किए गए तो पश्चिम बंगाल आबादी के बोझ के कारण एक गहरे संकट में फंस सकता है. देश के दूसरे हिस्से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे. बंगाल में पूरे देश का केवल तीन प्रतिशत भूभाग है, जबकि वह कुल आबादी के 8.6 प्रतिशत हिस्से का भार ढो रहा है. अचरज की बात है कि विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, ऋषि अरविंद और सुभाषचंद्र बोस जैसे राष्ट्रवादी महापुरुषों को पैदा करने वाला पश्चिम बंगाल सदियों से इस तरह की संवैधानिक धोखाधड़ी को बर्दाश्त कर रहा है. भाजपा नेता एवं पत्रकार चंदन मित्रा ने एक बार टिप्पणी की थी कि कोलकाता का लगभग हर दूसरा आदमी अपने को बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखता है, पर ऐसा लगता है कि राज्य में हो रही ऐसी अलोकतांत्रिक चुनावी धोखाधड़ी के प्रति वह संवेदनहीन हो गया है.

feedback@chauthiduniya.com

1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की बात की गई थी.

वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा

जस्टिस पी. सथाशिवम

यदि मानवजनित गतिविधियां अपनी मौजूदा गति से जारी रहीं तो औद्योगिक युग से पहले के मुक़ाबले औसत वैश्विक तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी. तापमान में यह वृद्धि 15000 साल पहले, आख़िरी हिमयुग (आइस एज) के बाद पृथ्वी के तापमान में आई वृद्धि से भी ज़्यादा है. उस दौरान पृथ्वी के तापमान में पांच डिग्री का इज़ाफ़ा हुआ था और वह भी 5000 साल के दरम्यान. फिर यह भी कि हिमयुग में तापमान में हुई वृद्धि के प्राकृतिक कारण थे, लेकिन यहां तो ख़ुद इंसान ही इसका कारण है. हम कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. हम जंगलों को नष्ट कर रहे हैं और अपने खेतों का ग़लत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज़ से सही नहीं है. यदि इसमें बदलाव नहीं लाया गया तो इस समय पृथ्वी की लगभग सात अरब की जनसंख्या में से प्रत्येक दस में से एक घर समुद्र में बढ़ते जलस्तर की भेंट चढ़ सकता है. इस ख़तरे को टालने की कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन यह पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है. सालों पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुरूप ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को ऐसे स्तर पर नियंत्रित करने की बात की गई थी, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर न पड़े. इसके पांच साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया. विश्व भर के क़रीब तीन दर्ज़न देश, जिनमें अधिकतर औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी राष्ट्र और पूर्व सोवियत संघ के देश शामिल थे, ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित और कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी. लेकिन आज तक न तो पृथ्वी सम्मेलन की बातों को अमल में लाया गया है, न ही क्योटो प्रोटोकॉल के वादे पूरे हो पाए हैं.

रियो सम्मेलन के बाद से अब तक कार्बनडाई ऑक्साइड, जो पर्यावरण के नज़रिए से सबसे ख़तरनाक है, के उत्सर्जन में क़रीब तीन गुना वृद्धि हो चुकी है और यह सालाना 30 बिलियन टन के स्तर तक पहुंच चुकी है. उद्योग प्रधान पश्चिमी देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए हामी भले भरी थी, लेकिन 1990 से लेकर अब तक ऐसा हो नहीं पाया है. वास्तविकता तो यह है कि इसमें वृद्धि ही हुई है. इसके बाद भी यदि क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा रहे देशों के ग्रीनहाउस उत्सर्जन में कमी आई है या वह पुराने स्तर पर स्थिर है, तो इसकी वजह पूर्व सोवियत संघ के देशों का विघटन है, जिसके चलते इन देशों में औद्योगिक गतिविधियां कम हो गईं.

इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्यावरण में आ रहे बदलावों के चलते फ़िलहाल मानव सभ्यता एक प्रलय के मुहाने पर खड़ी है. एक ऐसा प्रलय, जो हाल में आए वैश्विक आर्थिक मंदी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है. इसकी वजह यह है कि हम कोशिश करें तो मंदी के बुरे दौर से उबर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण तंत्र असंतुलित हो जाए तो उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती.

इसीलिए असली सवाल यह है कि यदि ख़तरा इतना बड़ा है तो हम इसके लिए गंभीर क्यों नहीं हैं. ऐसा नहीं है कि पर्यावरण में आ रहे बदलाव से निपटने के लिए तकनीकी ज्ञान का अभाव है. उपलब्ध साधनों एवं ग़ैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उचित इस्तेमाल और जीवनशैली में बदलाव से समस्या को हल करने की चाबी मिल सकती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है . इसकी वजह यह है कि हम इसे अपनी क्षमता के बाहर होने की ग़लतफहमी में हैं. साथ ही यह भी कि किसी को यह नहीं पता कि चुनौती से निपटने के लिए वास्तव में किसे और क्या क़दम उठाने की ज़रूरत है.

जहां तक चुनौती की गंभीरता का सवाल है, पर्यावरण विशेषज्ञों की राय में तापमान में औसतन दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से मानव जीवन ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा. अधिकांश देशों ने इसी दो डिग्री को अपना लक्ष्य बना लिया है और लाकिला, इटली में हुए जी-8 राष्ट्रों के सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इसे अपनी मंजूरी भी दे दी है. लेकिन यदि इस लक्ष्य को हासिल करने की थोड़ी सी भी संभावना है तो इसके लिए हम 2050 तक ऊर्जा के मौजूदा संसाधनों का केवल एक चौथाई ही इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगले चार दशकों में कुल 750 बिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड का ही उत्सर्जन होना चाहिए, जबकि कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन की वर्तमान दर के हिसाब से यह आंकड़ा क़रीब आधे समय में ही पार हो जाएगा. जहां तक इसका भार वहन करने की बात है तो पर्यावरण सुरक्षा की चर्चा होते ही हम तमाम तरह की आशंकाओं से घिर जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को पर्यावरण सुरक्षा के अनुरूप ढालने की ज़रूरत है. मौजूदा दौर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार विकसित राष्ट्र हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है. कुल उत्सर्जन का क़रीब आधा हिस्सा इन्हीं देशों की देन है. लेकिन यदि ये देश कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं, फिर भी दो प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना दूर की कौड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि विकासशील और अल्प विकसित देशों में भी उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है. स्पष्ट है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों, जैसे चीन और भारत, को भी सहयोग करना होगा. इसके साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका (19 टन) और जर्मनी (10 टन), भारत (1.1 टन) और चीन (4.3 टन) से कहीं आगे हैं. इतना ही नहीं, औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का तीन-चौथाई हिस्सा विकसित राष्ट्रों की देन है, जबकि विश्व की कुल आबादी का बीस प्रतिशत हिस्सा ही इन देशों में निवास करता है.

पर्यावरण में बदलाव के ख़तरे से मुक़ाबला करने के लिए सार्वभौमिक न्याय के पहलू को भी ध्यान में रखना होगा. यदि वातावरणीय तत्वों के इस्तेमाल का सभी मनुष्यों के पास एक समान अधिकार है तो विकसित देश अपने कोटे से कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं. दरअसल, इस मामले में वे पहले ही अन्य देशों के क़र्ज़दार हो चुके हैं. उन्हें न केवल इस क़र्ज़ को उतारना होगा, बल्कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के काम में भी आगे आना होगा. और, यह जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि थोड़ी देर करने से भी दो प्रतिशत का लक्ष्य हमारी पहुंच से बाहर हो सकता है. इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के मुताबिक़, 1990 के मुक़ाबले 2020 तक विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में 25 से 40 प्रतिशत की कमी करनी होगी. बड़ी बात यह है कि अविकसित और विकासशील राष्ट्र, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए अपेक्षाकृत कम दोषी हैं, तब तक इस दिशा में कोई क़दम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि विकसित राष्ट्र स्पष्ट पहल न करें. यह हालत कोपेनहेगन सम्मेलन से ठीक पहले की है. हालांकि, आईपीसीसी के आंकड़ों तक पहुंचना असंभव जैसा है, ख़ासकर अमेरिका जैसे देश के लिए, जो विकसित देशों के बीच ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का सबसे बड़ा दोषी है.

पर्यावरण समस्या से निबटने के तकनीकी और सामाजिक उपाय भी तभी कारगर हो पाएंगे, जब यह संदेश पूरी दुनिया में फैले और लोग कथनी को करनी में बदलें. तभी कोपेनहेगन सम्मेलन जैसी बैठकों का कोई औचित्य है और उनकी सफलता की भी संभावना बन सकती है.

क्योटो प्रोटोकॉल

यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है. दिसंबर 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (सीओपीई) के तीसरे सत्र में अनुमोदित इस प्रोटोकॉल में विकसित देशों के उलट ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा तय की गई है, जो क़ानूनी रूप से बाध्यकारी है. यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों ने मई 2002 में इसको मंजूरी दी.

विकसित देशों में क़रीब 150 साल पहले शुरू हुई ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन को कम करने और फिर उसे समाप्त करने के इरादे से अस्तित्व में आए क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य हर ऐसी मानवीय गतिविधि पर रोक लगाना है, जिससे पर्यावरण के लिए ख़तरा पैदा होता है. प्रोटोकॉल के मसौदे के मुताबिक़, विकसित देशों को छह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कम से कम पांच प्रतिशत की कमी करनी होगी. इस सामूहिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्विट्ज़रलैंड, मध्य और पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों एवं यूरोपीय संघ (अपने सदस्य देशों का लक्ष्य खुद यूरोपीय संघ तय करेगा) को 8 प्रतिशत, अमेरिका 7 प्रतिशत एवं कनाडा, हंगरी, जापान और पोलैंड को 6 प्रतिशत की कमी करनी होगी. रूस, न्यूजीलैंड और यूक्रेन अपने मौजूदा स्तर पर क़ायम रहेंगे. जबकि नार्वे एक प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया 8 प्रतिशत और आइसलैंड इसमें 10 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकते हैं.

हर राष्ट्र को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का यह लक्ष्य 2008-2012 के बीच हासिल करना होगा. उनके प्रदर्शन को मापने के लिए पांच सालों का औसत निकालने का प्रावधान है. सदस्य देशों को लक्ष्य हासिल करने की दिशा में 2005 तक अपने प्रयासों को स्पष्ट करना होगा. तीन सबसे महत्वपूर्ण गैसों कार्बनडाई ऑक्साइड, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के घटे स्तर को मापने के लिए 1990 को आधार वर्ष माने जाने की व्यवस्था है (हालांकि कुछ ख़ास देशों के मामले में इसमें बदलाव किया जा सकता है).

औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाली ख़तरनाक गैसों में तीन सबसे पुरानी गैसों-हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पाफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड के स्तर का आकलन 1990 या 1995 को आधार वर्ष मानकर किया जा सकता है. (ख़तरनाक औद्योगिक गैसों के एक और समूह क्लोरोफ्लोरोकार्बन की चर्चा 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटांसेज दैट डिप्लेट ओजोन लेयर में की गई है). उत्सर्जन में वास्तविक कटौती पांच प्रतिशत से ज़्यादा होगी. 2000 में उत्सर्जन की लक्षित सीमा को ध्यान में रखते हुए सबसे धनी और विकसित औद्योगिक देशों को अपने उत्सर्जन में क़रीब 10 प्रतिशत की कमी लानी होगी. इसकी वजह यह है कि अपेक्षा के मुताबिक़ इन देशों को साल 2000 तक अपने उत्सर्जन के स्तर को कम करके 1990 के स्तर पर लाना था, लेकिन वे ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे हैं. सच तो यह है कि 1990 के बाद उनके उत्सर्जन के स्तर में इज़ाफ़ा हुआ है. अर्थव्यवस्था में बदलाव के दौर से गुजर रहे देशों के उत्सर्जन के स्तर में 1990 के बाद कमी दिखाई दी थी, लेकिन अब यह ट्रेंड बदलता नज़र आ रहा है.

इससे यह स्पष्ट है कि 2010 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रोटोकॉल के अंतर्गत उत्सर्जन के स्तर में 5 प्रतिशत की कमी सुनिश्चित करने के लिए विकसित देशों को वास्तव में क़रीब 20 प्रतिशत की कटौती करनी होगी. उत्सर्जन के स्तर में कमी को मापने के तरीक़े के मामले में सदस्य देश काफी हद तक स्वतंत्र हैं. इस दिशा में एमिशन ट्रेडिंग की चर्चा की गई है, जिसके तहत विकसित औद्योगिक राष्ट्र आपस में प्वाइंट्स की ख़रीद-बिक्री कर सकते हैं. संयुक्त उपक्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत ये देश अन्य विकसित देशों में कुछ ख़ास परियोजनाओं में वित्तीय सहयोग कर एमिशन रिडक्शन प्वाइंट्स अर्जित भी कर सकते हैं. इसके अलावा विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देकर स्वच्छ विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके भी ये देश प्वाइंट्स हासिल कर सकते हैं.

उत्सर्जन में कमी के प्रावधानों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करना होगा. प्रोटोकॉल में देशों को आपसी सहयोग को बढ़ाने, ऊर्जा स्रोतों के सही इस्तेमाल, ईंधन और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सुधार, ग़ैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने, ग़लत वित्तीय नीतियों को ख़त्म करने, कचरे से होने वाले मिथेन उत्सर्जन और बाज़ार की विसंगतियों को दूर करने एवं जंगलों को बचाने की ज़िम्मेदारी दी गई है.

प्रोटोकॉल सदस्य देशों के पहले की प्रतिबद्धताओं को और आगे लेकर जाता है. इसके तहत विकसित और विकासशील देशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उत्सर्जन के स्तर को नियंत्रित करते हुए भविष्य में पर्यावरण में होने वाले बदलावों के अनुरूप बदलाव की कोशिश करेंगे. इससे संबंधित अपने राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम की जानकारी देंगे, तकनीक के हस्तांतरण को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय शोधों में सहयोग करेंगे और लोगों के बीच शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे. साथ ही, इसमें इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विकासशील देशों पर पड़े वित्तीय भार के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात पर ज़ोर दिया गया है.

कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (सीओपी) ही प्रोटोकॉल के सदस्य देशों की आपसी मुलाक़ात का ज़रिया भी होगी. यह व्यवस्था कन्वेंशन के अंत:सरकारी कार्यों के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है. वैसे देश जो कन्वेंशन के सदस्य हैं लेकिन प्रोटोकॉल में शामिल नहीं हैं, प्रोटोकॉल की बैठकों में पर्यवेक्षक की हैसियत से शरीक हो सकते हैं.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं)

feedback@chauthiduntya.com

मुस्लिम आरक्षण के मसले पर अली अनवर का कहना था कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट

एक लड़ाई संसद से सड़क तक

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

शशि शेखर

भारतीय राजनीति में अब ऐसे मुद्दे कम ही देखने–सुनने को मिलते हैं, जिन पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपे. लेकिन, जब चौथी दुनिया में रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट छपी तो सबसे पहले संसद में इस मुद्दे पर आवाज उठी. हंगामा हुआ. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई. चौथी दुनिया ने अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह किया तो बदले में राज्य सभा ने चौथी दुनिया के संपादक को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेज दिया. लेकिन तब तक भानुमति का पिटारा खुल चुका था. सांसदों के दबाव में सरकार को यह रिपोर्ट पेश करनी पड़ी. रिपोर्ट लोकसभा में पेश हो चुकी है. फिर भी ऐसा लग रहा है कि सरकार इस आयोग की सिफ़ारिशों को लागू कराने से बचना चाह रही है. लेकिन दुख की बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुस्लिम बिरादरी, नेता और संगठन अपने हक़ को पाने के लिए आवाज़ बुलंद करते नहीं दिख रहे है. हालंकि, कुछ–एक ऐसे मुस्लिम संगठन और नेता ज़रूर है जो सालों से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय को हक़ दिलाने और उनकी बेहतरी के लिए संसद में आवाज़ उठाते रहे हैं. लेकिन ऐसे नेताओं की संख्या गिनती की है. जद(यू) सांसद अली अनवर अकेले ही संसद में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते रहे. रंगनाथ मुद्दे पर ज़रूर उन्हें कुछ मुस्लिम और ग़ैर–मुस्लिम सांसदों का साथ मिला. अब, बजट सत्र ख़त्म होने को है लेकिन रंगनाथ मिश्रा आयोग और मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुसलमानों के बुद्धिजीवी तबके या छोटी–छोटी बातों पर बयानबाज़ी करने वाले मुस्लिम संगठनों की ओर से कोई सुगबुगाहट होती नहीं दिख रही है. लेकिन एक अच्छी बात है कि रंगनाथ मुद्दे पर संसद में आवाज़ बुलंद करने वाले जद(यू) सांसद और ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर अंसारी, रंगनाथ आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं.

15 मार्च को जब संसद की कार्यवाही चल रही थी, उसी समय संसद भवन से 100 मीटर दूर जंतर–मंतर पर देश भर से हज़ारों पसमांदा (सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े) मुसलमान इकट्ठे थे और सरकार से रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की मांग कर रहे थे. मौक़ा था ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज और अखिल भारतीय मेव विकास सभा द्वारा आयोजित जंगजू प्रदर्शन (रैली) का. रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक संगठनों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया. सीपीएम नेता वृंदा करात, सीपीआई के अजीज पासा, जद(यू) के शिवानंद तिवारी एवं राजस्थान से डॉ. के एच मीणा ने भी इस रैली में शिरकत की और इन संगठनों की मांगों का समर्थन किया. रैली में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा समेत दक्षिण भारत से आए दलित एवं पिछड़े मुसलमान और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल थे.

हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार दलित एवं आदिवासी मुसलमानों और दलित ईसाइयों के सब्र का इम्तहान न ले. अगर इन तबकों के सब्र का बांध टूट गया तो कई सरकारें उसमें बह जाएंगी.

अली अनवर अंसारी, राज्यसभा सदस्य, जद(यू)

पसमांदा मुस्लिम महाज की 11 सूत्रीय मांगें

- रंगनाथ मिश्र आयोग एवं सच्चर समिति की सिफारिशें लागू हों.
- दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को एससी का दर्जा मिले.
- मेवों को एसटी का दर्जा मिले.
- बुनकरों एवं दूसरे कारीगरों का क़र्ज़ माफ हो.
- कुटीर उद्योगों को 4 फीसदी ब्याज पर क़र्ज मिले.
- बीड़ी मजदूरों को मकान बनाने के लिए एक लाख रुपये दिए जाएं.
- 33 फीसदी में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण अलग करो.
- अकलियति तालीमी एदारों में भी आरक्षण मिले.
- प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम को ज़मीन पर उतारें.
- वर्ष 2011 में जातिवार जनगणना कराई जाए.
- रिक्शों की संख्या और सड़कों पर चलने से पाबंदी हटाई जाए.

मुस्लिम आरक्षण के मसले पर अली अनवर का कहना था कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार दलित एवं आदिवासी मुसलमानों और दलित ईसाइयों के सब्र का इम्तहान न ले. अगर इन तबकों के सब्र का बांध टूट गया तो कई सरकारें उसमें बह जाएंगी. इसके अलावा उन्होंने बुनकरों एवं कारीगरों की ख़राब दशा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ग़लत आर्थिक नीतियों को ज़िम्मेदार बताया, जिनकी वजह से वे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं. केंद्र सरकार ने किसानों का क़र्ज़ माफ करके तो अच्छा काम किया, लेकिन वह बुनकरों एवं कुटीर उद्योगों से जुड़े दूसरे लोगों के साथ बेरुख़ी बरत रही है. उन्होंने बुनकरों एवं दूसरे दस्तकारों से कहा कि घरों में तिल–तिल कर मरने से अच्छा है कि वे सड़क पर उतर कर अपने हक़ के लिए लड़ते हुए मर जाएं.

प्रदर्शनकारियों की ग्यारह मुख्य मांगें थीं, जिनमें आरक्षण में धार्मिक भेदभाव को ख़त्म करना, दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को एससी (अनुसूचित जाति) का दर्ज़ा देना, रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर समिति की सिफ़ारिशों को लागू करना, बुनकरों की क़र्ज़ माफी और मेव मुसलमानों को एसटी (अनुसूचित जनजाति) का दर्ज़ा देना, बुनकरों की क़र्ज़ माफी आदि शामिल थीं. रैली की अगुवाई अली अनवर अंसारी और मेव नेता रमजान चौधरी कर रहे थे.

रैली की ख़ास बात यह थी कि इसका आयोजन हिंदू–मुस्लिम एकता के प्रतीक अमर शहीद हसन खां मेवाती के शहीदी दिवस के अवसर पर किया गया था. राजा हसन खां मेवाती 1527 में खानवा के मैदान में बाबर की सेना से लड़ते हुए 12 हज़ार घुड़सवार मेवातियों के साथ शहीद हुए थे. रैली को संबोधित करते हुए सांसद अली अनवर अंसारी ने सच्चर समिति की सिफ़ारिशों के आलोक में मेव कबीले को मीणा कबीले की तर्ज पर एसटी (अनुसूचित जनजाति) का दर्ज़ा देने की मांग की. उनका कहना था कि दोनों कबीलों को ही अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था, जबकि आज़ादी के बाद मीणा कबीले को एसटी (अनुसूचित जनजाति) का दर्ज़ा मिल गया.

shashishekhar@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... माला की माया !! ...धीर

बीड़ी कारखाना मालिक भी अब सीधे उनसे बीड़ी न बनवा कर एजेंसियों के माध्यम से बीड़ी बनवाते हैं. जिसे सट्टा पर बीड़ी बनाना कहते है.

शोषण के शिकार बीड़ी मज़दूर

हमारे देश की संसद, तेली की ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

कवि धूमिल की यह कविता बताती है कि आज़ादी के इतने साल बाद श्रम करने वाले आज भी हताश और लाचार हैं. हिंद स्वराज के सौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गांधी को याद करने में तो देश के सभी लोग लगे हैं लेकिन कुटीर उद्योगों से जुड़े श्रमिकों के हालात बद से बदतर हो गए है. रोजी और रोटी तथा उन्नति के अवसरों की खोज में लोगों का पलायन और जो पलायन नहीं कर सके उनके हिस्से में मिल रही अभिशप्त ज़िंदगी और उनके दर्दो से रूबरू होना आत्म चेतना को झकझोरना ही है. रस्म अदायगी में लगी सरकारी गौ माताएं दूध नहीं देती हैं और लात मारती हैं. जिसके चलते जिन आदिवासी, हरिजन एवं मुस्लिम परिवारों के पास खेती योग्य ज़मीन व रोज़गार का कोई साधन नहीं है, वे अपनी आजीविका चलाने के लिए बीड़ी बनाने को मजबूर हैं. हालात के मारे ये मज़दूर अत्यंत ख़राब स्थिति में बीड़ी भांजते हैं. मज़दूरों के घरों के चारों ओर गंदगी और सड़ते तेंदूपत्तों के ढेर वातावरण को और बोझिल बना रहे हैं. सीलन भरी झोपड़ी के अंदर तेल की ढिबरी की थका देने वाली कम रोशनी में देर रात तक बीड़ी बनाने का काम किया जाता है, तब जाकर घर के लोगों की भूख मिट पाती है. *बीड़ी नहीं बनाओ तो खेओ* का कहते हुए तपेदिक (टी.बी) रोगी बीड़ी मज़दूर हल्काई सहरिया बताते हैं कि टी.बी. चिकित्सालय के डॉक्टर ने बीड़ी बनाने से मना किया है ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके, लेकिन वह अपनी भूख के कारण जर्दे की दुर्गंध और तेंदू पत्ते की सड़ांध के बीच बीड़ी बनाने को मजबूर हैं. यह दारूणगाथा अकेले ललितपुर के हल्काई की नहीं है, न जाने कितने हल्काई पेट की आग को बुझाने की ख़ातिर लम्हा–लम्हा मौत के मुंह में ले जाने वाले पेशे में लगे हैं. औसतन पांच से 15 फीट ऊंचे तेंदू के पेड़ के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है. बीड़ी निर्माण के लिए सबसे अच्छा पत्ता छोटे पेड़ का माना जाता है क्योंकि यह ज़्यादा मुलायम होता है जिसके कारण इससे पतली और सुंदर बीड़ी बनती है.

इस पत्ते का स्वाद तंबाकू के पत्ते से मेल खाता है. बीड़ी बनाने के दौरान मज़दूर एक ही मुद्रा में लगातार दस से बारह घंटे एकाग्र बैठा रहता है, जिसके कारण कमर दर्द, हाथ–पैर के जोड़ों में जकड़न और गर्दन में दर्द, पाचन तंत्र की समस्या के साथ जर्दे के कण आंखों पर कुप्रभाव डालती है और नथुनों से फेफड़ों में घुसकर श्वसनतंत्र को भी प्रभावित करके जानलेवा तपेदिक का संक्रामक रोग बांटती है. बीड़ी उद्योग मुख्य रूप से महिला कामगारों पर टिका है. उनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय है. बीड़ी निर्माता श्रम क़ानूनों से बचने के लिए ठेकेदार के माध्यम से बीड़ी बनवाने का चोर रास्ता खोल चुके हैं. प्रति हज़ार बीड़ी के लिए 500 ग्राम तेंदू पत्ता, 180 ग्राम जर्दा तथा 60 मी. धागे का बंडल दिया जाता है. तैयार बीड़ी में छांट के नाम पर सौ से दो सौ तक बीड़ी निकाल दी जाती है. गुणवत्ता का मानक ठेकेदार की मनमर्जी पर निहित है. छांट के नाम पर महिला श्रमिकों का दैहिक शोषण तक होता है.

बीड़ी, ग़रीब मेहनतकशों का सहारा भले ही कहलाती हो लेकिन आज इसके बनाने वालों का दम घुट रहा है. उनकी ज़िंदगी धुआं हो रही हैं. इस काम में लगे मज़दूरों की भलाई के लिए नियम क़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन सब काग़ज़ों पर सीमित रह गए हैं. प्रदेश में इलाहाबाद, फर्रुख़ाबाद, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, हरदोई, सुल्तानपुर, बहराईच, बाराबंकी, फैज़ाबाद, मुरादाबाद, अमरोहा आदि जनपदों में लाखों की संख्या में बीड़ी मज़दूर हैं. सुबह सूरज निकलने से लेकर देर रात तक ये मज़दूर कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटे रहते हैं, तब कहीं जाकर इनके चूल्हे पर रोटी पकती है. अनपढ़ और असंगठित होने की वजह से इनका शोषण ज़ारी है.

प्रदेश में बीड़ी बनाने के छोटे बड़े लगभग 500 से अधिक कारखानें हैं. इनके सैकड़ों प्रचलित ब्रांड हैं जो क्षेत्र तथा दूरदराज के इलाक़ों में बिकते हैं. बीड़ी मज़दूरों में आधे से अधिक महिलाएं व बच्चे हैं. बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदू के पत्तों को फर्मो से काटने और तैयार माल की पैकिंग तक में छोटे–छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करते हैं.

बीड़ी बनाने से पहले पत्ते को भिगोया जाता है, ताकि पत्ता नरम हो जाए और फर्मेपर रखकर कैंची द्वारा काटने में सहूलियत हो. पत्तों को बीड़ी की लंबाई के अनुरूप काट कर उन्हें तराशा या साफ़ किया जाता है ताकि तंबाकू रखकर लपेटने में असुविधा न हो. इस प्रक्रिया के दौरान काफ़ी पत्ता ख़राब निकल जाता है और यहीं से शुरूआत होती है, कारखाना मालिक द्वारा मज़दूरों के शोषण की कहानी.

बीड़ी कारखाना मालिक भी अब सीधे सीधे उनसे बीड़ी न बनवा कर एजेंसियों के माध्यम से बीड़ी बनवाते हैं, जिसे सट्टा पर बीड़ी बनाना कहते हैं. क़ानून की गिरफ़्त से बचने के लिए ईजाद यह तरीक़ा फ़ायदे का सौदा बीड़ी निर्माताओं को लगा है. ये एजेंसियां बीड़ी मज़दूरों को प्रति हज़ार बीड़ी के लिए निर्धारित तेंदू पत्ता, तंबाकू और तैयार बीड़ी पर लपेटने के लिए कच्चा सूत देती हैं. मज़दूर इन एजेंसियों से, जो वास्तव में बिचौलिए की भूमिका निभाती हैं, सामान लेकर घर में परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बीड़ी बनाते हैं.

होता यह है कि बिचौलियों या एजेंसियां बीड़ियां बनाने के लिए जो निर्धारित पत्ता, तंबाकू और सूत (धागा) देती हैं, उसमें से काफ़ी पत्ता तो तराशने और बीड़ी बनाने के दौरान ख़राब निकल जाता है. फलस्वरूप प्रति हज़ार बीड़ियों के लिए जो सामग्री दी जाती है, बीड़ियां उससे कम बनती हैं. इसका ख़ामियाज़ा भी कारीगर को उठाना पड़ता है. एक हज़ार बीड़ियों में से 100–150 तो बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले, ठीक न बनी होने का बहाना बनाकर अलग कर देते हैं. इस प्रकार की बीड़ियों को छांट या छांटी कहते हैं और उनकी मज़दूरी भी काट ली जाती है. इन बीड़ियों पर कारखाना मालिक कोई दूसरा लेबिल लगा कर बेच देता है.

एक बीड़ी मज़दूर दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद रात तक एक हज़ार बीड़ियां बना पाता है. शहर के विभिन्न इलाक़ों में बीस–पच्चीस कारीगर मिल–बैठकर बीड़ियां बनाते हैं. सीलन भरी तंग गलियों में, जहां धूप तक नहीं पहुंच पाती है, ये बीड़ी बनाते हैं. आवश्यक धूप और शुद्ध हवा न मिलने के कारण उन्हें कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं. तंबाकू के छोटे–छोटे कण सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचकर इनको टी.वी. और पीलिया जैसे रोगों का मरीज बना देते हैं. पिछले दिनों किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अमरोहा के 65 प्रतिशत से अधिक बीड़ी मज़दूर इन रोगों की गिरफ़्त में हैं. बीड़ी मज़दूरों में से किसी को भी बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी, काम के घंटे, भविष्य निधि, मनोरंजन व चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. तमाम नियम क़ानूनों के रहते आज भी महिला बीड़ी मज़दूरों को न्यूनतम बीड़ी मज़दूरी से भी कम दर दी जाती है.

इस धंधे में लगे बाल–श्रमिकों की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय है. क्षेत्र के कुल बीड़ी मज़दूरों का लगभग 15 प्रतिशत बाल मज़दूर है जो बीड़ी की नक्की लगाने (मुंह बंद करने), तैयार बीड़ियों पर सूत लपेटने या बंडलों पर झिल्ली (काग़ज़ रेपर) और लेबिल चिपकाने का काम करते हैं.

बीड़ी एवं सिगार एक्ट में बीड़ी मज़दूरों के लिए परिचय पत्र जारी करने का नियम है. यह परिचय पत्र उस कारखाना मालिक के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाना चाहिए जिसकी बीड़ियां वह मज़दूर बनाता है. लेकिन कारखाना मालिक स्थानीय श्रम अधिकारियों की मिलीभगत से क़ानून का खुलेआम उल्लंघन करते हैं. पिछले दिनों नगर में बीड़ी मज़दूरों के लिए एक चल चिकित्सालय की शुरूआत की गई है. यहां से उन्हीं बीड़ी मज़दूरों को दवा मिलती है जिनके पास परिचय पत्र हैं लेकिन ऐसे मज़दूरों की संख्या कम ही है. नगर के अधिकांश बीड़ी कारखानों के मालिकों ने गिनती के परिचय पत्र जारी किए हैं. ऐसी स्थिति में बड़ी तादाद में घर बैठकर बीड़ी बनाने वाली महिलाएं व बच्चे चिकित्सा के लिए या तो नीम हकीमों की शरण लेते हैं या फिर इधर उधर करके महंगे डाक्टरों के पास जाते हैं. इस बारे में कुछ बीड़ी मज़दूरों ने बताया कि उनके कार्ड पिछले कई महीनों से कारखाना मालिकों के पास बने पड़े हैं, लेकिन वह उन पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में उन्हें निर्धारित सुविधाएं देनी पड़ेगी. बीड़ी मज़दूरों का शोषण करने वालों के समानांतर वे सूदखोर महाजन हैं, जिनसे बीड़ी मज़दूर अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा उधार लेते हैं. चार से छह प्रतिशत के मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लेने के लिए बीड़ी मज़दूर को महाजन की चिरौरी करनी पड़ती है. कमोबेश सभी मज़दूर आकंठ क़र्ज़ में डूबे हैं. एक बार क़र्ज़ लेने के बाद बीड़ी मज़दूर इन महाजनों के चंगुल से निकल नहीं पाता है.

होता यह है कि जब कोई बीड़ी मज़दूर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन महाजनों के चंगुल में फंसता है तो वह मूल धन और ब्याज की रक़म लौटाने के लिए अपने व्यवसाय में परिवार के दूसरे सदस्यों को भी शामिल कर लेता है और घर का हर सदस्य बीड़ियां बनाने में जुट जाता है. नतीजन बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते. बीड़ी निर्माता एक तरफ़ मज़दूरों का शोषण करता है तो दूसरी ओर सरकार और उपभोक्ता को गुमराह करके भारी मुनाफ़ा कमाता है.

बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन उ.प्र. के प्रदेश अध्यक्ष इक़बाल हुसैन राज्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं. प्रदेश के श्रम मंत्री बादशाह सिंह अध्यक्ष तथा कल्याण आयुक्त भारत सरकार, उपाध्यक्ष हैं. समिति के तीन अन्य सदस्य हैं, लेकिन बीड़ी श्रमिकों के कल्याण में इस समिति ने क्या भूमिका अदा की है, यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है.केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय भारत सरकार के कानपुर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भारी–भरकम राशि बीड़ी श्रमिकों के कल्याण और प्रशिक्षण हेतु देती है. लेकिन इस राशि का दुरूपयोग हो रहा है. बीड़ी श्रमिकों को स्वावलंबी बनाने हेतु कोई परियोजना आजतक कारगर नहीं हुई है. बुनियादी मूलभूत आवश्यकताओं को मोहताज बीड़ी श्रमिक तपेदिक के शिकार होकर लम्हा–लम्हा मौत के आगोश में जाने को विवश हैं. अमरोहा की हमीरा को दो वक़्त का खाना देने वाली बीड़ी ने जानलेवा तपेदिक का शिकार बनाया है, लेकिन बीड़ी कारखाने वालों के पास कोई प्रमाण न होने के कारण इलाज की सरकारी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है जिससे वह इलाज करा सके.

बीड़ी का चलन कम होने के कारण बीड़ी श्रमिक दोनों ओर से शोषण के शिकार हो रहे हैं. सरकार का ध्यान नहीं है और मज़दूरी के अवसर कम होने के कारण बीड़ी कारखाना के मालिकों के रहमो करम के आगे मुंह बंद रखने में ही भलाई है. दूसरा कोई काम न जानने के कारण घर का चूल्हा न जलेगा, यह डर उन्हें खामोश बना देता है. आज़ादी के छह दशकों के बाद भी आज़ादी सिर्फ़ किताबों में दिख रही है. बजीरन कुछ इसी अंदाज़ में अपना दर्द बयान करती है, रोटी और रोजी को तरसते हम जाएं तो जाएं कहां?

feedback@chauthiduniya.com

“प्रदेश में बीड़ी बनाने के छोटे बड़े 500 से अधिक कारखाने हैं. इनके सैकड़ों प्रचलित ब्रांड हैं जो क्षेत्र तथा दूरदराज के इलाक़ों में बिकते हैं. बीड़ी मज़दूरों में आधे से अधिक महिलाएं व बच्चे हैं. बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदू के पत्ते को फर्मो से काटने और तैयार माल की पैकिंग तक में छोटे-छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करते हैं.”

कुरान कहता है कि मस्जिदों को उड़ाने वाले, निर्दोष लोगों को जलाने वाले, उनकी हत्या करने वालों को दोज़ख़ की आग में जलना पड़ता है.

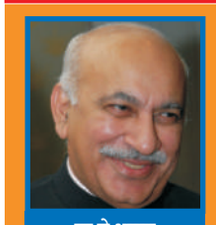

एम जे अकबर

केवल उद्देश्य अच्छा होने से बात नहीं बनती

ज़्यादा उत्साह स्पष्ट लक्ष्यों का कोई विकल्प नहीं है. महिला आरक्षण बिल की नेकनीयती को लेकर कोई संदेह नहीं, समस्या तो बिल के प्रावधानों को अमल में लाने के तरीक़ों पर है. ऐसा लगता है, जैसे राजनीतिक रूप से सही दिखने की चाहत में राजनीतिक वास्तविकताओं को परे रख दिया गया है. महिलाओं को आरक्षण क्यों चाहिए. आबादी के हिसाब से देखें तो चुनावी गणित में वे सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं. देश का हर दूसरा वोटर एक महिला है. यदि यह वोट बैंक लिंग को इतनी अहमियत देता तो अधिसंख्य सांसद महिलाएं ही होतीं. लेकिन, वास्तविकताओं की कसौटी पर सिद्धांत अक्सर खरे नहीं उतर पाते हैं और कई बार तो उनके बीच ज़मीन–आसमान का फ़र्क़ नज़र आता है.

कोई भी राजनीतिक दल जब अपने प्रत्याशियों का चुनाव करता है तो उसका सबसे बड़ा आधार उसकी जीत हासिल करने की संभावना होती है. देश की दो सबसे शक्तिशाली महिला राजनीतिज्ञ, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित मौजूदा समय में दिल्ली में कांग्रेस की खेवनहार हैं. उनकी धर्म निरपेक्ष विचारधारा पर भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है. इन दोनों ने मिलकर लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सात सीटों के लिए केवल एक महिला को चुना, जो अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं आतीं. जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना, लेकिन जब उनकी जीतने की संभावना संदेहास्पद दिखने लगी तो उनके नाम वापस ले लिए गए. यही राजनीति की हक़ीक़त है और यही वजह है कि महिला आरक्षण का मुद्दा इतना ज़ोर पकड़ने लगा, क्योंकि जब सभी प्रत्याशी महिला ही हों तो जीतने की संभावना का फैक्टर पृष्ठभूमि में चला जाता है. लेकिन, सभी महिलाएं एक ही विचारधारा को नहीं मानतीं. उनकी सोच अलग–अलग होती है, जो उनकी सामाजिक–आर्थिक हालत की ज़मीन पर तैयार होती है. जिस तरह लिंग–भेद रहित चुनाव में पुरूष स्वाभाविक रूप से महिलाओं के मुक़ाबले बढ़त की हालत में होते हैं, उसी तरह जाति, धर्म या सामाजिक–आर्थिक कारकों के चलते महिलाओं का एक वर्ग भी अन्य महिलाओं से बढ़त की हालत में होता है. जिस तर्क के आधार पर पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है, वही तर्क आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग को भी जायज़ ठहराता है.

सशक्तीकरण हर महिला का अधिकार होना चाहिए, न कि किसी वर्ग विशेष का. इस तर्क, कि क़ानूनी बाध्यताओं के बिना भी राजनीतिक दल चाहें तो किसी खास जाति या धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को अपना प्रत्याशी बना सकते हैं, में कोई दम नहीं है. आख़िर पिछले छह दशकों में भाजपा या कांग्रेस पार्टी चाहती तो महिलाओं को आधी सीटों पर अपना उम्मीदवार बना सकती थी. उन्हें ऐसा करने से किसी ने भी नहीं रोका था, लेकिन उन्होंने नहीं किया. कोटे के भीतर कोटे का प्रावधान न हो तो महिलाओं के सशक्तीकरण का उद्देश्य उनके लिए आरक्षित सीटों पर भी जीतने की संभावना वाले फैक्टर की भेंट चढ़ जाएगा. चूंकि यह कोई सामान्य बिल नहीं, बल्कि एक संवैधानिक संशोधन है, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें ऐसे प्रावधान किए जाएं, जिनसे इसकी वैधता को कठघरे में खड़ा न किया जा सके. इतना ही नहीं, बिल में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, जो देश में संसदीय व्यवस्था की पहले से कमज़ोर पड़ी साख को और कमज़ोर कर सकते हैं.

हमारे संसदीय लोकतंत्र का आधार उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच एक करार है. जीतने वाले उम्मीदवार से वोट के बदले उस क्षेत्र के विकास की उम्मीद की जाती है. अपनी इस ज़िम्मेदारी का निर्वाह निर्वाचित सांसद कैसे करते हैं, यह उनके दोबारा निर्वाचन की संभावनाओं को प्रभावित करता है. हालांकि यह अकेला निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन ऐसा कारक ज़रूर है, जो सांसदों को थोड़ा–बहुत ही सही, व्यवहारिकता के धरातल पर आने को मजबूर करता है. 108वें संविधान संशोधन विधेयक में सीटों को बारी–बारी से आरक्षित किए जाने का प्रावधान है. इसका मतलब है कि लोकसभा के क़रीब दो–तिहाई अर्थात 360 सदस्य एक बार ही अपने क्षेत्र से चुने जा सकेंगे. इनमें 181 वे सीटें हैं, जो पहली बार आरक्षित होंगी और 181 वे सीटें हैं, जिन्हें अगले चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा. इन दो श्रेणियों में आने वाली सीटों पर जीते हुए उम्मीदवार दोबारा चुनाव लड़ने की हालत में नहीं होंगे. हालांकि, कोई महिला उम्मीदवार चाहे तो अपनी सीट के अनारक्षित होने के बाद भी उस सीट से दोबारा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम ही है. इस तरह लोकसभा के दो–तिहाई सदस्यों के पास अपने चुनाव क्षेत्र पर ध्यान देने का कोई राजनीतिक मक़सद नहीं होगा. राजनीति में नैतिकता की जो हालत है, उसे देखते हुए यह व्यवस्था सांसदों एवं मंत्रियों को अपने कार्यकाल के भीतर अपने व्यक्तिगत हितसाधन का लाइसेंस देने के समान होगी. लोग यह तर्क दे सकते हैं कि इससे ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राष्ट्रीय या अपने क्षेत्र विशेष के विकास के मामले में सांसद पहले भी अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर भागते रहे हैं. यदि हम इस राजनीतिक हक़ीक़त से वाक़िफ़ हैं तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले को विजयी मानने की प्रचलित विचारधारा की जगह हमें देश में संसदीय लोकतंत्र की दूसरी परिभाषा तलाश करनी होगी. इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि राजनीतिक दल मिले वोटों के अनुपात में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद में नामित करें. इस आधार पर संसद के दो–तिहाई सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है. इस तरीक़े से सांसद और मतदाताओं के बीच सीधे संबंध को आधिकारिक रूप से ख़त्म किया जा सकता है. राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व के लिए यह व्यवस्था बिन मांगी मुराद से कम नहीं होगी.

यदि इस ओर ध्यान दिया जाए तो महिला आरक्षण बिल की कमियों को आसानी से दूर किया जा सकता है. लेकिन, अब तक जो देखने को मिला है, उसमें ऐसी संभावना नहीं बनती. बिल के समर्थक अपनी कामयाबी पर इतराते नहीं थक रहे, जबकि इसके विरोधियों को लगता है कि हल्ला–हंगामा करने भर से उनके तर्कों को मान लिया जाएगा. बिल के समर्थकों ने अपनी ख़ुशी जताने के लिए मीडिया का सहारा लिया तो उसके विरोधियों ने अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए भी मीडिया के इतर साधनों का भी बख़ूबी इस्तेमाल किया. कांग्रेस पार्टी शुरुआत में तो बिल को लेकर काफी उत्साह में थी, लेकिन जब देश के अलग–अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं मिलने लगीं तो उसके क़दम डगमगाने लगे. सरकार राजनीतिक दलों के विरोध से निश्चिंत थी, लेकिन वह मतदाताओं की नाराज़गी का ख़तरा मोल नहीं ले सकती. महिलाओं का सशक्तीकरण एक आवश्यक और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इसे हासिल करने का रास्ता क्या हो, इस पर गंभीरता से तार्किक आधार पर विचार किए जाने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

डॉ. ताहिर उल क़ादरी

आतंकियों के ख़िलाफ़ जारी हुआ फ़तवा

पिछले एक साल से पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है–आतंकी जुमे के दौरान मस्जिदों में हमले कर रहे हैं, स्कूलों को जलाया जा रहा है, महिलाओं का क़त्ल हो रहा है, क़ब्र में पड़े मुर्दों को निकाला जा रहा है, ज़िंदा लोगों का सर क़लम कर उन्हें पेड़ों से लटकाया जा रहा है. इन हालातों के मद्देनज़र यह फ़तवा जारी करना मजबूरी है, यह बताने के लिए कि इस्लाम धर्म में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है.

600 पृष्ठों का यह फ़तवा इस्लामिक धर्मशास्त्र के चारों धड़ों पर आधारित है–हनफ़ी, शफ़ई, हंबली एवं मलिकी और शिया समुदाय का जाफरी. मैंने इस्लामिक विचारधारा से जुड़े सैकड़ों किताबों, विद्वानों और हदीस का अध्ययन किया है. इन सारे खोजबीन का एक ही सार है कि आत्मघाती हमलों जैसे आतंकी कार्रवाईयों को किसी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता. इस मामले में कोई दो राय नहीं है, कोई अपवाद नहीं है. क़ुरान और सुन्नत में इसके लिए कोई जगह नहीं है.

कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि इस्लाम में आत्मघाती हमलों की मनाही है, यह सही है लेकिन ऐसा करने वालों को धर्म के ख़िलाफ़ घोषित करना मामले को ज़रूरत से ज़्यादा खींचने जैसा है. मैं यह नहीं कहता कि यदि कोई किसी का क़त्ल करता है तो वह अधार्मिक है, बल्कि मेरा यह मानना है कि ऐसा करने वाले लोग यदि यह सोचकर लोगों की हत्या करते हैं कि यह इस्लामिक भावनाओं के अनुरूप है तो यह ग़लत है और मैं उन्हें अधार्मिक मानता हूं.

धर्म की ग़लत व्याख्या के सहारे आतंकी कार्रवाई निर्दोष मुसलमानों और ग़ैर–मुसलमानों को मारने वाले लोग इस्लाम के अनुयायी हो ही नहीं सकते. दरअसल, ऐसा करने वाले लोग धर्म की नज़र में कुफ़्र हैं.

क़ुरान कहता है कि मस्जिदों को उड़ाने वाले, निर्दोष लोगों को जलाने वाले, उनकी हत्या करने वालों को दोज़ख़ की आग में जलना पड़ता है.

मैंने इसके दूसरे पक्ष का भी अध्ययन किया है. अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि अरब देशों के मुस्लिम शासक या ग़ैर–मुस्लिम इस्लामिक क़ानून को तवज्जो नहीं देते और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारी ज़िम्मेदारी है. यह बिल्कुल बकवास तर्क है. इस्लाम की रक्षा के नाम पर या ग़ैर–मुस्लिम शासकों के ख़िलाफ़ बदले की भावना से हथियार उठाना कहीं से भी जायज़ नहीं है. यह तो राज्य और शासन का मामला है.

पैगंबर मोहम्मद (स.) ने जब अपने साथियों से कहा था कि ख़राब शासक आएंगे और लोगों को इससे परेशानी होगी, तो अनुयायियों ने पूछा कि क्या ऐसे शासकों के ख़िलाफ़ तलवार उठाना जायज़ नहीं है. लेकिन पैग़ंबर ने इससे साफ़ इंकार कर दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुसलमानों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं है.

विदेशी ताक़तों के ख़िलाफ़ हथियार उठाने के तर्क में भी कोई दम नहीं है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानून बना है और उसके अनुरूप क़दम उठाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है. यदि व्यक्तिगत या सांगठनिक स्तर पर लोग बदले की कार्रवाई करने लगे तो पूरी दुनिया से क़ानून का शासन ख़त्म हो जाएगा. चारों ओर अराजकता फैल जाएगी और लोगों के क़त्लेआम से ख़ून की नदियां बहने लगेंगी.

पैगंबर मोहम्मद (स.)ने एक संदेश दिया था. उन्होंने बताया था कि इस्लाम धर्म को बार–बार खरीजों से मुकाबिल होना पड़ेगा. ख़रीजों का मानना यह है कि जो उनके विचारों से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और उन्हें मार देना चाहिए. हर मुश्किल से निबटने का उनके पास एक ही हथियार होता है, सत्ता और

तलवार. वो उस्मान और अली के दौर में पैदा हुए और उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी.

पैगंबर मोहम्मद (स.) ने कहा कि ख़रीज बार–बार आएंगे, अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग रूपों में, अलग–अलग नामों के साथ आएंगे. वो आख़िरी बार इसाई धर्म के ख़िलाफ़ जंग में सिपाही बनकर आएंगे और लोगों का क़त्लेआम करेंगे.

अल–क़ायदा नए नाम के साथ एक पुराना दुश्मन है. दरअसल, नए नाम के साथ यह ख़रीजों का ही नया अवतार है. इसके सदस्य ख़रीजों की तरह ही ग़लत जानकारी के शिकार हैं. हालांकि, वे धार्मिक आस्था वाले लोग हैं लेकिन उन्हें ऐसी घुट्टी पिलाई गई है कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं.

ऐसे लोग जिन्होंने पहले ही आत्मघाती हमलावर बनने का फ़ैसला कर लिया है, उनके दिमाग़ पर पट्टी चढ़ी हुई है. मैं उन्हें इन सब बातों में शरीक नहीं करता क्योंकि वो अपने स्वार्थ में अंधे हैं. मैं केवल ऐसे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं जो अभी तक अंधेपन का शिकार नहीं हुए, लेकिन उसी रास्ते पर चल रहे हैं.

सुसाइड अटैक या आत्मघाती हमलों के ख़िलाफ़ पहले भी कई बार फ़तवे ज़ारी किए गए हैं, कई बार बयान भी ज़ारी किया जा चुका है. कई बार ऐसे फ़तवे जारी किए गए जिन पर सैकड़ों विद्वानों ने अपने हस्ताक्षर किए लेकिन फ़तवे के समर्थन में कोई तर्क नहीं दिया गया. ऐसे फ़तवों से लोगों की जिज्ञासाएं ख़त्म नहीं हो पाईं, उनकी सभी शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया.

अभी हज़ारों ऐसे वेबसाइट हैं जिन्हें आतंकी संगठन चलाते हैं और ग़लत मान्यताओं का प्रचार–प्रसार करते हैं. प्रगतिशीलता का दावा करने वाले अधिकांश लोगों की जानकारी ग़लत है और वो जेहाद की ग़लत व्याख्या करते हैं. यह तथ्य ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन देशों में रहने वाले मुसलमान अधिकतर दक्षिण एशियाई मूल के ही हैं.

अक्सर देखा गया है कि आतंकी संगठन आबादी के इस वर्ग को अपना निशाना बनाते हैं, अपने हिंसक वारदातों के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं. ब्रिटेन और अन्य देशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को पहले अपने ग़लत विचारों की घुट्टी पिलाते हैं और फिर उन्हें आत्मघाती दस्तों में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं. मेरा विश्वास है कि मेरे तर्कों से वे पुनर्विचार करने को बाध्य होंगे और यह महसूस करेंगे कि उनकी जानकारी ग़लत है.

रास्ते से भटके हुए तमाम लोगों के लिए इस फ़तवे को उर्दू और अंग्रेज़ी में जारी किया गया है और अब इसका अरबी भाषा में अनुवाद कर उसे प्रसारित किया जा रहा है. इसके बाद इसे अन्य भाषाओं में भी अनूदित कर इंटरनेट के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा. अल्लाह की मर्ज़ी रही तो हम अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच कर अपना संदेश उन्हें देने की हरसंभव कोशिश करेंगे. इसकी शुरुआत हो भी चुकी है. अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस सिलसिले में हमसे संपर्क किया है. वो इस फ़तवे को पारसी और पश्तो भाषाओं में प्रचारित करना चाहते हैं. ऐसे काम आगे भी जारी रहेंगे.

पाकिस्तान में कई धार्मिक विद्वानों ने हाल के दिनों मे स्वात घाटी और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में सैन्य कार्यवाही की निंदा की है. उनका तर्क है कि आतंकी कार्रवाईयों के ख़िलाफ़ उन्होंने पहले ही अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि बयान देने भर से उनकी ज़िम्मेदारियां ख़त्म नहीं हो जाती. और सैन्य कार्यवाही की निंदा कर या उस पर चुप्पी साधकर वे आम लोगों के ज़हन में संशय को जन्म दे रहे हैं.

एक ओर जहां मुसलमान समुदाय आतंक के ख़िलाफ़ जंग में अपनी भूमिका निभाते हुए इसे इस्लाम के ख़िलाफ़ साबित करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं. निडर होकर और खुल कर आलोचना करने के बजाय उनके चुप रहने से मामला संदेहास्पद होता जा रहा है. इस फ़तवे के बाद ऐसे लोगों को बल मिलेगा और उम्मीद है कि ज़्यादा लोग खुल कर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आगे आएंगे. कई लोग अंदर से डरे हुए हैं और उनका डरना जायज़ भी है. हाल ही में मेरे एक पाकिस्तानी मित्र, जिसने आतंकी वारदातों की निंदा की थी, का क़त्ल कर दिया गया. मुझे भरोसा है कि यह फ़तवा जब लोगों तक पहुंचेगा तो आतंक के ख़िलाफ़ उनके इरादों को मज़बूती मिलेगी.

मिनहाज–उल–क़ुरान इंटरनेशनल, लंदन

feedback@chauthiduniya.com

दूसरों को रास्ता दिखाने वाला अख़बार

मैं चौथी दुनिया का पुराना पाठक हूं किंतु कुछ समय के लिए इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो जाने से दुखी था. अतः पत्र के दोबारा बाजार में जाने के कारण मुझे अत्यंत ख़ुशी हुई है. 8 से 14 मार्च का अंक देखा और लगातार उसे पढ़ गया. अख़बार अभी भी पुराने तेवर में है. अच्छा लगा. आर.टी.आई. की मुहिम जनता के लिए मील का पत्थर है.

विनय कुमार निषाद, रानीपुर, उत्तर प्रदेश

अख़बार का कालम मेरी दुनिया बहुत ही अच्छा और सटीक है. ऐसा लगता है कि कार्टून सीधे व्यवस्था पर प्रहार करता है

रणविजय सिंह, महेंद्रू, पटना

चौथी दुनिया अख़बार मैंने पहली बार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर देखा तो देखते ही मन को भा गया. इसमें रंगों का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है. ऐसा अख़बार मैंने पहली बार देखा है. इतने रंगीन पेज केवल 5 रुपए में आप बेच रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?

अंकुर उपाध्याय, भजनपुरा, दिल्ली

आर.टी.आई. का कॉलम बहुत ही बढ़िया लगा. इससे जनता को ऐसी जानकारी मिल रही है जिससे वह अनभिज्ञ थी. अब इसके माध्यम से लोग अपनी समस्याओं के लिए आपसे मदद ले सकते हैं और न्याय पाने की उम्मीद रख सकते हैं. ऐसा कॉलम पहली बार किसी अखबार में देखा गया है जिसमें जनता का ख्याल रखा जा रहा है.

रमेश चंद्र लखेड़ा, एस–27, एस. गार्डेन–1, साहिबाबाद

मैं चौथी दनिया का नियमित पाठक हूं. बिहार का एडिशन भी बहुत बढ़िया लगा. कुछ समय बाद चौथी दुनिया अख़बार अपनी पुरानी पहचान बना लेगा क्योंकि यह अपने काम पर खरा उतर रहा है. अख़बार वाकई में क़ाबिले तारीफ़ है.

सीताराम जैन, मोकामा, पटना

आरटीआई का हथियार

पहले मैं अपने अधिकारों से अंजान था, ऐसा लगता था कि मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा. लेकिन चौथी दुनिया में आरटीआई की जानकारी से हम लोगों के मन में कुछ आशा की किरण जगी है. हमें लग रहा है कि शायद अब हमें इंसाफ मिलेगा. मैं यहां अपनी एक परेशानी के बारे में बताना चाहूंगा. आपसे अनुरोध है कि उसे प्रकाशित करें. सीमरी बख्तियार पुर प्रखंड, अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी राजेश कुमार और खाद्य आपूर्ति अधिकारी को भी आवेदन दिया, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत की वजह से वे जांच करने तक नहीं आए. जनवितरण प्रणाली के सही नहीं रहने के कारण जनमानस में आक्रोश का माहौल छाया हुआ है. मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भेजा. फिर भी कोई कार्य की आशा नहीं दिख रही है. मैं अनुमंडल अधिकारी को आवेदन भेज रहा हूं. क्या इससे कोई समाधान हो सकेगा?

सुभाष चंद्र राय, ग्राम–बहावां, पो.–गोपालपुर, सहरसा, बिहार.

चौथी दुनिया में समाचार, पत्र एवं आलेखों को पाठक इंतज़ार करके पढ़ते हैं. इसलिए यह पत्र हर राजनीति करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत हो गई है. इसके माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी समाज में बेहद सक्रिय महिला है और उनका समाज में इतना काम है कि उन्हें चुनाव लड़कर जीतने का पूरा भरोसा है. क्या चौथी दुनिया इसमें मदद कर सकता है?

राजेंद्र यादव, मछियार, जमुई

राजेंद्र जी, अख़बार का काम किसी को टिकट दिलाना नहीं होता है, आप अपने दल के नेताओं से मिलें. हमारा काम प्रामाणिक सबूतों के आधार पर जनता के सामने सच को प्रकाशित करना है–सं.

झूठ है मुस्लिम आरक्षण की बात

आंध्र प्रदेश सरकार के मुस्लिम आरक्षण संबंधी फ़ैसले को उच्च न्यायालय ने यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है. स्पष्ट है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा. इस बात को सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन आश्चर्यजनक है कि जिस दिन आंध्र सरकार के फ़ैसले को कोर्ट ने ख़ारिज किया उसी दिन पं. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने मुस्लिमों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी. इस बात को सभी जान रहे हैं कि इसका हश्र भी आंध्र प्रदेश जैसा ही होगा. इस बात से प.बंगाल की सरकार भी अंजान नहीं है. आज जितने भी दल अपने को मुस्लिम हितैषी बताते हैं वे मुस्लिमों को बेवकूफ समझते भी हैं और बनाते भी हैं. उदाहरण के तौर पर हम आंध्र प्रदेश या प.बंगाल की सरकार को रख सकते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा था कि सत्ता में आने पर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे. जब कि वे इस बात को जानते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है. फिर भी ऐसा करके उसने, मुर्दा जन्नत में जाए या जहन्नम में– हमें हलवा पूरी से मतलब,वाली कहावत को ही चरितार्थ किया. आज यदि मुस्लिम आरक्षण विधेयक संसद में लाया जाता है तो इसकी पूरी संभावना है कि यह सदन में पास हो जाएगा. क्योंकि आज का समय इसके अनुकूल है. केंद्र की यू.पी.ए सरकार के अलावा तीसरा मोर्चा एवं एन.डी.ए. के कुछ घटक दल भी मुस्लिम वोट के लिए इस विधेयक का समर्थन करेंगे. यदि कोई दल किसी बहाने से इसका विरोध करेगा तो कम से कम उसका असली चेहरा तो सामने आ ही जाएगा.

मो. मसीह इमाम पप्पू, सुलिंदाबाद, सहरसा, बिहार

शिक्षा का अधिकार

चौथी दुनिया ने सरकार द्वारा अप्रैल महीने से बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले अधिकार की जानकारी देकर बहुत अच्छा काम किया है. हम तो चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपडा, मकान , स्वास्थ्य और शिक्षा का ऐसा अधिकार मिले कि सरकार इसे लागू करने पर मजबूर हो. आजादी के इन 63 वर्षों बाद भी अगर हमारे देश के कर्णधार अपने नागरिकों को ये मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो यह हमसे ज्यादा सरकार के लिए शर्म की बात है. हमें याद है कि बिहार में आज से 36 बरस पहले जो सबसे लोकप्रिय आंदोलन हुआ था, उसमें ये तमाम बातें रखीं गई थीं. उसके बाद कांग्रेस के अलावा दूसरे सभी दलों की सरकारें भी बनीं. इसके बावजूद कोई बडा बदलाव नहीं हो सका.

संजय वर्मा, डोरांडा, रांची

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं. संपादक, चौथी दुनिया, एफ–2, सेक्टर - 11 नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301
ई–मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सरकार फिर जनता के ख़िलाफ़

बजट सत्र के पूर्वार्ध में लोकसभा में परमाणु दायित्व विधेयक (न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल) आना था, लेकिन विरोधी दल के सदस्यों के दबाव की वजह से यह संभव नहीं हो पाया. अख़बारों में यह ख़बर पहले छप गई, जिसकी वजह से संसद सदस्यों को लगा कि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए. इस बिल को देखकर डर लगता है कि केंद्र सरकार आख़िर किन के हित के लिए काम कर रही है. इस बिल के पीछे की कहानी हमें एक बार फिर याद करनी चाहिए.

बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका और भारत के बीच परमाणु समझौता हुआ. भारत में इस पर बहुत सवाल उठाए गए थे. पहला सवाल था कि भारत की आवश्यकता की केवल तीन से चार प्रतिशत बिजली की आपूर्ति ही परमाणु बिजलीघरों से हो पाएगी, इसके लिए इतना ख़र्च क्यों किया जा रहा है. जबकि पूरे ख़र्च के एक तिहाई हिस्से में ही हमारे मौजूदा बिजलीघरों की क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है और उनका आधुनिकीकरण भी हो सकता है. इससे पंद्रह प्रतिशत उत्पादन बढ़ सकता है.

दूसरा सवाल था कि अमेरिका में 1967 के बाद परमाणु बिजली पर कोई रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट कार्टर ने एक दुर्घटना के बाद इसका उत्पादन रुकवा दिया था. वहां की परमाणु इंडस्ट्री बंद पड़ी थी और जंक थी. वही सारा सामान भारत आना है. क्या हम अमेरिका की बंद पड़ी परमाणु इंडस्ट्री को दोबारा चलाना चाहते हैं या उनका ज़ंग खाया बिजलीघर भारत में लाना चाहते हैं. इसकी जल्दबाज़ी का कारण था कि बुश ने अपने यहां परमाणु इंडस्ट्री से बड़ा चंदा इस वादे के साथ लिया था कि वह भारत में सारा सामान भिजवा देंगे और उन्हें उनका अनाप-शनाप पैसा दिलवा देंगे.

हम भारत के ग़रीब जी हुज़ूरी करने वाले लोग क्या भारत सरकार माई-बाप से पूछ सकते हैं कि आप क्यों भारत के लोगों की क़िस्मत का सौदा कर रहे हैं? आपकी कौन सी कमज़ोरी ऐसी है, जो आपको अमेरिकी शर्तों को बेशर्मी से मानने के लिए मजबूर कर रही है.

तीसरी चिंता थी कि इससे पैदा होने वाली बिजली की क़ीमत कितने रुपये यूनिट होगी. ये परमाणु बिजलीघर दस सालों के बाद लगेंगे और तब तक हमारी बिजली की ज़रूरत कितनी बढ़ जाएगी. एक अनुमान के अनुसार, उस वक़्त हमें बिजली 25 से 30 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिला करेगी. इतनी महंगी बिजली क्या भारत के किसानों और उद्योगों के हित में होगी?

चौथी चिंता थी कि हमारे रिश्ते किसी पड़ोसी से ठीक नहीं हैं. हम उन्हें बैठे बिठाए पैंतालिस से पचपन टारगेट दे रहे हैं, जिन्हें वे युद्ध की स्थिति में आसानी से निशाना बना सकते हैं. हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी कितनी आबादी नष्ट हो जाएगी. इनकी रक्षा के लिए हमें मिसाइल सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसके ख़र्चे का अभी तक कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा रहा है.

पांचवीं चिंता थी कि हमारे यहां मानवीय भूल से भी दुर्घटनाएं होती हैं. हम जातिवादी, धार्मिक अलगाव और अंतर्धार्मिक समस्याओं से घिरे हैं. देश में ऐसी ताक़तें बहुत हैं, जो इन्हें बढ़ाना चाहती हैं. एक चेर्नोबिल ने पूरे रूस को हिला दिया था. वह साइबेरिया में था, इसके बावजूद तीन सौ किलोमीटर के दायरे में तबाही मची थी और आज भी इसका असर है. रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है. हमारे यहां भूकंप भी आते हैं. अगर इनमें से किसी कारण से दुर्घटना हो गई तो क्या होगा?

जम्मू से कन्याकुमारी तक पैंतालिस से पचपन की संख्या में परमाणु बिजलीघर बनने वाले हैं. हमारे यहां कोई ऐसी जगह नहीं है, जहां आबादी न हो. अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी मौतें होंगी.

इन सारे सवालों को दरकिनार कर संसद ने परमाणु समझौता बिल पास कर दिया. बिल कैसे पास हुआ और पास करने में मदद करने वाले सांसद आज क्या कह रहे हैं, सुनना चाहिए. यहीं परमाणु दायित्व विधेयक की मंशा पर सवाल उठता है. अगर कोई दुर्घटना हुई तो इसकी ज़िम्मेदार अमेरिकी कंपनी नहीं होगी. हालांकि सामान भी वही सप्लाई करेगी, सामान बनाएगी भी और हिंदुस्तान में उसे जोड़कर बिजलीघर बनाएगी भी. ज़िम्मेदार होंगे हम जो उन्हें पैसा भी देंगे, ख़राब उपकरण भी लेंगे और महंगी बिजली भी ख़रीदेंगे. दुर्घटना की स्थिति में हमारे यहां चाहे पांच सौ की मौतें हों, पांच लाख की हों या पांच करोड़ की, अमेरिकी कंपनी की ज़िम्मेवारी हमारी सरकार ने तय कर दी है. वे केवल पांच सौ करोड़ का जुर्माना देंगे. इसके आगे अगर कुछ होना है तो यहां की जनता जाने, क्योंकि सरकार कह सकती है कि जो बांटना है, इलाज कराना है, जलाना-फूंकना है या फिर आगे की ज़िंदगी का छोर तलाशना है, सब पांच सौ करोड़ रुपये में करो. पांच सौ करोड़ को छियालिस से भाग दीजिए, जो रक़म आएगी, वही अमेरिकी कंपनी की ज़िम्मेदारी बनेगी.

हम भारत के ग़रीब जी हुज़ूरी करने वाले लोग क्या भारत सरकार माई-बाप से पूछ सकते हैं कि आप क्यों भारत के लोगों की क़िस्मत का सौदा कर रहे हैं? आपकी कौन सी कमज़ोरी ऐसी है, जो आपको अमेरिकी शर्तों को बेशर्मी से मानने के लिए मजबूर कर रही है.

समझौते तक हमें लगा था कि शायद अच्छी आशा में यह समझौता किया गया है. पर यह बिल देखने के बाद लग रहा है कि हम सचमुच बेचे जा रहे हैं. क्या इस सरकार में सभी ऐसे हैं, जिन्हें देश के हित का कोई भी खयाल नहीं है? और क्या हो गया है विपक्षी दलों को, पहले तो नाम के लिए ही सही, धरना-प्रदर्शन कर लेते थे, पर अब लगता है उन्हें भी कुछ हिस्सेदारी मिल गई है और उन्होंने भी परमाणु सौदा पूरा करने वाली कंपनियों से कुछ हिस्सा ले लिया है. अख़बारों से और टेलीविज़न से आशा ही क्या करें, जिन्हें आज भी न महंगाई नज़र आती है और न बेरोज़गारी. उन्हें परमाणु हादसे के बाद होने वाली मौतें तो बिलकुल ही नहीं नज़र आतीं.

यह बिल भारत के आम आदमी, भारत की इज़्ज़त और भारतीय हित के ख़िलाफ़ है. इसके बाद भी हमें आशा है कि यह बिल बजट सत्र के उत्तरार्ध में आएगा और पास भी हो जाएगा. इस बिल के पास होते ही संभावित सामूहिक मौत ठहाका मार कर हंसेगी और भारत का भाग्य रोएगा.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

औरतों का मुक़ाम समाजी और सियासी दोनों है

डॉ. मंज़ूर आलम

सामाजिक जीवन में पुरुष-महिला का रिश्ता सबसे अहम है. उसका कारण यह है कि यह रिश्ता मानवीय संवेदना की बुनियाद है और इसमें मामूली सी ग़लती भी सामाजिक ढांचे को बदनुमा और दाग़दार बना सकती है. हमारा इतिहास औरतों पर होने वाले अत्याचार और पाबंदियों के कलंकित दृश्यों से भरा पड़ा है. कहीं तो उस महिला को, जो मां की हैसियत से इंसान को जन्म देती है और कहीं पत्नी की हैसियत से ज़िंदगी के हर सुख-दु:ख में मर्द की दोस्त रहती है, उसे दासी के दर्जे में रख दिया गया है. कहीं उसे बेचा-ख़रीदा जाता है और साथ-साथ उसे जायदाद के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है. उसे गुनाह और ज़िल्लत की मूरत समझा जाता है. उसके व्यक्तित्व को उभरने का कोई अवसर नहीं मिलता. दूसरी ओर हमें यह ग़लतफ़हमी हो जाती है कि औरत को ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, उसे ऊपर उठाया जा रहा है, समाज में उसे इज़्ज़त दी जा रही है और वह भी उस अंदाज़ से कि इसके साथ-साथ उसे चरित्रहीन साबित करके बेइज़्ज़त किया जा रहा है. वह मर्दों की इच्छाओं का खिलौना बनाई जाती है. हम जब उसे मानव समाज में देखते हैं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि मानों वह जननी न हो, शैतान की एजेंट हो.

यूनान, रोम, मसीही यूरोप और आधुनिक यूरोप में इंसान की हालत इतनी ख़राब है कि एक तरफ़ तो वह क़ौम है, जो वहशत और बरबरियत से निकल कर संस्कृति और सभ्यता की तरफ है तो वहां पर कम से कम उनकी महिलाएं और दासियां अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं. हालांकि शुरू में इन औरतों को मर्दों के साथ-साथ चलने पर उन्हें बहुत कुछ कहा जाता है, उन्हें रोका जाता है, फिर भी एक निश्चित स्थान पर पहुंच कर समाज यह महसूस करता है कि अब औरत अपनी तरक़्क़ी नहीं कर सकती और पुरुष को अपने विकास की गति थमती नज़र आती है और यहीं पर औरत जो मां, बहन, बीवी एवं बेटी हो सकती है, उसकी आवश्यकता का एहसास उसे मज़बूत करता है कि अब वह औरत को अपने साथ मिलाकर चले.

पर जब यही औरत मर्द के साथ-साथ चलना शुरू कर देती है तो वह सिर्फ साथ-साथ चलने पर ही नहीं रह जाती, बल्कि वह आगे बढ़ती चली जाती है. यहां तक कि महिला की आज़ादी इतनी बढ़ जाती है कि फिर वह अपनी आज़ादी के नशे में चूर अपने मर्द को कोई अहमियत नहीं देना चाहती और फिर वह मर्दों से खुलकर मिलती है. महिलाओं और पुरुषों के मिलाप से समाज में गंदगी पैदा हो जाती है और यहां तक कि महिलाओं की आजादी से परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं. ऐसी स्थिति कभी-कभी पूरी क़ौम को बर्बाद कर देती है और नैतिक विचारों के साथ मानसिक, शारीरिक और प्राकृतिक बर्बादी भी होती है.

परंतु यह इस्लाम ही है, जिसने समाज में औरत को वह स्थान और वह ऊंचाई बख़्शी है, जिसकी मिसाल दुनिया के किसी समाज में नहीं मिलती. मुस्लिम औरत दीन और दुनिया में अपनी सूझबूझ और रूहानी ताक़त से इज़्ज़त और तरक़्क़ी की उस ऊंचाई पर पहुंच सकती है, जहां तक मर्द पहुंचा हो और उसका औरत होना किसी भी तरह समाज में उसके मरतबे, उसकी हैसियत और उसके स्थान को कम नहीं करता. इस्लाम ने जो अधिकार दिए हैं, उनके अंतर्गत सबसे पहला अधिकार आर्थिक है. इस्लाम औरत को जायदाद में बहुत ही बड़ा अधिकार देता है. बाप से, पति से औलाद से एवं दूसरे क़रीबी रिश्तेदारों से उसे जायदाद में हिस्सा मिलता है और पति से उसे मेहर मिलता है. इन आम ज़रिये के अलावा जो कुछ उसे मिलता है, वे तमाम अधिकार उसे हर तरह से दिए गए हैं, जिसमें दख़ल देने का इख़्तियार न तो उसके बाप को हासिल है और न ही पति को. इसके अलावा वह किसी व्यापार में रुपया लगाकर या ख़ुद मेहनत कर कुछ कमाए तो उसकी मालिक भी केवल वही है. इस तरह इस्लाम ने औरत की आर्थिक हैसियत इतनी मज़बूत कर दी है कि कहीं-कहीं तो वह मर्द से बेहतर हालत में होती है. इसी तरह उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि वह अपनी पसंद का पति अपनी मर्ज़ी से चुन सकती है. उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी शख़्स उसका निकाह नहीं करा सकता है.

यूनान, रोम, मसीही यूरोप और आधुनिक यूरोप में इंसान की हालत इतनी ख़राब है कि एक तरफ़ तो वह क़ौम है, जो वहशत और बरबरियत से निकल कर संस्कृति और सभ्यता की तरफ है तो वहां पर कम से कम उनकी महिलाएं और दासियां अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं.

औरतों को दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने की न सिर्फ़ इजाज़त दी गई है, बल्कि उसे इतना ज़रूरी क़रार दिया गया है, जितना मर्दों की तालीम और तरबियत. यही नहीं, बल्कि इस्लाम में औरतों को बेहतर से बेहतर सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं. शरई सीमाओं की पाबंदी करते हुए सामाजिक ज़िम्मेदारियों में वह जिस तरह चाहे, हिस्सा ले सकती है. यही वजह है कि रसूल (स.) के शासनकाल में चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियां हों, आम लोगों के बीच में कुछ करना हो या औरतों की विशेष सांस्कृतिक मजलिस हो, समाजी कामों में औरतों की सेवाओं की ज़रूरत हो या जंग के बाद ज़ख़्मियों की देखरेख का मामला हो, हर जगह हमें मुस्लिम औरतें अपना काम बख़ूबी अदा करती हुई नज़र आती हैं.

इस्लाम चूंकि एक फ़ितरी दीन है और औरत जन्म से ही जननी है. बच्चे को जन्म देना, उसकी देखभाल करना, उनकी अच्छी तरह परवरिश करना आदि सब औरत के स्वभाव में है. बच्चे के भविष्य को संवारना, उसकी समस्याएं हल करना और उसे समाज में जूझने के क़ाबिल बनाना इन तमाम ज़िम्मेदारियों को औरत बड़ी ख़ूबी से अदा करती है. लेकिन इस्लाम मर्द और औरत दोनों से चाहता है कि दोनों गाड़ी के दो पहियों की तरह अपने कामों को बख़ूबी पूरा करें. सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में इस्लाम ने कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं की, बल्कि एक औरत जब मां के रूप में 40-45 साल की उम्र में पहुचती है तो उसके पास वक़्त भी होता है, सेहत भी अच्छी होती है और उसके पास अनुभव भी होता है. इसलिए उसके अंदर समाज के निर्माण और गठन की अभिलाषा भी होती है. उस अभिलाषा को पूरा करने की पूरी ज़िम्मेदारी समाज की है. यह किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं होगा कि इस्लाम का नाम लेकर उसे यह किरदार अदा करने से वंचित रखा जाए.

(लेखक ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं)

feedback@chauthiduniya.com

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इस्त्राइली सेना के 20,000 से ज्यादा जवानों पर रिसर्च किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं.

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

क्या पुलिस वाले आपकी नहीं सुनते?

चौथी दुनिया में आरटीआई कॉलम शुरू करने के पीछे हमारा मक़सद सिर्फ़ यही है कि इसके ज़रिए हम अपने पाठकों और आम आदमी को इतनी ताक़त दे सकें कि लोग व्यवस्था और सरकार से अपने अधिकार और हक़ के लिए सवाल पूछ सकें. साथ ही हमारा मक़सद यह भी है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद कर सकें. हमें ख़ुशी है कि लोग सवाल पूछना चाहते हैं और इसके लिए हमसे सलाह भी ले रहे हैं. हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके हर क़दम पर आपके साथ हैं. हम लगातार इस कॉलम में आपकी व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित आरटीआई आवेदन प्रकाशित करेंगे ताकि आपको अपना सवाल पूछने में आसानी हो. आप बस हमें पत्र, ई–मेल या फोन के ज़रिए अपनी समस्याओं के बारे में बताएं. इस अंक में भी हम बिहार के ओम प्रकाश जी की समस्या से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि यह आवेदन ओम प्रकाश जी को न्याय पाने की उनकी जंग में मददगार साबित होगी.

इस आवेदन के प्रकाशन के पीछे हमारा उद्देश्य अपने पाठकों को यह बताना है कि पुलिस विभाग से संबंधित मामलों में भी डरने या पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है. सूचना क़ानून और चौथी दुनिया आपके साथ है. अगर आपके द्वारा दायर एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप यहां प्रकाशित आरटीआई आवेदन का इस्तेमाल कर यह जान सकते हैं कि अब तक आपके एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है. और कार्रवाई नहीं करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम और पदनाम के बारे में भी सूचना मांगी जा सकती है. इस अंक में प्रकाशित आवेदन पर आप अगर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि इसमें पूछे गए सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं है. कोई भी पुलिस अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि उनकी लापरवाही या अकर्मण्यता सार्वजनिक हो. आरटीआई आवेदन न सिर्फ़ सूचना दिलाने का काम करता है बल्कि यह बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने का भी काम करता है. साथ ही, बरसों से जंग खाई व्यवस्था को सुधारने के लिए भी यह ज़रूरी है कि आप सवाल पूछें.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा, सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई–मेल कर सकते है या हमें पत्र भी लिख सकते है. हमारा पता है:–

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन –201301
ई–मेलः rti@chauthiduniya.com

सवाल–जवाब

पापा के हत्यारे को भगोड़ा घोषित कर दिया.

2005 में मेरे पापा मेरे भाई के इलाज के लिए दिल्ली गए थे. वहीं पर 28 जून को के एन झा नाम के एक व्यक्ति ने मेरे पापा को अपने स्कूटर से धक्का मारा, जिसकी वजह से मेरे पापा की इलाज के दौरान ही, मृत्यु हो गई. इस संबंध में बसंत कुंज थाने में एक एफआईआर दर्ज़ कराई गई. और मुआवज़े के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अभियुक्त के एन झा पर एक केस दाख़िल किया गया. लेकिन अब मेरे वकील ने सूचना दी है कि पुलिस ने के एन झा को भगोड़ा घोषित कर दिया है इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता. चौथी दुनिया में आरटीआई कॉलम पढ़ कर लगा कि मुझे प्रकाश मिल गया है. आपसे आग्रह है कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा की जाएं.

ओम प्रकाश आर्य, *रक्सौल, पूर्वी चंपारण, बिहार.*

सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपके द्वारा दर्ज़ कराए गए एफआईआर पर अब तक क्या प्रगति हुई है. इसलिए, आपकी सुविधा के लिए हमने इस अंक में आपके केस से जुड़े मामले के लिए एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित किया है. आप इस आवेदन को तत्काल दिल्ली पुलिस के पास दायर करें. फिर जो सूचना मिलती है, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई संभव है.

सिया देवी की मदद करें.

मैं चौथी दुनिया के इस क्रांतिकारी पहल का दिल से स्वागत करता हूं. मैं चाहता हूं कि आपका अख़बार नवादा के नारदीगंज प्रखंड के ओडो गांव की सिया देवी की मदद करे. पोस्टमास्टर ने सिया देवी को मिल रहे वृद्धा पेंशन को ग़लत उम्र बताने के आरोप के बाद उसका भुगतान रोक दिया तो सिया देवी ने डाक अधीक्षक, नवादा से आरटीआई के तहत इस संबंध में सूचनाएं मांगी. सूचना तो नहीं मिली, उल्टे सिया देवी पर एफआईआर दर्ज़ कराने का आदेश दे दिया गया. मामला राज्य सूचना आयोग में है.

अरविंद कुमार मिश्रा. *सचिव, मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान, पटना.*

फ़िलहाल आयोग के निर्णय का इंतज़ार करना होगा. वैसे आप चाहें तो सिया देवी को बेवजह परेशान करने के लिए पोस्टमास्टर के ख़िलाफ़ एक शिक़ायत डाक विभाग में ज़रूर भेज सकते है, ताकि उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सके. उसके बाद आरटीआई आवेदन के द्वारा अबतक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली जा सके.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एफआईआर पर हुई कार्रवाई के संबंध में

दिनांक :

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण–पश्चिम जिला)
पुलिस स्टेशन, वसंत विहार
नई दिल्ली.

विषय:–सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,
केस का पूर्ण विवरण...
....
....
एफआईआर संख्या................ कॉपी संलग्न है, के संबंध में निम्न सूचना उपलब्ध कराएं.

1. मेरे एफआईआर पर हुई दैनिक प्रगति रिपोर्ट की एक कॉपी उपलब्ध कराएं.
2. उस अधिकारी का नाम और पदनाम बताएं जो मेरे एफआईआर पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार था.
3. मेरा एफआईआर अब तक किन–किन अधिकारियों के पास गया और कितने दिनों तक रहा. और उस पर उन अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की. कार्रवाई का संपूर्ण ब्योरा उपलब्ध कराएं साथ ही उन सभी अधिकारियों के नाम और पदनाम भी बताएं.
4. यदि एफआईआर में दर्ज नाम (............) वाले व्यक्ति को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है तो, निम्न जानकारी उपलब्ध कराई जाए.

(क) उक्त व्यक्ति को कब भगोडा घोषित किया गया. इसकी एक कॉपी उपलब्ध कराई जाए.
(ख) उक्त भगोड़े व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक क्या कार्वाई की है. संपूर्ण विवरण दें.
(ग) कहां–कहां और कब–कब छापेमारी की गई. इसकी एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.
(घ) उक्त भगोड़े व्यक्ति को पकड़ने के लिए अब तक किन–किन अधिकारियों को जिम्मा दिया गया. उन सभी अधिकारियों के नाम और पदनाम बताएं.
(च) उक्त भगोड़े व्यक्ति को पकड़ने के लिए की गई अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.

मैं भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दस रूपये का आरटीआई शुल्क जमा करा रहा हूं.

भवदीय.

नाम
पता

ज़रा हट के

अंडे का फंडा

वैसे तो यह बहस पुरानी है कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी. सबके अपने- अपने तर्क हैं. जिन्हें खाना है, वे तो खाते ही रहते हैं. लेकिन अभी अंडों से जुड़ा एक नया शोध प्रकाश में आया है. वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि अण्डे को अपने संतुलित आहार में जरूर शामिल करना चहिए क्योंकि यह सेहत को बढ़ावा देने के साथ मोटापे को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है. शोध के जरिए इस सत्य को प्रमाणिकता का जामा पहनाने वाले डॉ. कैरी की मानें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विटामिन डी पाया जाता है, जो हड्डियों केलिए काफी महत्वपूर्ण होता है. सिर्फ एक अण्डा खाने से ही हमें 20 प्रतिशत से ज्यादा जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं. उन्होंने बताया कि शरीर में विटामिन डी की मात्रा की कमी से हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, साथ ही कैंसर और दिल की बीमारियों के होने की संभावना भी बढ सकती है, साथ ही मानसिक सेहत पर भी असर पड़ता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक अण्डों को सबसे पौष्टिक खानों में से एक मानते हैं और वे हर रोज एक अण्डा खाने की वकालत कर रहे हैं. हालाकि डॉक्टर का यह भी कहना है कि अंडों के अधिक सेवन से भी बचना चाहिए. क्योंकि अत्यंत दुबले व्यक्ति के नितम्ब, पेट और ग्रीवा शुष्क होते हैं. अंगुलियों के पर्व मोटे तथा शरीर पर शिराओं का जाल फैला होता है, जो स्पष्ट दिखता है. शरीर पर ऊपरी त्वचा और अस्थियां ही शेष दिखाई देती हैं. इसलिए संतुलन भी जरूरी है. अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलोरी की मात्रा कम होने के बावजूद अण्डों में प्रोटीन काफी मात्रा में होता है, जो शरीर का मोटापा नियंत्रित रखता है. इसलिए आपको अंडे का फंडा समझना होगा और रहना होगा बिल्कुल फिट.

आईक्यू को धुएं में मत उड़ाएं

देव आनंद पर फिल्माया गया मशहूर गीत हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया तो आपने जरूर सुना होगा लेकिन शायद यह बात नहीं सुनी होगी कि जरूरत से ज्यादा सुट्टा मारने यानी सिगरेट पीने से आपका आई क्यू भी प्रभावित होता है. मतलब अगर आप सिगरेट के शौकीन हैं, तो आपका आईक्यू अपेक्षाकृत कम होगा. यह कहना है एक अमेरिकी संस्था का. उनके द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई हैं कि अगर आप अपना आईक्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो सिगरेट से नाता तोड़ लेने में ही भलाई होगी. इस नए अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान करने वालों की बौद्धिक क्षमता धीरे–धीरे कम होती जाती है. अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इस्त्राइली सेना के 20,000 से ज्यादा जवानों पर रिसर्च किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने पाया कि हम जितना ज्यादा धूम्रपान करते हैं, हमारा आईक्यू उतना ही कमजोर होता जाता है.

प्रमुख शोधकर्ता डा. मार्क वीजर केअनुसार रिसर्च में शामिल 28 फीसदी प्रतिभागी रोजाना कम से कम एक सिगरेट जरूर सुलगाते थे. बाकी चार फीसदी लोग स्मोकिंग से तौबा कर चुके थे, जबकि 68 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कभी सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया था. उन्होंने बताया कि आईक्यू टेस्ट में नॉन स्मोकर्स ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. इसमें 101 अंक रहा नॉन स्मोकर्स का आईक्यू.

वहीं दूसरी ओर कुछ माह पहले सिगरेट से दोस्ती करने वालों का आईक्यू लेवल 94 अंक पर रहा. वीजर की मानें तो जैसे–जैसे सिगरेट की संख्या बढ़ती है, वैसे–वैसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कम होती जाती है. प्रतिदिन एक या उससे ज्यादा पैकेट सिगरेट पीने वाले युवाओं का आईक्यू, धूम्रपान नहीं करने वालों की तुलना में 7.5 अंक कम था. दूसरों की तुलना में ऐसे लोगों में तनाव की आशंका भी ज्यादा थी. उन्होंने जरनल एडिक्शन में कम आईक्यू वाले प्रतिभागियों को धूम्रपान रोकथाम कार्यक्रम में शामिल किए जाने की हिदायत दी. ताकि वे धीरे–धीरे हर फिक्र को धुएं में उड़ाने की प्रवृत्ति से छुटकारा मिले. इसलिए अगर रखना है अपना आईक्यू तेज तो सिगरेट की आदत से जल्द ही निजात पाइए.

राशिफल

29 मार्च–4 अप्रैल 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल): धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी. धन, यश का लाभ मिलेगा. रुका हुआ कार्य संपन्न होगा. व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त अधिक रहेंगे. यात्रा और देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई): आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. देवदर्शन या अन्य धार्मिक मामलों में वृद्धि होगी. संबंधों में निकटता आएगी. उपहार या अन्य भौतिक लाभ मिलेगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून): संबंधित अधिकारी या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. आर्थिक मामलों में आशातीत सफलता मिलेगी. व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई): अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं. उत्तेजना या भागदौड़ थकान देगी. किसी तरह का जोख़िम न उठाएं. पिता या सत्तापक्ष से सहयोग मिलेगा. नेत्र विकार के प्रति सचेत रहे. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति मिलने की आशंका है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त): जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. आय के नए रास्ते बनेंगे. दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की संभावना बनी हुई है. व्यावसायिक प्रतिख़ बढ़ेगी. धन, सम्मान में वृद्धि होगी. निजी संबंधों में निकटता आएगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर): अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर): ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. रचनात्मक कार्य की दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी. लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी या पड़ोसी से तनाव मिल सकता है. वाणी पर संयम बनाएं रखें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर): उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. काफी लंबे समय से पड़ा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा. शासन सत्ता का सहयोग होगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर): यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायक होगी. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. किसी पारिवारिक सदस्य से तनाव मिल सकता है. बड़े भाई से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. गुस्से पर नियंत्रण बनाएं रखें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी): धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. समाज के कार्यों में व्यस्त रहेंगे. जिससे आलस्य की स्थिति बनी रहेगी. व्यावसायिक लाभ मिलेगा. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी): गोपनीय शत्रु तनाव देंगे. व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी. निर्माण के क्षेत्र में प्रगति होगी. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है. मांगलिक दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. आय और व्यय पर नियंत्रण बनाएं रखें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च): पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा. धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. जीवनसाथी से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

बढ़ती जनसंख्या और पानी को लेकर अंदरूनी विवादों से बचने के लिए पाकिस्तान को इस मामले में भी सोच-समझकर रणनीति बनानी होगी. यह विवादित मामला राज्यों को दो फाड़ कर सकता है.

पाकिस्तान : अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे लौटेगी

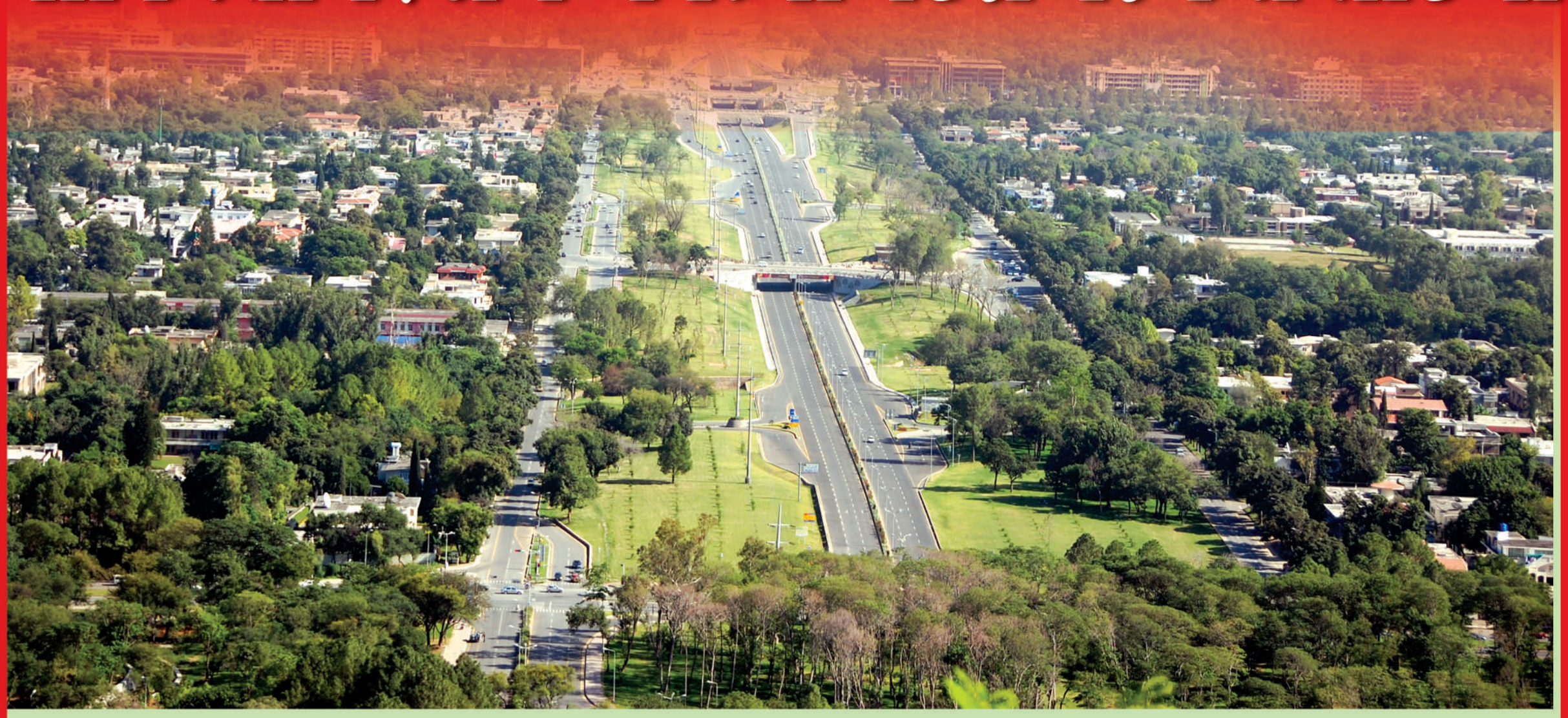

मौजूदा समय में पाकिस्तान आर्थिक दुश्वारियों के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है. हालांकि स्थिति से निपटने के लिए सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मंदी से बचने के लिए तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी काफी खराब हैं. गरीब और कम आमदनी वाले तबके के लोगों को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है तो निजी क्षेत्र, जिसे पाकिस्तान की प्रगति का वाहक माना जाता है, अपनी चमक खोता जा रहा है. इन सबके बीच राजनीतिक दल और मीडिया रोमन सम्राट नीरो की तरह चैन की बंसी बजा रहे हैं. इन दुश्वारियों पर गौर करने के बजाय वे भोली-भाली जनता को संवैधानिक संशोधनों और साजिश की राजनीति की घुट्टी पिलाने में मशगूल हैं. इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा संविधान देश की जरूरत है, लेकिन इससे गरीब लोगों की थाली में खाना नहीं पहुंचेगा. एक स्थिर राजनीतिक माहौल और सुरक्षातंत्र में आमूलचूल बदलाव देश के आगे बढ़ने की पहली शर्त है. देश के राजनीतिक नेतृत्व और मीडिया को चाहिए कि वे विकास की गति को तेज करने की दिशा में अपनी ऊर्जा खर्च करें, ताकि करोड़ों गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकें.

कुछ ही ऐसे देश हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तरह का साहस और मुश्किलों से उबरने की ताकत का मुजायरा किया है. अपने 60 साल के इतिहास में पाकिस्तान ने विकास की गति को जिस स्तर पर बनाए रखा है, वह अन्य विकासशील देशों के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकता है, जबकि इस दौरान इसे कई झंझावातों का सामना करना पड़ा. देश का विभाजन, युद्ध, राष्ट्रीयकरण और सैनिक शासन के कई दौर, जिसके चलते हर बार लोकसेवा और न्यायपालिका के स्वरूप में बदलाव आए. इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान के निजी क्षेत्र ने देश की अर्थव्यवस्था को तमाम दुश्वारियों के बीच से निकालने में अहम भूमिका निभाई है. इस आलेख में कई ऐसे मशविरे दिए जा रहे हैं, जिन्हें अपना कर सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मौजूदा आर्थिक मुसीबतों से निजात दिलाकर उसे वापस पटरी पर लाने में कामयाब हो सकती है.

सबसे पहली बात, आर्थिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे वित्त, योजना और वाणिज्य को संभालने के लिए एक विश्वस्तरीय टीम की जरूरत है. 1960, 1980 और 2000 के दशकों में पाकिस्तान की अच्छी माली हालत हो या पिछले दशक में भारत के लिए प्रचलित हुआ शाइनिंग इंडिया का नारा या फिर कई पूर्व एशियाई देशों में हुआ तेज आर्थिक विकास, इन सबके पीछे जो सबसे प्रेरक शक्ति थी, वह है अच्छे अर्थशास्त्रियों की फौज. इनमें से अधिकतर अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ थे. इन अनुभवी लोगों की टीम में वे पांचों गुण थे, जो कामयाबी के लिए निहायत ही जरूरी हैं जैसे साफ-सुथरी छवि, योग्यता, साहस, विश्वसनीयता और निरंतरता. मजबूत अर्थव्यवस्था वाले दिनों में जो टीम पाकिस्तान को संभालती थी यानी 60 के दशक में शोएब, 80 के दशक में जीआईकेए और 2000 के दशक में शौकत अजीज आदि. उक्त सभी टीमें इन पांचों शर्तों पर खरी उतरती थीं. भारत के नजरिये से देखें तो पिछले एक दशक में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों की टीम ने उसे मजबूती दी है. अर्थ से जुड़े विभागों का कामकाज देखने वाले मंत्रियों और उनकी टीम के लिए निम्नलिखित बातें बहुत जरूरी हैं :

1. उनका चरित्र अच्छा हो, जिससे वे नीतियों का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने में सक्षम हों.
2. योग्य हों.
3. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय हों.
4. खराब विचारों से इंकार करने का साहस रखते हों.

इन गुणों से युक्त अर्थशास्त्रियों की टीमों ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है और कोई कारण नहीं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो सकता. दूसरी बात, विकास की दिशा को गरीब लोगों की ओर मोड़ने के लिए प्रधानमंत्री को अपना आधा समय महत्वपूर्ण विभागों में सुधार के लिए अलग रखना होगा. जैसे निर्यात, मौद्रिक नीति, जल, ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन और लोक प्रशासन. इन क्षेत्रों में सुधार की दशा और दिशा पर नजर रखने के लिए कैबिनेट कमेटियों का गठन होना चाहिए. यह जरूरी है कि सुधार से जुड़ी नीतियां राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में पूरी बहस के बाद निर्धारित हों. खुद प्रधानमंत्री एवं उनकी कैबिनेट को इन सुधारों की जानकारी मीडिया और आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी. याद रहे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं. हर पंद्रह दिनों में इन कमेटियों की बैठक हो और इसमें प्रांत के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नौकशाह भी शामिल हों, क्योंकि प्रांतीय सरकारों के सहयोग के बिना किसी भी सुधार को अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन सरीखा है. प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि और कमेटियों की कार्रवाइयों से देश की जनता, निजी क्षेत्र और अन्य सरकारी संस्थाओं में उम्मीद का नया संचार होगा.

आसिफ अली ज़रदारी

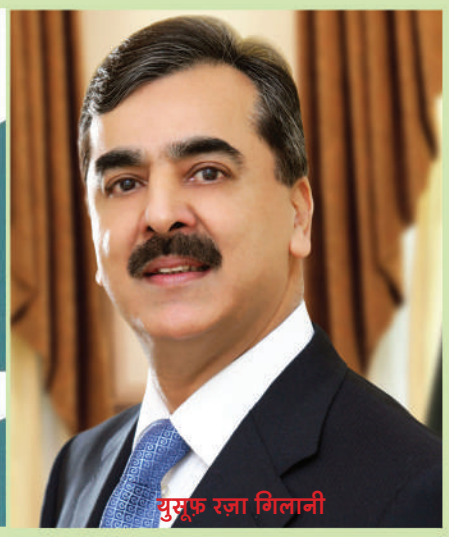

युसूफ़ रज़ा गिलानी

अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को बिना देर किए नई रणनीति अपनाने की जरूरत है. ऊर्जा और खाद्यान्न के क्षेत्र में आयातों पर पाकिस्तान की निर्भरता कुछ ऐसी है कि उसे गाहे-बगाहे विदेशी मुद्रा की कमी झेलनी ही पड़ेगी, जब तक कि आयात-निर्यात के बीच की दूरी को कम न किया जाए. विदेशी कर्ज और सहायता पर पाकिस्तान की अत्यधिक निर्भरता की सबसे बड़ी वजह चालू खाते की कमी की भरपाई करना है. पिछले एक दशक में भारतीय निर्यात की विकास दर लगभग दोगुनी हो चुकी है और साल 2009 में यह जीडीपी का 23 प्रतिशत था, लेकिन पाकिस्तान के निर्यात की दर 14 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर है. इसी का नतीजा है कि हाल के सालों में पाकिस्तान के मुकाबले भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बेहतर रहा है और उसके चालू खाते में कमी का स्तर भी घटा है. वैश्विक अनुभव बताता है कि तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात की अहम भूमिका रही है. आयात के बजाय निर्यात आधारित विकास को प्रोत्साहित करने से रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं. उक्त कमेटियां निर्यात से जुड़ी नीतियों के निर्धारण और उन्हें अमलीजामा पहुंचाने का काम कर सकती हैं. 1970 और 80 के दशक में कोरिया की तरह इन कमेटियों की महीने में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए. विकास की गति को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के लिए वित्तीय नीतियों में परिवर्तन की दरकार है, जिससे वित्तीय घाटे एवं कर्ज में कमी हो, सरकारी राजस्व में इजाफा हो, सरकारी उपक्रमों के घाटे एवं निरर्थक खर्चों में कमी आए और गरीबों के हित में आधारभूत संरचना एवं सेवाओं के विस्तार के लिए संसाधनों को बढ़ाया जा सके. चालू खाते में कमी का परिणाम यह होगा कि सार्वजनिक ऋण और ब्याज दर में कमी आएगी और निजी क्षेत्र के लिए ज्यादा धन उपलब्ध होगा. वित्तीय मामलों की कमेटी वित्तीय सुधारों पर नजर रख सकती है. सुधारों को अमल में लाने से पहले राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में उस पर बहस हो, क्योंकि सरकारी राजस्व में वृद्धि और खर्च में कमी जैसे कामों के लिए केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों को मिलकर काम करना होगा. इसके अलावा कृषि से होने वाली आमदनी के लिए टैक्स अदा कर प्रधानमंत्री एक उदाहरण पेश कर सकते हैं. यदि नेता अपने टैक्सों का सही भुगतान करें तो टैक्स एजेंसियां आम लोगों और व्यापारियों के खिलाफ कदम उठाने से नहीं हिचकेंगी.

तेजी से बढ़ती जनसंख्या और पानी को लेकर अंदरूनी विवादों से बचने के लिए पाकिस्तान को इस मामले में भी सोच-समझकर रणनीति बनानी होगी. यह विवादित मामला राज्यों को दो फाड़ कर सकता है. इसलिए जरूरी है कि इस मामले में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबलियों की रजामंदी हो और फिर एक कैबिनेट कमेटी इसकी लगातार निगरानी करे. हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ है कि आज हमारे जलस्रोत सूखते जा रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में पाकिस्तान चुप होकर नहीं बैठ सकता. बड़े-बड़े बहुउद्देश्यीय बांधों और जल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाना इस रणनीति के अहम बिंदु हो सकते हैं.

ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, ताकि तीव्र विकास और गरीबी निवारण की परियोजनाओं के लिए ऊर्जा संसाधनों की कमी न हो. गरीबी और बेरोजगारी के ऊंचे स्तर के मद्देनजर यह बेहद जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य से जुड़ी परियोजनाओं का सही क्रियान्वयन हो. गरीबी उन्मूलन के लिए बनी कमेटी इन प्रयासों की देखरेख कर सकती है. यदि सार्वजनिक संस्थान अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति गंभीर न हों तो कोई भी सरकार अपने नागरिकों की भलाई तो क्या, सही तरीके से शासन भी नहीं चला सकती है. 1960 के दशक तक पाकिस्तान के सार्वजनिक संस्थान अन्य विकासशील देशों के लिए एक रोल मॉडल की तरह थे, लेकिन बार-बार सरकारों में बदलाव के चलते बाद के दशकों में उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इन संस्थाओं के पुनर्गठन और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी लोक प्रशासन के लिए बनी कैबिनेट कमेटी की हो सकती है. पाकिस्तान के भविष्य के लिहाज से अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना पहली शर्त है, लेकिन इसके लिए कोई जादुई चिराग नहीं मिल सकता. अर्श से फर्श पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद मोर्चे पर आगे आना होगा. महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख करनी होगी, जिसमें कैबिनेट कमेटियां उनकी मदद कर सकती हैं.

आबिद हसन

(लेखक विश्व बैंक के सलाहकार रह चुके हैं)

feedback@chauthiduniya.com

चांद ने घोड़ी को हर उस जगह पर खोजने की कोशिश की, जहां उसके मिलने की संभावना थी, परंतु घोड़ी नहीं मिली.

जीवन की डोर बाबा के हाथों में है : ऋषभ

विकास कपूर

मंच और कैमरे के साथ अभिनय के लगभग हर विभाग में अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुके कानपुर विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक ऋषभ शुक्ला बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं. अभिनय सम्राट अमिताभ बच्चन के साथ ऋषभ की फ़िल्म आज का अर्जुन की याद आज भी लोगों के जेहन में ताज़ा है. बी आर चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में हस्तिनापुर सम्राट शांतनु का अमर क़िरदार निभाने वाले ऋषभ अपनी भारी-भरकम और कर्णप्रिय आवाज़ से अब तक न जाने कितने क़िरदारों की डबिंग भी कर चुके हैं. धारावाहिक ॐ नमः शिवाय के सूत्रधार ॐकार को ऋषभ ने ही अपनी मधुर आवाज़ से जीवंत कर दिया था. ऋषभ ने जीने की सज़ा, अमृत एवं मोहब्बत की आरज़ू आदि फ़िल्मों के साथ अपराधी कौन, बहादुर शाह ज़फ़र, द ग्रेट मराठा, चुन्नी, कौन एवं मेरे अपने आदि धारावाहिकों में काम किया है. इन दिनों स्टार टीवी पर ऋषभ का धारावाहिक *सजन घर जाना है* काफी लोकप्रिय हो रहा है. इतना ही नहीं, ऋषभ अपने हिंदी नाटक साई बाबा को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं, जिसमें उन्होंने साई बाबा का शीर्षक क़िरदार निभाया है. साई बाबा में अखंड विश्वास रखने वाले ऋषभ से उनकी साई भक्ति पर पिछले दिनों विस्तार से चर्चा हुई. पेश हैं मुख्य अंश:

ॐ साई राम ऋषभ भैया.

साई राम.

आपके जीवन पर साई भक्ति का कितना प्रभाव है?

इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने जीवन में घटी साई कृपा की दो घटनाओं को सुनाकर देना चाहता हूं. पहली घटना तब घटी, जब मुझे अपनी बेटी योग्या का एडमिशन कराना था. मुझे पता चला कि यदि सीबीएससी बोर्ड से पढ़ाई की जाए तो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल रहता है. मुंबई में मैं

जहां रहता हूं, उसके पास एक ही कॉलेज है राजहंस, जहां सीबीएससी बोर्ड की पढ़ाई होती है. मैंने बहुत कोशिश की, परंतु योग्या का एडमिशन वहां नहीं हुआ. फिर मैंने अपनी प्रार्थना अपने साई के दरबार में लगा दी, तब तक सेशन शुरू हुए कई माह बीत चुके थे. योग्या के एडमिशन की बिल्कुल आशा नहीं थी. उसका साल बर्बाद होने की कगार पर था, परंतु साई तो असंभव को संभव करते हैं. अगस्त महीने में ट्रांसफर केस के कारण मुझे कॉलेज वालों ने बुलाकर एडमिशन दे दिया. यह मेरा पुरुषार्थ नहीं, मेरे साई की कृपा ही थी.

और दूसरी घटना?

26 जुलाई को जब मुंबई में भीषण बरसात हुई, योग्या उस समय स्कूल गई हुई थी. दोपहर के तीन बजते-बजते सड़कों पर काफी पानी भर चुका था. हमने योग्या को ख़ुद कॉलेज से घर लाने का निर्णय किया. जाते वक़्त तो हम थोड़ी मशक़्क़त के बाद कॉलेज तक पहुंच गए, परंतु लौटते वक़्त पानी काफी बढ़ चुका था. कार के पहिए पानी में डूब चुके थे. रास्ते में हमने कई हादसे देखे. मन में हम केवल साई-साई जप रहे थे और उनसे सकुशल घर पहुंचा देने की प्रार्थना कर रहे थे. आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने कई बड़ी और ऊंची गाड़ियों को रास्ते में बंद होते देखा, परंतु मेरी होंडा सिटी साई कृपा से रास्ते में बंद नहीं हुई, लेकिन सोसायटी गेट के अंदर पहुंचते ही बंद हो गई. मतलब मेरे साई ने मुझे सकुशल घर पहुंचा दिया. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जीवन की डोर मेरे साई बाबा के हाथ में है.

साई बाबा के महान चरित्र से आपका परिचय कब और कैसे हुआ?

कानपुर से मुंबई आने के बाद ही मैंने साई बाबा के बारे में जाना. यहां के लोगों में बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा थी. मैं जब भी साई बाबा की तस्वीर देखता तो उनकी आंखों से छलकती ममता और करुणा को देख मन उनसे जुड़ जाने को उतावला होने लगता. मन की इसी भावना ने मुझे साई बाबा का भक्त बना दिया. अब तो मैं अपने जीवन के हर पल में अपने साई को अपने साथ ही अनुभव करता हूं. जय साई राम....

साई सार्वभौम हैं

आज से लगभग डेढ़ सौ साल पहले की बात है. उस समय घर की ड्योढ़ी पर घोड़ा-घोड़ी बांधना समाज में संपन्नता की निशानी माना जाता था और ये यातायात का एकमात्र सुलभ साधन भी हुआ करते थे. ऐसे ही दौर में चांद पाटिल की घोड़ी न जाने कहां खो गई थी. चांद ने घोड़ी को हर उस जगह पर खोजने की कोशिश की, जहां उसके मिलने की संभावना थी, परंतु घोड़ी नहीं मिली. चांद पाटिल को अपनी घोड़ी से गहरा स्नेह था. उसके खो जाने से चांद को आघात पहुंचा. कई दिनों की दौड़भाग से निराश और मायूस चांद पाटिल जब एक दोपहर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पड़ने वाले घने जंगल में उसे एक पुकार सुनाई पड़ी. एक युवा फकीर जैसा चोला पहने बाबा उसे ही पुकार रहे थे. बाबा ने चांद को मुसाफिर कहकर पुकारा और पास आने पर चिलम का कश लगाने की दावत दी. पर अपनी घोड़ी के खो जाने की वजह से परेशान चांद पाटिल ने कश लिए बग़ैर बाबा से अपनी घोड़ी खो जाने की बात बताई. युवा फकीर ने बिना देखे अपने पीछे इशारा करके कहा, देखो वहां खड़ी घोड़ी कहीं तुम्हारी तो नहीं है. चांद ने नज़र उठाकर देखा, सचमुच उसकी घोड़ी युवा फकीर के ठीक पीछे घास चर रही थी. चांद की ख़ुशी का ठिकाना नहीं था. बाबा को पहुंचा हुआ फकीर मानकर चांद उनके पास रम गया. अब चिलम पीने की बारी थी. चिलम के लिए आग और पानी दोनों की ही ज़रूरत थी, लेकिन वहां न आग थी और न पानी था. चांद को परेशान देखकर उस फकीर ने अपना सटका (डंडा) पास की ज़मीन पर दो बार अलग-अलग जगह पर मारा और ज़मीन से आग और पानी दोनों ही फूट पड़े. चांद पाटिल बाबा की करामात देखकर चकित था. उसने बाबा से अपने गांव चलने की फरियाद की, जिसे बाबा ने तुरंत स्वीकार कर लिया. वास्तव में चांद पाटिल ही वह व्यक्ति था, जो उस युवा फकीर को अर्थात साई बाबा को शिरडी तक पहुंचाने का माध्यम बना.

पाटिल के घर आकर बाबा चांद की पत्नी के भतीजे की शादी में शरीक होने पहली बार शिरडी गए और वहीं उन्होंने महालसापति से साई नाम का संबोधन प्राप्त किया. उस दिन से लेकर अपनी महासमाधि तक साई बाबा कभी भी शिरडी की सीमाओं के बाहर नहीं निकले.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

हमारी भक्ति

साई बाबा के जीवन एवं सच्चरित्र और आपकी अपनी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साई भक्त के विचार यहां प्रकाशित किए जाएंगे.

आज का विषय : क्या साई बाबा के जन्म स्थान, धर्म आदि के बारे में किए जा रहे दावे सच हैं?

आपके जवाब

1. नहीं, नहीं, नहीं. साई बाबा के जन्म स्थान और धर्म आदि को लेकर किए जा रहे दावे झूठ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं. लोग बाबा के नाम का उपयोग केवल अपनी प्रसिद्धि और धन पाने की कामना से कर रहे हैं. परंतु, मैं उन्हें सावधान करता हूं कि साई बाबा जीवित परमेश्वर हैं, उनका सटका ऐसे लोगों को दंडित करने में देर नहीं लगाएगा.

अनिल शर्मा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. (सर्वश्रेष्ठ विचार)

2. शिरडी में रहते हुए साई बाबा ने कभी इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठाया. कई बार उनके अंतरंग भक्तों ने यह सब जानने की कोशिश की, परंतु बाबा मौन ही रहे. शायद बाबा समाज को यही शिक्षा देना चाहते थे कि धर्म, जाति और मज़हब से बड़ी है इंसानियत. इसलिए बाबा को लेकर आज जो दावे किए जा रहे हैं, वे झूठ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं.

गार्गी तिवारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

3. आजकल बहुत सारे तथाकथित बाबा और पंडितों के खेवनहार साई बाबा बन गए हैं. साई बाबा के नाम पर ही यह बाबा लोग भीड़ को एकत्र करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं. इन्हीं जैसे कुछ लोग साई बाबा के जन्म स्थान और धर्म आदि के दावे करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो बिल्कुल ग़लत है. ***गोरेगांव (पश्चिम),*** मुंबई-58 पर डाक द्वारा भेजें.

आप अपने विचार sai4world@gmail.com पर मेल करें अथवा शिरडी साईबाबा फाउन्डेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर-17517, मोतीलाल नगर नम्बर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-58 पर डाक द्वारा भेजें या 09999989427 पर एसएमएस करें.

अगले सप्ताह का विषय

शिरडी यात्रा से जीवन में क्या सुख मिलता है?

सभी से एक समान प्रेम करो

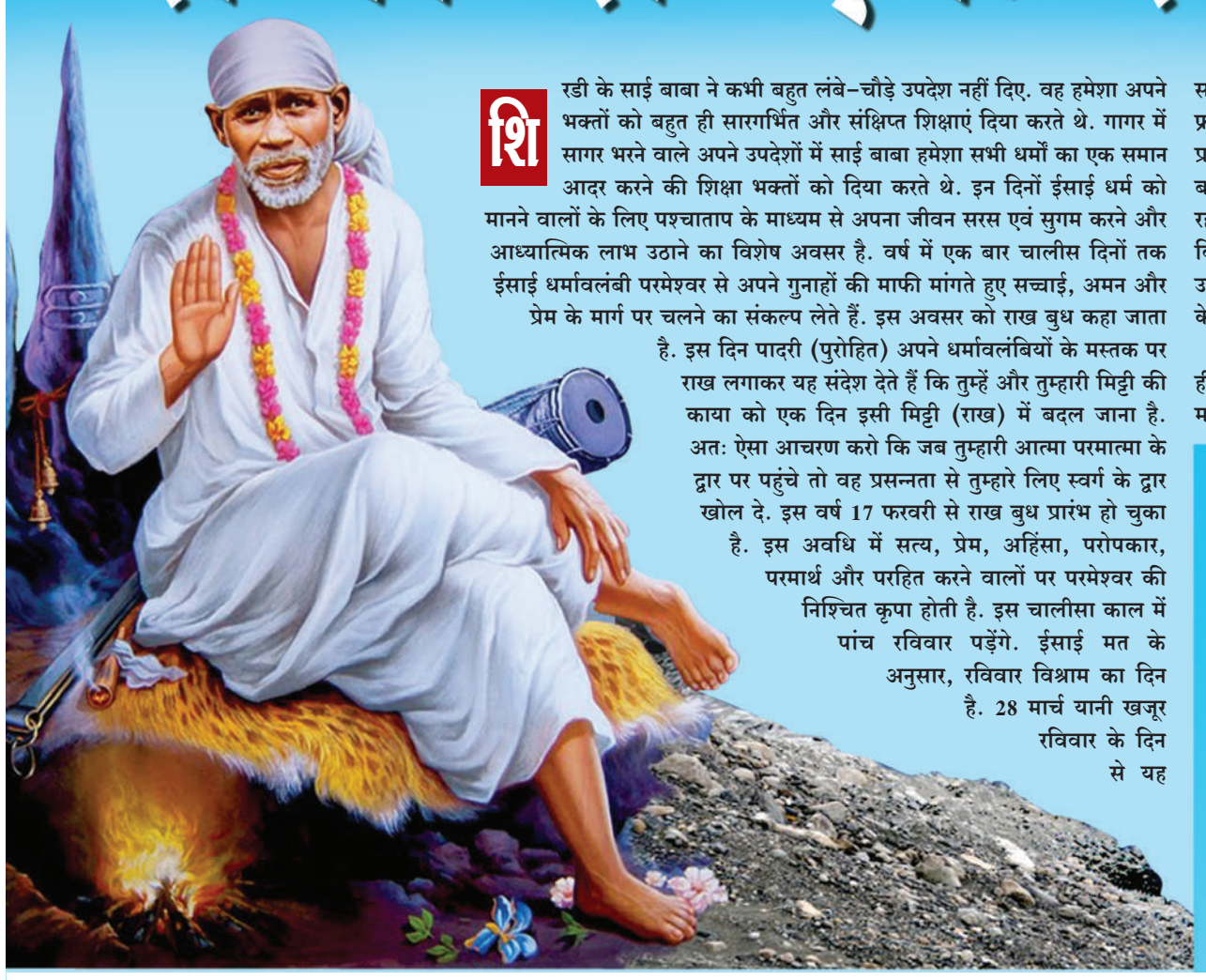

शिरडी के साई बाबा ने कभी बहुत लंबे-चौड़े उपदेश नहीं दिए. वह हमेशा अपने भक्तों को बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त शिक्षाएं दिया करते थे. गागर में सागर भरने वाले अपने उपदेशों में साई बाबा हमेशा सभी धर्मों का एक समान आदर करने की शिक्षा भक्तों को दिया करते थे. इन दिनों ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पश्चाताप के माध्यम से अपना जीवन सरस एवं सुगम करने और आध्यात्मिक लाभ उठाने का विशेष अवसर है. वर्ष में एक बार चालीस दिनों तक ईसाई धर्मावलंबी परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए सच्चाई, अमन और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं. इस अवसर को राख बुध कहा जाता है. इस दिन पादरी (पुरोहित) अपने धर्मावलंबियों के मस्तक पर राख लगाकर यह संदेश देते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी मिट्टी की काया को एक दिन इसी मिट्टी (राख) में बदल जाना है. अतः ऐसा आचरण करो कि जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा के द्वार पर पहुंचे तो वह प्रसन्नता से तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दे. इस वर्ष 17 फरवरी से राख बुध प्रारंभ हो चुका है. इस अवधि में सत्य, प्रेम, अहिंसा, परोपकार, परमार्थ और परहित करने वालों पर परमेश्वर की निश्चित कृपा होती है. इस चालीसा काल में पांच रविवार पड़ेंगे. ईसाई मत के अनुसार, रविवार विश्राम का दिन है. 28 मार्च यानी खजूर रविवार के दिन से यह सप्ताह प्रारंभ हो गया है. जब पवित्र गुरुवार को प्रभु यीशु ने अपने बारह शिष्यों के पैर धोए और उसी रात उन्हें बंदी बना लिया गया. गुड फ्राइडे (पवित्र शुक्रवार) को वह खीस्त (सूली) पर चढ़ाए गए. बेगुनाह होते भी हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मुस्कराते हुए खीस्त (सूली) पर लटक गए. तबसे लेकर अब तक 2010 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु ईसाई समुदाय आज भी उनके इस बलिदान और अमर प्रेम को याद करता हुआ उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प इन चालीस दिनों में करता है. तीन दिनों तक कब्र में रहने के बाद प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और सारे संसार को यह संदेश दिया कि सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंतिम विजय सत्य की ही होती है. कब्र से उठने के बाद प्रभु ने सबसे पहले मरियम, फिर लेडी मैकिडलियन और फिर अनेक लोगों को अपनी उपस्थिति का आभास ही नहीं, साक्षात भी करवाया. जिस दिन प्रभु यीशु मृत्यु को परास्त कर पुनः जीवित हो गए, उस दिन को ईसाई धर्म के अनुयायी ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं. उन्हें इस बात का आभास होता है कि जिसकी वे आराधना कर रहे हैं, वह जीवित परमेश्वर है.

खीस्त (सूली) पर लटकने और उससे पहले प्रभु यीशु ने अपार दुःख सहे. उनके दुःख मानव जाति से अपार प्रेम का नतीज़ा थे. उन्होंने ही हमें सिखाया कि सभी से एक समान प्रेम करो. जो तुम्हारे आश्रित हैं, उन्हें आदर और सम्मान दो. यदि कोई तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दायां गाल आगे कर दो. यदि तुम किसी को उसके पाप का दंड देने जा रहे हो तो विचार करो कि क्या तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है? वास्तव में इन चालीस दिनों में प्रभु यीशु के संदेशों को याद करने और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प करने का सबसे उत्तम अवसर है, जिससे जीवन में एक नई चेतना, एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा विकसित होगी. शिरडी के साई बाबा संभवतः अपने भक्तों को इसीलिए सभी धर्मों का एक समान आदर करने की शिक्षा देते थे कि सभी धर्म हमें प्रेम, प्यार और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं. सभी धर्मों के उपदेशों और शिक्षाओं का आदर करके ही हम सच्ची साईभक्ति कर सकते हैं. शिरडी साई बाबा फाउंडेशन का साई भक्त परिवार पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन में साई की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने का पुनीत कार्य कर रहा है. हम इस पावन यज्ञ में आपका भी आह्वान करते हैं. आइए और अपनी भक्ति की समिधा श्री साईचरणों में अर्पित करने के अधिकारी बनिए. साई भक्त परिवार में शामिल होकर अपनी साईभक्ति को और अधिक दृढ़ करने और सदगुरू साई समर्थ की कृपा का अधिकारी बनने के लिए आप अपना नाम ..... फोन नंबर.....कृपया 09999989427 पर एसएमएस करें. ॐ साई राम.

गागर में सागर भरने वाले अपने उपदेशों में साई बाबा हमेशा सभी धर्मों का एक समान आदर करने की शिक्षा भक्तों को दिया करते थे. इन दिनों ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पश्चाताप के माध्यम से अपना जीवन सरस एवं सुगम करने और आध्यात्मिक लाभ उठाने का विशेष अवसर है.

Giriraj Sai Hills
Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home
• Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
• One Bedroom Apartments.
• Two bedroom Apartments.
• Fully Furnished Villas.
STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*
AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.ssbf.in
कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

हरकी पौड़ी पर ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में गणेश जी के ऊपर लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं. आरती स्थान के पीछे बनी छतरीनुमा कोठरियों में नीचे देव प्रतिमाएं हैं और ऊपर लोग रहते हैं.

हिंदी अकादमी

कांग्रेसी नेता ने विवाद शुरू कराया

अनंत विजय

हिंदी में साहित्यिक पुरस्कारों की स्थिति बेहद ख़राब है. पुरस्कारों की विश्वसनीयता और उसके दिए जाने के तरीक़े को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों की साख पर भी बट्टा लगा है. लेकिन ताज़ा विवाद दिल्ली की हिंदी अकादमी के श्लाका सम्मान को लेकर उठा है. दिल्ली की हिंदी अकादमी की अध्यक्ष वहां की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं और उपाध्यक्ष अशोक चक्रधर हैं. हिंदी अकादमी हर साल श्लाका सम्मान के अलावा कई और अन्य पुरस्कार देती है. वर्ष 2008–09 के लिए अकादमी की कार्यकारिणी ने हिंदी के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लेखक कृष्ण बलदेव वैद को श्लाका सम्मान देने की संस्तुति की थी. उसके बाद अकादमी की अध्यक्ष की हैसियत से शीला दीक्षित ने तत्कालीन कार्यकारिणी के फ़ैसलों पर मुहर लगा दी थी. लेकिन बाद के दिनों में हिंदी अकादमी में प्रशासनिक अराजकता की वजह से उस वर्ष के सम्मान नहीं दिए जा सके. लेकिन अब जब अकादमी ने वर्ष 2009–10 के पुरस्कारों के साथ 2008–09 के पुरस्कारों का ऐलान किया तो 2008–09 के लिए श्लाका सम्मान के लिए किसी का नाम घोषित नहीं किया गया. सूची से कृष्ण बलदेव वैद का नाम ग़ायब था. बताया जा रहा है कि एक अनाम से कांग्रेसी नेता ने अकादमी की अध्यक्ष दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पत्र लिखकर कृष्ण बलदेव वैद को श्लाका सम्मान नहीं देने का अनुरोध किया था. कांग्रेसी नेता का आरोप है कि वैद के उपन्यास नसरीन में कई जगह अश्लील शब्दों और स्थितियों का चित्रण किया गया है. कांग्रेसी नेता की आपत्ति को कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने इस तरह स्वीकार कर लिया जैसे यह दस जनपथ का फरमान हो और नहीं मानने पर उनकी कुर्सी जाने का ख़तरा हो. शीला दीक्षित, जो कला और संस्कृति को लेकर संवेदनशील और समझदार मानी जाती हैं, का यह निर्णय चौंकानेवाला है क्योंकि वैद जी को पुरस्कार देने का निर्णय हिंदी के लब्धप्रतिष्ठि लेखकों की एक कमिटी ने किया था. यहां यह बात भी समझ से परे है कि शुचिता और पवित्रता का ठेका कांग्रेसियों ने कब से ले लिया. यह ठेका तो भगवा खेमे के पास था. क्या धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का नारा देनेवाली कांग्रेस पार्टी भी भगवा रंग में रंगने लगी है. या फिर मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों की राय को तरजीह देने के क्रम में भगवा विचारधारा के साथ नज़र आने की ग़लती कर बैठी हैं. दरअसल ज्योतिष जोशी के हिंदी अकादमी के सचिव पद से इस्तीफ़े के बाद श्री परिचयदास को अकादमी के सचिव का प्रभार दे दिया गया. परिचयदास अपने नाम के आगे कभी प्रोफेसर तो कभी डॉक्टर लिखकर लगातार हिंदी अकादमी के विज्ञापनों में छपते रहते हैं. लेकिन असली खेल तो प्लेयर बिल्डिंग में बैठने वाले एक अफसर का चल रहा है. परिचयदास तो इस वजह से कुर्सी पर बैठे हैं कि वह एक कमज़ोर सचिव हैं जो अपने आकाओं के हुक्म को बग़ैर किसी सवाल जवाब के बजाते रहते हैं. अब यह मुख्यमंत्री को तय करना है कि दिल्ली की हिंदी अकादमी को सचिवालय में बैठे अफसर चलाएंगे या फिर साहित्यकारों की संचालन समिति. क्या अकादमी को स्वायत्ता मिल पाएगी या फिर यह दिल्ली सरकार का भोंपू बन कर रह जाएगा. ख़ैर यह एक अवांतर प्रसंग है. कृष्ण बलदेव वैद को श्लाका सम्मान नहीं दिए जाने पर हिंदी साहित्य में भूचाल आ गया. सबसे पहले हिंदी के आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान लेने से इंकार कर दिया और अकादमी के सचिव को एक पत्र लिखकर अग्रवाल ने अपना विरोध भी जताया और कहा कि साहित्य और कला में श्लीलता और अश्लीलता के फ़ैसले इतने सपाट ढंग से नहीं किए जा सकते. साहित्येत्तर कारणों से जूरी की संस्तुति की उपेक्षा करना अनुचित है. यह स्थिति केवल एक वरिष्ठलेखक के ही प्रति नहीं, साहित्य मात्र के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के अभाव की भी सूचना देती है. अपने विरोध पत्र में पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा कि साहित्य के सामाजिक दायित्व की चर्चा बहुत की जाती है पर इसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि समाज और सामाजिक–राजनैतिक सत्ता की विभिन्न संस्थाएं भी साहित्य, कला, ज्ञान और विचार की साधना और उसकी स्वायत्तता का सम्मान करना सीखें. पुरुषोत्तम अग्रवाल के इस्तीफ़े की ख़बर अख़बारों में छपते ही हिंदी अकादमी का विरोध और तेज़ हो गया. 2009–10 के श्लाका सम्मान के लिए चुने गए वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह ने भी पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया. उनका कहना है कि वैदजी हिंदी के बेहद अहम रचनाकार हैं, उनसे श्लाका सम्मान की स्वीकृति हासिल करने के बाद उन्हें पुरस्कार से वंचित कर उनका अपमान किया गया है. इस खुलासे के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और उनका जमीर श्लाका सम्मान लेने की इजाज़त नहीं देता. केदार जी के इस क़दम के बाद तो जैसे पुरस्कार ठुकराने वालों की लाइन लग गई. कवि–पत्रकार विमल कुमार, कवि पंकज सिंह, कवयित्री और स्वर्गीय निर्मल वर्मा की पत्नी गगन गिल, रंगकर्मी रेखा जैन ने भी हिंदी अकादमी द्वारा घोषित पुरस्कार लेने से मना कर दिया है . इसके अलावा पूरा का पूरा हिंदी साहित्य वैद जी के अपमान के बाद उद्वेलित है और दिल्ली सरकार की जमकर थुक्का फज़ीहत हो रही है. अब तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि हिंदी अकादमी को सम्मान समारोह करना मुश्किल हो रहा है. लेकिन इस सारे विवाद की एक अवांतर कथा भी है. बताया जा रहा है कि कृष्ण बलदेव वैद के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री को कांग्रेस के नेता से चिट्ठी लिखवाने के पीछे हिंदी की एक वरिष्ठ आलोचक हैं. जिस वर्ष जूरी ने वैद जी का नाम तय किया था उस वर्ष वह महिला आलोचक भी अपनी दावेदारी को लेकर लॉबिंग कर रही थीं. जब उनकी बात नहीं बनी और जूरी ने वैद जी का नाम तय कर दिया तो उन्होंने एक कांग्रेसी नेता से कृष्ण बलदेव वैद जी के ख़िलाफ़ पत्र लिखवा दिया. नतीजा यह हुआ कि अफसरशाही में जकड़ी हिंदी अकादमी ने उस पत्र के आधार पर वैद जी को पुरस्कार देने से मना कर दिया बिना ये सोचे समझे, बिना यह जाने कि आपत्ति का आधार क्या है. दरअसल अकादमी के अफसरों को लगता है कि हिंदीवालों का विरोध फौरी होता है. जब अशोक चक्रधर को हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया था तो हिंदी के कई वरिष्ठ लेखकों ने घोर आपत्ति जताई थी. लेकिन चंद दिनों बाद वही साहित्यकार अशोक चक्रधर के सानिंध्य में मंचासीन हो रहे थे. न तो विरोध रहा और न ही कोई दूरी रही. उस घटना के बाद अकादमी के अफसर बेपरवाह हो गए हैं. लेकिन अफसरों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस बार इतनी संख्या में पुरस्कार ठुकरा दिए जाएंगे और मामला इतना संगीन हो जाएगा. शीला जी अब भी वक़्त है, अकादमी को कहिए कि अपनी ग़लती माने और कृष्ण बलदेव वैद जी से माफी मांगकर उन्हें सम्मानित करे वर्ना होगा यह कि आप भी साहित्य और कला के मामले में भगवा खेमे में नज़र आएंगी.

शीला दीक्षित

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती को सूरत से अहमदाबाद लौटना था. इस बीच उन्हें पता लगा कि गोधरा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला जनसभा करने वाले हैं. गोधरा अग्निकांड के बाद वहां होने वाला वह पहला राजनीतिक कार्यक्रम था. आनंद भारती उसमें शामिल होने की गरज से रात को बड़ोदरा के होटल में रुक गए. सुबह उठकर वह गोधरा पहुंच गए. सभा में अच्छी भीड़ थी. वाघेला ने मोदी के हर सवाल का जवाब दिया. मोदी की गौरव यात्रा को भी निशाने पर लिया. वाघेला मोदी के गुरु रह चुके हैं. संघ परिवार और भाजपा से जुड़े रहे वाघेला मोदी के हर पैंतरे से वाक़िफ़ थे. कभी दोनों अहमदाबाद में मोटरसाइकिल पर घूमते थे. अब गुरु–चेला आमने–सामने थे.

वाघेला बोले, मोदी साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए एस–6 कोच को छापकर पूरी दुनिया में गुजरात को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को अग्निकांड के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा, इन संगठनों का धर्म से कोई लेना–देना नहीं है. चुनाव में ही इनको धर्म की बात याद आती है. इन्होंने आज तक हिंदू हित का एक भी काम नहीं किया. अभी तक न तो राम मंदिर बना और न ही उसका शिलान्यास हुआ. वाघेला ने मोदी की शैली में मोदी को जवाब दिया. मोदी भी भाषणों में लोगों से सवाल का जवाब मांगते हैं और वाघेला भी. दोनों ही लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं. उन्होंने मोदी को घेरते हुए कहा, यदि मोदी नहीं चाहते तो गोधरा में अग्निकांड नहीं होता. इस बाबत आईबी की रिपोर्ट थी. लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की. नतीजतन गोधरा कांड हुआ. अब तो एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है. उसमें कहा गया है कि डिब्बे में आग अंदर से लगी. मोदी जिस नंगई से पेश आते हैं, उतनी ही नंगई के साथ वाघेला भी लोगों के बीच थे. उन्होंने मोदी की गौरव यात्रा को भी घेरे में लिया, जिस दिन गोधरा कांड हुआ, उस दिन मोदी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं से कहा कि जितने कारसेवक मरे हैं, उससे दस गुना लाशें चाहिए.

इसके बाद वह सवाल उठाते हैं, क्या यह गौरव की बात है? क्या मोदी इसी गौरव का गुणगान करने के लिए गौरव यात्रा निकाल रहे हैं? सभा ख़त्म हो चुकी थी. आनंद भारती दिल्ली रिपोर्ट भेजने के बाद अहमदाबाद लौट रहे थे. रास्ते में ही उनके मोबाइल की घंटी बजी. सिगनल पूरा नहीं था. उधर से उनके एक पत्रकार मित्र की आवाज़ आई, अक्षरधाम पर हमला हो गया है. फोन कट गया. सिगनल न होने

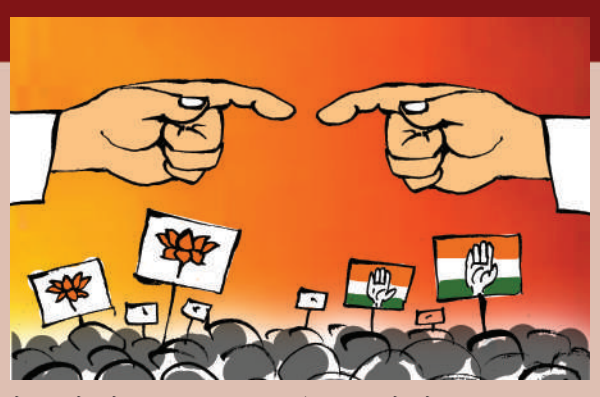

के चलते फोन कट गया था. आनंद भारती ने थोड़ी दूर पर एसटीडी की एक दुकान से अपने मित्र को फोन किया. उन्होंने अक्षरधाम हमले के बारे में विस्तार से बताया, मंदिर में आतंकी घुस गए हैं. गोलियां चल रही हैं. आतंकियों ने लोगों को बंधक बना रखा है, वग़ैरह–वग़ैरह.

आनंद भारती ने अपनी गाड़ी गांधीनगर घुमवा दी. रात आठ बजे के बाद वह मौक़े पर थे. हमले में 31 लोग मारे जा चुके थे. अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने हमले के विरोध में देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया. घटना की जानकारी लेकर उन्होंने रिपोर्ट भेजी और रात को तीन बजे घर पहुंचे. रात को उन्हें बुरे सपने सताने लगे. उन्हें डर सता रहा था कि इस हमले के जवाब में कहीं फिर गुजरात में दंगा न फैल जाए. लेकिन इस घटना ने लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम किया. मुसलमानों ने घटना की जमकर निंदा की. कारगिल हमले के समय जिस तरह देश के लोग एक हो गए थे, उसी तरह अक्षरधाम हमले के बाद लोग एक थे. गोधरा कांड के बाद विश्व हिंदू परिषद के अगले दिन बंद के आह्वान पर जिस तरह की हिंसा हुई थी, वैसी हिंसा अक्षरधाम हमले के बाद नहीं दिखी. इसी वक़्त यह भी सवाल हवा में तैरने लगा कि गोधरा कांड के बाद यदि मोदी सरकार ने उस समय अक्षरधाम हमले के बाद की तरह इंतज़ाम किए होते तो सैकड़ों लोगों को मरने से बचाया जा सकता था. सवाल यह भी उठा कि अक्षरधाम मंदिर में हमला करने वाले आतंकी थे, तो गोधरा कांड के बाद गुजरात में वनी दक्कनी की मजार सहित तोड़ी गई सैकड़ों मस्ज़िदों और मजारों को तोड़ने वालों को मोदी सरकार आतंकी क्यों नहीं कह रही है? उन्हें हिंदुत्व के रक्षक के रूप में महिमामंडित क्यों किया जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

गंगापुत्र नहीं चाहते गंगा मंदिर सुंदर दिखे

डॉ. कमलकांत बुधकर

हरिद्वार में इन दिनों कुंभ का ज़ोर है. साधु–संतों के दो शाही स्नान हो चुके हैं. अगर कोई नई बात न हुई तो इस बार जोड़ा जा रहा नया शाही स्नान भी 30 मार्च को संपन्न हो जाएगा. फिर बचेगा आख़िरी और मुख्य कुंभस्नान पर्व, जो 14 अप्रैल की मेष–संक्रांति पर संपन्न होगा. सारे शाही स्नान हरकी पौड़ी ब्रह्मकुंड पर संपन्न होते हैं. इस प्रमुख स्नान स्थली पर अनेक देव मंदिर सैकड़ों वर्षों से प्रतिष्ठित हैं. हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु हरकी पौड़ी पर स्नान करके इन्हीं देव मंदिरों में देवी–देवताओं के दर्शन और पूजा–आराधना करते हैं. हरिद्वार में चूंकि गंगा का महत्व अधिक है, इसलिए हरकी पौड़ी और अन्यत्र भी एकाधिक गंगा मंदिरों का आधिक्य है. हरकी पौड़ी के इन्हीं मंदिरों में आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित गंगा मंदिर, सिखौलों का गंगा मंदिर और महंतानी कौरादेवी से संबद्ध रहा अठखंभा गंगा मंदिर प्राचीन गंगा मंदिरों की कड़ी में हैं, जबकि तीर्थ पुरोहितों की संस्था द्वारा प्रतिष्ठित एक और गंगा मंदिर हरकी पौड़ी के उत्तर में महिला घाट से सटा हुआ है. बीसवीं सदी के नवें दशक में बना यह मंदिर अन्य गंगा मंदिरों में सबसे अधुनातन है.

इन गंगा मंदिरों के अलावा हरकी पौड़ी पर तीन और प्रमुख मंदिर हैं. श्री गंगाधर महादेव मंदिर, हरिचरण पादुका मंदिर एवं इसी के निकट दुमंजिला लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसके भूतल पर विशाल गणेश प्रतिमा प्रतिष्ठित है. गणेश जी के ही ऊपर प्रथम तल पर भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह है. हरिचरण और गंगाधर महादेव मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 1938 के महाकुंभ से पहले हरकी पौड़ी विस्तार योजना के साथ–साथ हो गया था. पुरातन चित्रों और दस्तावेज़ों के अलावा इन तीनों मंदिरों का वर्तमान शिल्प भी इसका प्रमाण है. लक्ष्मी नारायण मंदिर की बाहरी परिक्रमा तो 1950 के कुंभ के बाद ही बनवाई गई थी, लेकिन सोलहवीं सदी के राजा मानसिंह वाले गंगा मंदिर का जीर्णोद्धार तब नहीं हो पाया था. वक़्त और गंगा के सतत प्रवाह के थपेड़े झेलते इस गंगा मंदिर को भी जीर्णोद्धार की ज़रूरत थी. सो, इस गंगा मंदिर के पुश्तैनी स्वामियों ने 1997 में इसके जीर्णोद्धार की प्रक्रिया आरंभ की. सितंबर 1997 से 26 फरवरी 1998 तक जीर्णोद्धार कार्य अबाध गति से चला और महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर पर विधिवत कलश स्थापना भी हो गई. अब तक किसी ओर से कोई विरोध नहीं था.

यहां इस बात का उल्लेख ज़रूरी है कि हरकी पौड़ी के मंदिरों की व्यवस्था से श्री गंगासभा का कोई लेना–देना नहीं है. न मंदिरों के मालिक और पुजारी गंगासभा के सदस्य हैं और न ही मंदिरों की व्यवस्था में दख़लंदाज़ी का कोई अधिकार गंगासभा को है. लेकिन, सभा के चंद स्वार्थी एवं राजनीति प्रेरित तत्वों द्वारा गंगा मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में अड़ंगा लगाया गया. हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर दबाव डालकर मंदिर का जीर्णोद्धार रुकवाया गया, जिसके विरुद्ध मंदिर के स्वामी पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए. वे हरकी पौड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगासभा में आंतरिक चुनावों के चलते हो रही गुटबाज़ी के तहत भारी उठापटक के दिन थे. सभा के दोनों गुट एक–दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तब भी तैयार थे और आज भी हैं. वही गुटबाज़ी आज तक बदस्तूर चली आ रही है. गंगा मंदिर से कोई संबंध किसी गुट का न होने पर भी परस्पर आरोपों–प्रत्यारोपों के चलते जीर्णोद्धार कार्य में कौन सा गुट कितनी अड़ंगेबाज़ी मंदिर कार्य में लगा सकता है, इसकी होड़ सी शुरू हो गई. स्वयं को गंगापुत्र और तीर्थ पुरोहित कहलाने वाला सारा पंडा समाज तो नहीं, पर हां समाज में राजनीतिक जोड़तोड़ करने वाले समाज का एक वर्ग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गंगाजी के ही प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण की ख़िलाफ़त पर उतर आया. पहले अफ़वाह उड़ाई गई कि उक्त मंदिर तो मंदिर ही नहीं है, राजा मानसिंह की समाधि है. यह भी कहा गया कि मानसिंह की नहीं, बल्कि जोधाबाई की समाधि है, पर इन आधारहीन बातों का कोई प्रमाण नहीं दिया गया. इसके विपरीत मंदिर स्वामियों ने जयपुर के सवाई द्वितीय संग्रहालय से प्रमाण हासिल किए कि उक्त मंदिर स्वयं राजा मानसिंह ने अपने जीवनकाल में बनवाया. यही नहीं, इनकी दो समाधियां या कि छतरियां मौजूदा महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में तहसील अचलपुर और राजस्थान के आमेर में आज भी सुरक्षित हैं. इनकी कोई तीसरी छतरी कहीं है ही नहीं. इतिहासकार एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ब्रिटिशकालीन डायरेक्टर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम अपनी पुरातात्विक खोज रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि मानसिंह प्रथम ने हरकी पौड़ी का भी जीर्णोद्धार करवाया और आज के हरिद्वार नगर की नींव भी डाली.

यह तथ्य उजागर होने के बाद गंगा मंदिर को मानसिंह की छतरी कहने का अभिप्राय आम लोगों की समझ में आ गया कि वह मानसिंह का बनवाया हुआ छतरीनुमा मंदिर है, न कि अस्थियां गाड़ने की जगह! यूं भी हरिद्वार का प्रमुख स्नान एवं पूजास्थल हरकी पौड़ी कभी श्मशान नहीं रहा कि वहां कभी किसी राजा–महाराजा की समाधि या छतरी बनाई जाती. फिर गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा है न कि अस्थियां गाड़ने की. जब उक्त तीर खाली चले गए तो कहा गया कि गंगा मंदिर में जीर्णोद्धार के अंतर्गत मंदिर के ऊपर कमरों का निर्माण कराया जा रहा है. मंदिर के शिखर की ओर के आठ स्तंभों को परस्पर जोड़ने के लिए शिखर के क़रीब जो क्रॉसबीम्स डाले गए, उन्हें परस्पर जोड़कर ईंट, सीमेंट, लोहा– लंगड़ डालने की जो अस्थायी जगह बनाई गई, उसे कमरा कहकर विरोध शुरू कर दिया गया. कहा गया कि मंदिर स्वामी वहां भी मूर्तियां रखकर ज़्यादा पुजापा चढ़वाने की जुगत में हैं. जबकि इस तथाकथित कमरे तक पहुंचने का कोई मार्ग या सीढ़ी है ही नहीं. इसके विपरीत इसी हरकी पौड़ी पर ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं, जहां देवी–देवताओं के सिर पर न केवल दूसरे देवी–देवता स्थापित हैं, बल्कि देवी–देवताओं की छत पर जूते पहने लोगों का विचरण भी संभव है. हरकी पौड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था गंगा मैया की जिस रजत प्रतिमा की पूजा–आरती, सुबह–शाम करती–करवाती है, वह हरकी पौड़ी दशकों से सीढ़ियों के नीचे की बुखारी में रखी जाती है. इस बुखारी के ऊपर की सीढ़ियों पर जूते पहन कर लोगों का आवागमन होता है और भीड़–भड़क्के में वे सीढ़ियां महिलाओं के अस्थायी मूत्रालय तक में तब्दील होती देखी गई हैं.

हरकी पौड़ी पर ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में गणेश जी के ऊपर लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं. आरती स्थान के पीछे बनी छतरीनुमा कोठरियों में नीचे देव प्रतिमाएं हैं और ऊपर लोग रहते हैं. पर आज तक किसी को कोई आपत्ति इन बातों को लेकर नहीं हुई. और तो और, हरकी पौड़ी में अप्रतिष्ठित एवं खंडित देव प्रतिमाओं को पुजवाते दर्ज़नों खोखानुमा मंदिर हैं, जिन्हें देखकर आम आस्तिक व्यक्ति को दुःख होता है, पर इन सबके विरोध में बोलने से राजनीतिक लाभ के बजाय नुक़सान की आशंका अधिक है, इसलिए कोई कुछ कहना नहीं चाहता. इन सबके विपरीत मानसिंह वाले गंगा मंदिर का विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वह जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद हरकी पौड़ी का सुंदर मंदिर बन कर उभरेगा. यही कारण है कि इसे लेकर कोई न कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है. अब कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई अधिक हो गई है, इसे कम कर दिया जाए. इस बेतुकी मांग के साथ कुतर्क यह दिया जाता है कि मंदिर की ऊंचाई के कारण मालवीय द्वीप से लोग आरती नहीं देख पाते. आरती ज़मीन पर गंगा तट पर होती है और पहले जैसे देखी जाती थी, वैसे ही अब भी देखी जा सकती है. पर कुतर्क का कोई जवाब होता ही नहीं है.

अब अगर शिखर तोड़कर गंगा मंदिर की ऊंचाई कम कर दी जाए तो पंडा समाज के वर्तमान कर्णधार मंदिर बनने देने को तैयार हैं. बने हुए मंदिर को तोड़ने की इन ब्राह्मणों की जिद् का ही परिणाम था कि दूसरे शाही स्नान से पहले जब मंदिर स्वामियों ने लकड़ी के अस्थायी मेहराबदार पैनल्स लगाकर मंदिर को सुंदरता और सुरक्षा देनी चाही तो कतिपय गंगापुत्रों ने गंगा मैया के मंदिर की सुंदरता का विरोध करते हुए पुलिस और प्रशासन पर भारी दबाव डालकर उन्हें हटवा दिया. प्रशासन ने बहाना बनाया कि पैनल्स स्नानार्थियों पर गिर सकते हैं, इसलिए हटाना ज़रूरी है. पर सचाई यह है कि पुलिस मज़बूती से लगे पैनल्स को हटा नहीं सकी, इसलिए बढ़ई से उन्हें कटवा कर गंगा में बहा दिया गया, क्योंकि गंगा मंदिर की अस्थायी सुंदरता भी कुछ गंगापुत्रों को नागवार है. गंगा मैया के मंदिर का वर्तमान अधबनापन हर देखने वालों को अखरता है. सिर्फ़ कुछ पंडों के अहंकार की तुष्टि के चलते प्रशासन, पुलिस एवं चुनी हुई सरकार निरुपाय है और मूकदर्शक की भूमिका में है. मंदिर स्वामी उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार कर रहे हैं, पर बारह–तेरह बरसों बाद भी वहां से निर्णय प्रतीक्षा ही है.

चर्चा कुंभनगर की

kk@budhkar.in

आपकी तस्वीर पाते ही यह प्रिंटर उसको ऑटोमैटिक मोड में एडजस्ट करता है. इसके 2.3 इंच के साइज में थर्मल जिंक फोटो पेपर में आपको ख़ूबसूरत प्रिंट मिलता है.

वॉक्स वैगन का नया कदम

ऑटोमोबाइल जगत में वॉक्स वैगन इंडिया ने अपना एक ख़ास मुक़ाम बना लिया है. अपनी लोकप्रियता और प्रचार की आवश्यकताओं को देखते हुए कंपनी ने राजधानी में हाल ही में अपने तीसरे शोरूम वॉक्स वैगन साउथ की ओपनिंग की है. इस उद्घाटन के दौरान कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट न्यू पोलो जनता के सामने पेश किया.

इस मौक़े पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य नीरज गर्ग ने बताया कि इस शोरूम में एक साथ चार गाड़ियों का प्रदर्शन और प्रतिदिन 25 गाड़ियों की सर्विस की जा सकती है. उनके मुताबिक़ उन्होंने अपना यह शोरूम मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर राजधानी के अति व्यस्त इलाक़े साउथ एक्स में प्रारम्भ किया है और कंपनी ने देश के 43 बड़े शहरों में अपने शोरूम स्थापित किए हैं, ताकि उनके किसी भी ग्राहक को कंपनी तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उनकी गाड़ी का उपयोग कर सकें.

वॉक्स वैगन साउथ दिल्ली के प्रमुख एस.एस. भसीन के अनुसार उन्होंने शोरूम में वॉक्स वैगन के साथ साझेदारी करने से पहले अच्छी तरह से जांचा और परखा और इसके बाद ही इस मज़बूत इमारत में भागीदारी करने का निश्चय किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि वॉक्स वैगन दुनिया भर में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भविष्य में वर्ल्ड क्लास गाड़ियां तैयार करेगा ताकि आने वाले समय में वह सड़कों पर बहुतायत में नज़र आए.

इस मुहुर्त समारोह में डी.जे. नारायण, संजना जॉन, राहुल मित्रा, पुनीत जुनेजा और पी.एस. राठौर जैसी जानी-मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया.

एस एस भसीन, जे एस भसीन और नीरज गर्ग

न्यू टैबलेट आईपैड

इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कंपनी एप्पल ने ख़ासा नाम कमाया है. आइपॉड, मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी एप्पल नए नए प्रयोग कर रहा है. इसी नए प्रयोग के तहत कंपनी ने आईफोन के कांसेप्ट पर आधारित एक स्लिम, लार्ज स्क्रीन डिवाइस लांच किया है, जिसे टेबलेट आईपैड कहा जा रहा है. इस स्टाइलिश गैजेट में कई ऐसे फीचर्स हैं, जो आपको गिज्मोफ्रेंडली बनाते हैं. अगर इसके साइज़ की बात करें तो यह सिर्फ़ 0.5 इंच पतला है और इसका वजन मात्र 1.5 पाउंड है. यानी आप इसे आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं. इसका डिस्प्ले 9.7 इंच 1024. 768 के साथ इसे और भी ख़ूबसूरत बनाता है. इसके अलावा आजकल स्टोरेज की बात पर अधिकतर ब्रांड्स 8 जीबी पर आकर रूक जाते हैं. पर इस मामले में एप्पल आपको 16 जीबी से लेकर 64 जीबी तक की फ्लैश स्टोरेज मेमोरी सुविधा देता है. कुल मिलाकर आप अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं. इसका बैटरी बैकअप 10 घंटे का है और स्टैंडबाई टाइम एक महीने का है. कंपनी का दावा है कि कनेक्टिविटी और टेक्निकल सपोर्ट के मामले में भी यह किसी से पीछे नहीं है. इसमें आपके लिए वाईफाई और ब्लूटूथ के अलावा 3 जी सर्विस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. एमपी–3 से लेकर अन्य म्यूज़िक फॉर्मेट, एप्लीकेशंस के अलावा इस गैजेट में वे सभी फीचर्स हैं, जो एक हाई फाई गैजेट में होते हैं लेकिन फिर भी इसमें कुछ खामियां रह गई हैं जिससे आपका रूबरू होना जरूरी है. मसलन इसमें कैमरा नहीं है, फ्लैश और कुछ बेबसाइट के मामले में भी कुछ सीमाएं हैं. इन सब को छोड़ दें तो कुल मिलाकर यह गैजेट यूजेबल है. जल्द ही इसके मॉडल और कीमतें बाजार में आ जाएंगी.

एडीडास स्टाइल एसेंशियल

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पोर्ट्स और सेलिब्रिटी के सबसे चहेते ब्रांड के तौर पर एडिडास का एक अलग नाम है. स्पोर्ट्स वियर के बाद कंपनी युवकों के बीच अपनी लोकप्रियता बढाने के लिए नित नए प्रयोग कर रही है. पिछले दिनों कंपनी ने अपने यंग, फ्रेश और स्पोर्ट्स ब्रांड को एडीडास स्टाइल एसेंशियल के नाम से लांच करने की घोषणा की है. इसके लिए कंपनी ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए क्लॉथिंग, फुटवियर, एपेरल ओर ऐसेसिरीज के अलावा न्यू स्टाइल फैशन के अंदर कई स्टाइलिश ब्रांड उतारे हैं. इतना ही नहीं फैशन और स्टाइलिश ब्रांड के शौकीनों के लिए एडीडास ने मशहूर डिजाइनर डुओ शांतनु और निखिल को भी अपने साथ शामिल किया है. ये डिजाइनर एस एंड एन के नाम से, खासतौर से इसी ब्रांड के लिए एक एक्सक्लूसिव रेंज बनाएंगे. फिलहाल कंपनी के 20 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि वह 2010 तक लगभग 100 नए स्टोर्स खोलने की योजना बना रही है. एडीडास स्टाइल एसेंशियल ने 2008 के आसपास अमरीका और चाइना के बाजार से शुरूआत की थी. पर अब इसका पूरा ध्यान यूरोपियन और एशियन मार्केट में अपना वर्चस्व बनाने पर है. इस नए प्रोडक्ट के लांचिंग के अवसर पर एडीडास के मैनेजिंग डायरेक्टर एड्रेंस गेलनर ने कहा कि उन्हें इस एसेंशियल सेगमेंट के लिए भारत में खासा उत्साह देखने को मिला है, इसलिए आगे भी उनकी कंपनी इस क्षेत्र में कई रोचक और लोकप्रिय कार्य करती रहेगी. अगर कीमतों के बारे में बात करें तो आपको एस एंड एन रेंज में ऐपेरल के लिए 999 रुपए से 2599 रूपए, फुटवियर के लिए 2499 रुपए से 3999 रूपए और ऐसेसिरीज के लिए 599 रुपए से 3999 तक खर्च करने पड़ेंगे. इसके अलावा एडीडास स्टाइल एसेंशियल के लिए ऐपेरल में 499 रुपए से 1699 रूपए, फुटवियर के लिए 899 रुपए से 4299 रूपए तक और ऐसेसिरीज के लिए 499 रुपए से 2499 रूपए तक खर्च करने पड़ेंगे. ऐडीडास जैसे ब्रांड और इस स्टाइलिश कलेक्शन के लिए कंपनी की प्राइस रेंज ज्यादा मंहगी नहीं है. तो फिर देर किस बात की, अगर स्पोर्ट्स वियर और ब्रांड का शौक पालते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है.

बेन की पॉवरपैक्ड नई सीरीज

का टून नेटवर्क पर चलने वाली कार्टून सीरीज बेन–10 से सभी बच्चे वाकिफ हैं. 10 साल का सुपरहीरो बेन–10 यानी बेंजामिन टेनीसन लगभग हर बच्चे का प्रिय कॉमिक हीरो है. बच्चों में इसकी खासी लोकप्रियता को देखते हुए अब इसको पहले से ज्यादा परिपक्व, एक्शन पैक्ड और रोमांचकारी बनाया जा रहा है. इसके लिए क्रिएटिव टीम ने बेन–10 को अलग अलग सीरीज और अलग अलग कहानियों में पेश करने की योजना बनाई है. बेन–10 को, इस नाम से क्यों पुकारते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है. दरअसल बेन को एक रहस्मयी घड़ी हाथ लगती है. धीरे धीरे बेन को अहसास होता है कि इस ओमनीट्रिक्स वॉच में कई सुपरनेचुरल पॉवर्स हैं, जिनके इस्तेमाल से वह दस विभिन्न अवतारों या एलियंस का रूप धारण कर सकता है. हर एलियंस की अपनी अपनी पॉवर है जिसके माध्यम से वह दुनिया को शैतानी शक्तियों और बुराइयों से बचाता है. पांच साल बाद अचानक उसके ग्रैंडपा, मैक्स गायब हो जाते हैं. यहीं से वह अपने दस नए एलियंस अवतारों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए नए सफर में निकल पड़ता है. इसी सफर को कार्टून नेटवर्क में बेन–10 द एलियन फोर्स के नाम से दिखाया जा रहा है. इसके अलावा एक और सीरीज होगी जिसमें बेनटेन के कारनामों का एक अलग अंदाज और नया कलेवर देखा जा सकेगा. इस सीरीज का नाम होगा बेनटेन– रेस अगेंस्ट टाइम. इसमें बेन के प्रशंसकों को मिलेगा नॉन स्टॉप एक्शन, थ्रिल, संस्पेंस और एलियंस. इस सीरीज में बेन की ऐसी अनेक शैतानी शक्तियों से सामना होगा. यहां तक कि बेन की ओमनीट्रिक्स वॉच की शक्ति भी खत्म हो जाएगी. अब बेन इन सबसे कैसे निपटेगा, यह देखने के बाद ही पता चलेगा? इस रोमांचक वॉर को देखने के लिए कार्टून नेटवर्क ट्यून कीजिए और साथ दीजिए बेन के इस बुराई के खिलाफ चलने वाली जंग में.

पोगो पॉलेराइड प्रिंटर

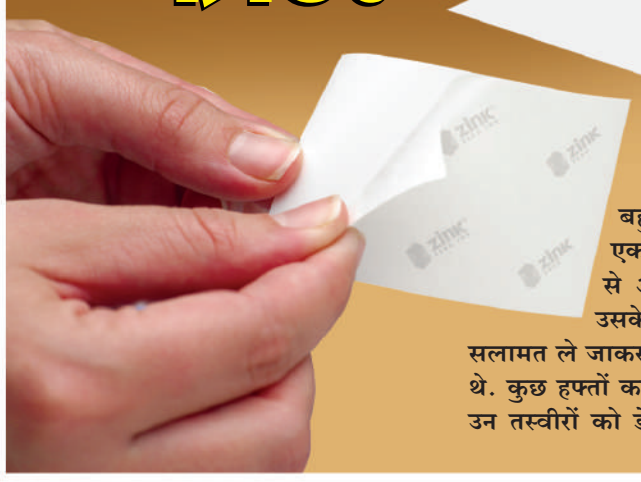

आज के हाईटेक दौर में समय के साथ साथ तकनीक भी बहुत ही जल्दी रंग बदलती है. एक समय था जब लोग कैमरे से अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे, उसके बाद उसकी रील को सही सलामत ले जाकर किसी स्टूडियो को सौंप देते थे. कुछ हफ्तों का समय लेकर स्टूडियो वाला उन तस्वीरों को डेवलप और प्रिंट करके देता था. इन सबको हम अपने एलबम में सजाते थे. पर इस प्रक्रिया में जो चीज सबसे ज्यादा खराब थी, वह यह कि एकबार तस्वीर जैसी आ गई उसमें बदलाव करना मुश्किल था. पर आज के समय में लोग घर में प्रिंटर रखते हैं. डिजिटल कैमरों से फोटो सेट की जाती है और उसी वक्त प्रिंट ले लिया जाता है. इसी वजह से आज हर कंपनी ऐसी सुविधाएं दे रही है कि आप जल्द से जल्द हाई रिजोल्यूशन की तस्–वीरों का प्रिंट चुटकी बजाते ही ले सकें. इसी कड़ी में पोगो प्रिंटर ने भी अपना प्रोडक्ट लांच किया है. इस ब्लैक और सिल्वर बॉक्स जैसे लुक देने वाले पोगो को आप आसानी से कैरी कर सकते हैं.

अब इसके प्रयोग की बात करते हैं. आपको अपने डिजिटल कैमरे या मोबाइल से तस्वीर कैप्चर करके ब्लूटूथ या यूएसबी के जरिए पोगो को भेजनी है तो सारा काम पोगो प्रिंटर करेगा. आपकी तस्वीर पाते ही यह प्रिंटर उसको ऑटोमैटिक मोड में एडजस्ट करता है. इसके 2.3 इंच के साइज में थर्मल जिंक फोटो पेपर में आपको खूबसूरत प्रिंट मिलता है. कंपनी ने नोकिया एन 82 और 95 मॉडल के साथ पोगो की कांपैटिबिलिटी को भी बढाया है. कंपनी के मुताबिक ये दोनों ही मॉडल इमेज कैप्चर के मामले में उच्च गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं. अगर आपको भी झटपट और आसानी से अपनी तस्वीरों के प्रिंट चाहिए तो 150 डॉलर में इस पॉलेराइड पोगा प्रिंटर को अपने घर ला सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए नए पैंतरे अपनाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें आम लोगों के लिए कहां जगह बनती है.

आईपीएल का अड़ियल रवैया

अपनी तीसरी पारी में पहुंच चुकी इंडियन प्रीमियर लीग और उससे जुड़े विवादों का रिश्ता कोई नया नहीं है. लीग अपनी पहली पारी में भी अनेक लोगों की घोर आलोचना का शिकार हुआ था. लीग के अधिकारियों, खासकर कमिश्नर ललित मोदी के तानाशाही रवैये के चलते क्रिकेट और ग्लैमर के इस अनोखे मिश्रण को अक्सर अकारण ही विवादों का शिकार होना पड़ा है. तीसरे सीजन की शुरुआत से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नीलामी में शामिल नहीं किए जाने और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर खिलाड़ियों की चिंता का मामला अभी पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि टूर्नामेंट के फुटेज को लेकर मीडिया के साथ तनातनी ने इसे एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया. हालांकि, टूर्नामेंट की शुरुआत होते-होते मामला सुलझ गया लेकिन लीग अधिकारियों के अड़ियल रवैये ने मीडियाकर्मियों के साथ आम लोगों का स्वाद भी कसैला कर दिया.

दरअसल, मीडिया का कहना था कि लीग ने टूर्नामेंट के कवरेज और फुटेज के इस्तेमाल को लेकर बेवजह नए पैमाने तय कर दिए हैं. नए दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूज चैनल्स आधे घंटे के बुलेटिन में अधिकतम तीस सैकंड का मैच फुटेज इस्तेमाल कर सकते थे और दिन भर में सात मिनट से ज्यादा का फुटेज दिखाने की मनाही थी. इन फुटेज को दिन में अधिकतम तीन बार ही पुर्नप्रसारित किया जा सकता था जबकि पहले चार बार तक की अनुमति हासिल थी. इतना ही नहीं, फुटेज के इस्तेमाल की समय सीमा में भी अनावश्यक इजाफा कर दिया गया था. पहले की व्यवस्था के अनुरूप मैच के फुटेज पांच मिनट बाद ही प्रसारित किए जा सकते थे, लेकिन अब इसे बढाकर आधा घंटा कर दिया गया था. नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के विरोध और टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी के बाद हालांकि मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि लीग के अधिकारी मीडिया और आम जनता के साथ इस तरह के दुराव का व्यवहार क्यों अपनाते हैं.

इसमें कोई शक नहीं कि आईपीएल का प्राथमिक उद्देश्य क्रिकेट को व्यापार का स्वरूप देकर अधिकतम मुनाफा कमाना है. अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए नए पैंतरे अपनाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें आम लोगों के लिए कहां जगह बनती है. आईपीएल के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में आम लोगों की पहुंच से पहले ही बाहर है, क्योंकि इन इलाकों में केबल टीवी की पहुंच अभी भी नहीं के बराबर है. ऐसे में मैच फुटेज के प्रसारण पर बंदिशें लगाकर लीग आखिर साबित क्या करना चाहता था, यह आम लोगों की समझ से परे है. एक ओर तो लीग और बीसीसीआई आईपीएल के आयोजन से कमाई के नए कीर्तिमान बना रही है, तो दूसरी ओर इसे आम लोगों की पहुंच से बाहर करने की कोशिश बार-बार की जा रही है. गौरतलब है कि लीग के पहले सीजन में भी इन्ही मुद्दों पर मीडिया के साथ उसका विवाद हुआ था. आईपीएल यदि देश में क्रिकेट के विकास और लोकप्रियता को वास्तव में बढावा देने का इच्छुक होता तो होना ये चाहिए था कि इसके मैचों का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख पाते. लेकिन व्यावसायिक मुनाफे के लिए आम जनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना तो शायद आईपीएल की फितरत में ही शामिल है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फार्मूला-वन ट्रैक पर नया भारतीय नाम-करुण चंडोक

छब्बीस साल का करुण चंडोक फार्मूला-वन रेसिंग ट्रैक पर नया भारतीय नाम है. बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में हिस्पेनिया रेसिंग टीम के लिए ट्रैक पर उतर कर उन्होंने भारत की उन उम्मीदों को एक बार फिर हवा दे दी है, जिसे आज से करीब पांच साल पहले नारायण कार्तिकेयन ने जन्म दिया था. हालांकि, बहरीन में अपने पहले फार्मूला-1 रेस में चंडोक कुछ खास नहीं कर पाए. सर्किट के उतार-चढ़ावों से सामंजस्य बिठाने में नाकाम रहने के बाद उनकी कार किनारे से टकरा गई और सर्किट के दो लैप्स पूरा करने से पहले ही उन्हें रेस से बाहर होना पड़ा, लेकिन तेजी और स्पीड की इस निराली दुनिया में चंडोक की मौजूदगी ही भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भविष्य के लिए उम्मीद जगाने वाली है. चंडोक का नाम पहली बार साल 2000 में चर्चा में आया, जब फार्मूला-वन मारुति सीरीज के 10 में से सात रेस जीतकर वह राष्ट्रीय रेसिंग के चैंपियन बने. 2001 में टीम इंडिया रेसिंग के लिए ट्रैक पर उतर सबसे कम उम्र में फार्मूला-वन एशिया चैंपियन का खिताब उन्होंने हासिल किया. अगले दो सालों तक चंडोक ब्रिटिश फार्मूला-3 की चैंपियन टीम कार्लिन मोटरस्पोर्ट के साथ जुड़े रहे. 2004 में उन्होंने पहली बार टी-स्पोर्ट के लिए ब्रिटिश फार्मूला 3 श्रेणी में कदम रखा और 14वां स्थान हासिल किया. इसी साल उन्होंने नारायण कार्तिकेयन के साथ आरसी मोटरस्पोर्ट के लिए निसान के वर्ल्ड सीरीज के आखिरी दो राउंड में भी भाग लिया. कार्तिकेयन के फार्मूला 1 में प्रवेश के बाद चंडोक कुछ समय के लिए फार्मूला रेनॉल्ट 3.5 सीरीज में आरसी मोटरस्पोर्ट के साथ जुड़े रहे. 2006 में वो रेनॉल्ट फार्मूला एशिया वी6 के पहले चैंपियन बने. 2007 में डुरांगो के साथ करार कर चंडोक ने जीपी 2 सीरीज में प्रवेश किया. जीपी 2 सीरीज में अपनी पहली जीत के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और बेल्जियम के स्पा-फ्रैंकोरचैंप्स के स्प्रिंट रेस में पहला स्थान हासिल किया. इसी साल नवंबर में रेड बुल रेसिंग फार्मूला वन टीम की ओर से टेस्ट ड्राइविंग का निमंत्रण उन्हें मिला जिसे उनके करियर में एक नए दौर की शुरुआत माना जा सकता है. हालांकि, 2008 में वह जीपी 2 सीरीज के साथ जुड़े रहे और आई स्पोर्ट इंटरनेशनल टीम के लिए उन्होंने एक जीत हासिल की और ड्राइवर्स चैंपियनशिप में दसवां स्थान हासिल किया. सीजन के आखिर में उन्हें बेस्ट ड्राइविंग स्टाइल पुरस्कार से भी नवाजा गया.

2008 में चंडोक विजय माल्या की फोर्स इंडिया टीम के साथ जुड़े. 2009 में टीम के ड्राइवर फिशेला के फेरारी टीम में शामिल होने के बाद चंडोक उनकी जगह लेने के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन विटाटोनियो लियुजी इस दौड़ में उनसे आगे निकल गए. इससे फार्मूला वन रेसिंग में शामिल होने के उनके सपने को गहरा झटका लगा, लेकिन चंडोक और उनके परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी. आखिर 2010 में उनके सपने ने हकीकत का रूप लिया जब स्पेन की हिस्पेनिया रेसिंग एफ 1 टीम ने उनके साथ करार किया. टीम में ब्रूनो सेना उनके सहयोगी हैं जो जीपी 2 रेसिंग टीम में भी उनके साथ रहे हैं.

कॉमनवेल्थ गेम्स विवाह नहीं है

सुरेश कलमाडी

उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों के शुरुआत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके लिए तैयारियों का आलम यह है कि आयोजकों के जुबानी जमाखर्च के अलावा और कुछ खास देखने को नहीं मिलता. खेलों के लिए बनी आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यह कहते नहीं थकते कि समय रहते सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन हालत यह है कि मुख्य स्टेडियम और स्वीमिंग कॉम्प्लेक्स अब तक तैयार नहीं हो पाया है. स्टेडियम तक पहुंचने के लिए बन रहे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल परियोजनाएं भी अटकी पड़ी हैं लेकिन आयोजक निश्चिंत हैं. वे तो शायद यह भी भूल गए हैं कि जून-जुलाई में मानसून की आमद से पहले यदि सारे काम निपटा नहीं लिए गए तो सारी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार होना पड़ सकता है.

कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (सीजीएफ) के अध्यक्ष माइक फेनेल कुछ दिनों पहले तैयारियों का जायजा लेने नई दिल्ली पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा. मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट बताया कि तैयारियां काफी पीछे चल रही हैं और उन्हें संदेह है कि समय रहते सब कुछ तैयार हो पाएगा. उधर फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक हूपर कहते हैं कि आयोजन समिति अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है. हूपर के मुताबिक समिति ने पहले बताया था कि मुख्य स्टेडियम मार्च तक तैयार हो जाएगा. अब उन्होंने इसे खुद ही बढाकर जून कर दिया है. हूपर हैरत में हैं क्योंकि उनके मुताबिक तैयारी पूरी होने के बाद कम से कम दो महीने का समय तैयारियों की परीक्षा में और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता में लगेगा. राष्ट्रमंडल खेलों की विधिवत शुरुआत से पहले सारी तैयारियों को आजमाना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि आखिरी समय में सारे कल-पुर्जे अपनी जगह तंदुरुस्त हों. लेकिन खेल आयोजन समिति इन चिंताओं से बेखबर है.

तैयारियों के बाबत पूछे जाने पर तैयारी समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी सीजीएफ को भारतीय शादी का उदाहरण देते हैं. उन्हें भरोसा है कि जिस तरह अपने देश में शादियों में बाहर से देखने से सब कुछ अव्यवस्थित लगता है लेकिन शादी के फेरों की शुरुआत होते-होते सारा कुछ अपनी जगह पर होता है, उसी तरह खेलों की शुरुआत से पहले सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी. लेकिन कलमाडी यह भूल गए हैं कि अपने देश में कई बार कुव्यवस्था के कारण कुछ रसूखदार लोग बारात वापस भी ले जाते हैं. फिर भी वह यहां तक दावा करते हैं कि भारत में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल मैनचेस्टर और मेलबर्न के मुकाबले कहीं भव्य और संगठित होगा. हो सकता है कि कलमाडी अपने दावे पर खरे उतर जाएं, पर खेल के आयोजन से जुड़े कई अन्य लोग कलमाडी की बातों से इत्तफाक नहीं रखते. तैयारियों को लेकर पिछले साल अक्टूबर में कलमाडी और हूपर के बीच छिड़ी जंग के बाद कोई खुलकर नहीं बोलना चाहता, लेकिन दबी जुबान से अधिकारियों को कोसते हैं. साल 2003 में भारत में उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को सीजीएफ ने मंजूरी दी थी. पिछले सात सालों में यदि योजनाबद्ध तरीके से तैयारियों को अंजाम दिया गया होता तो आज न यह भागमभाग वाली स्थिति होती और न ही आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर आता. लेकिन यदि आयोजक ही इतने बड़े आयोजन को एक परंगरागरत भारतीय शादी के पैमाने पर तौल रहे हों तो क्या कहा जा सकता है.

COACHING BY EXPERTS
PACIFIC SPORTS COMPLEX
MEMBERSHIP OPEN
Offers World Class Facilities in
Olympic Size Swimming Pool (50x21 m)
Taekwondo
Table Tennis
Ice Hokey
Yoga
Dance & Music
Lajpat Nagar, Near L.S.R., Opp. G.K .- I Petrol Pump New Delhi
Call : 64520554, 64520555, 26452747/48, 9911138192

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

फिल्म महाश्वेता देवी की एक कथा जो आदिवासियों के जीवन पर है, पर आधारित है. इसलिए कहानी के मुताबिक उनको आदिवासी परिधानों में नजर आना था.

बदले बदले से जनाब

यूरोप और अमेरिका में पली बढी नंदना सेन बॉलीवुड में भले ही जाना माना नाम न हों पर अभिनय के मामले में ज्यादातर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते. पहली बार फिल्म ब्लैक में रानी मुखर्जी की छोटी बहन का किरदार निभाकर चर्चा में आई नंदना सेन अपनी हर फिल्म में एक नए किरदार में नजर आती हैं. ब्लैक के बाद फिल्म टैंगो चार्ली में भी उनके द्वारा निभाया गया किरदार काफी पसंद किया गया. हालांकि उसमें उनके बैकलेस बोल्ड सीन ने भी काफी सुर्खिया बटोरी थीं. उसके बाद फिल्म रंग रसिया में उन्होंने तो कयामत ही ढा दी. फिल्म में उनके द्वारा किया एक्सपोजर सेंसर की नजरों में इतना खटका कि उन्होंने उन पर फिल्माए गए सभी दृश्यों पर जमकर कैंची चलाई. इतना ही नहीं इन दृश्यों की वजह से फिल्म को ए सर्टिफिकेट से नवाजा गया है. लेकिन सबसे ज्यादा चौकाने वाली बात यह है कि अब वह अंग प्रदर्शन से भागने लगी हैं. दरअसल इटली के निर्देशक स्पीनेली की एक फिल्म में उनको कास्ट किया जाना था. फिल्म महाश्वेता देवी की एक कथा जो आदिवासियों के जीवन पर है, पर आधारित है. इसलिए कहानी के मुताबिक उनको आदिवासी परिधानों में नजर आना था, इसमें काफी एक्सपोजर भी था. इसलिए उन्होंने मना कर दिया. अब यह तो सौ चूहे खा के बिल्ली के हज जाने वाली बात हुई ना!

रावण में मंगल बना हूं : रवि किशन

हिंदी फिल्मों में कई सालों तक लंबा संघर्ष, धारावाहिकों में काम और उसके बाद भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बनने तक का सफर करने वाले रवि किशन फिल्म न घर के न घाट में एक नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं. पेश हैं *राजेश एस. कुमार* के साथ हुई बातचीत के प्रमुख अंश.

पुर्नजन्म सीरियल के गंभीर किरदार से सीधे कॉमेडी में आने में कैसा लग रहा है?

हां, धारावाहिक का कांसेप्ट ही कुछ ऐसा था जिसमें गंभीरता का लबादा ओढना होता है. रही बात कॉमेडी की तो फिल्म न घर के न घाट के में कोई कॉमेडी नहीं कर रहा है. सभी किरदार संकट के मारे हैं. परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पब्लिक को हंसी आ ही जाती है.

भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार मराठी गुंडा बन गया, क्या ऐसा ही किरदार है आपका?

सही बात है. लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपने रोल में भोजुपरिया स्टाइल दिखाउंगा. पर इस फिल्म में बिल्कुल उलट है. मेरे किरदार का नाम मदन कचाक है जो एक लोकल गुंडा है. उसकी गुंडागर्दी की दुकान चल नहीं रही है. किडनैप नहीं कर पाता, मर्डर करता है तो चाकू पूरा घुस नहीं पाता. कुल मिलाकर एक फ्लॉप भाई का किरदार है, जिससे लोग डरते कम हैं पर उस पर हंसते ज्यादा हैं.

लीड रोल में राहुल हैं, जबकि एक नॉर्थ इंडियन के किरदार में आप ज्यादा सटीक बैठते हैं? आप क्या सोचते हैं?

दरअसल जब मुझे कहानी सुनाई गई थी तब मुझे लगा था कि सेंट्रल किरदार मैं ही करूं. लेकिन राहुल जी को देखा तो सबकी यही राय थी कि अगर बिना मेकअप और सादे तरीके से कोई अभिनेता देवकीनंदन के किरदार को निभा सकता है तो वो सिर्फ राहुल ही हैं. राहुल को किसी तरह मनाया गया तब जाकर वह तैयार हुए. वह तो सीधे सादे निर्देशक हैं. बोले, कहां फंसा रहे हो. पर फिल्म देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि राहुल ही इस रोल के लिए राइट च्वॉइस हैं. और रही बात मेरी तो, मैं तो नार्थ इंडियन हूं ही. पहले भी इस तरह के किरदार कर चुका हूं. कुछ अलग करना भी जरूरी है.

आपने पिछले कई फिल्मों में हास्य किरदार अधिक निभाए हैं. क्या कॉमिक किरदार आपको ज्यादा भाते हैं?

जब मैंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था उस वक्त ये नहीं सोचा था कि किस तरह के रोल करने हैं. और एक अभिनेता होने के नाते आपको सभी तरह की भूमिकाएं करनी पड़ती हैं. हां यह अलग बात है कि कुछ किरदार आपको लाइमलाइट में ला देते हैं. जैसे हेराफेरी और वेलकम टू सज्जनपुर में मेरे द्वारा निभाए गए किरदार ज्यादा पसंद किए गए. इसलिए मैं कॉमेडी रोल कर रहा हूं. लेकिन ऐसा नही हैं कि मैं सिर्फ कॉमेडी ही कर रहा हूं. लक में मैनें एक साइको कैदी का निगेटिव किरदार निभाया था.

श्याम बेनेगल के साथ यह आपकी दूसरी फिल्म है. वे आपसे काफी प्रभावित लगते हैं?

उनका आशीर्वाद है तभी वेलकम टू सज्जनपुर के बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म अब्बा में भी मुझे रोल दिया है. वेलडन अब्बा में मैं एक एक पैशनेट पति के किरदार में हूं जिसका हनीमून सही तरीके से नहीं हो पाया है.

आप बहुप्रतीक्षित फिल्म रावण में अभिषेक के छोटे भाई का रोल कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट में दिखाई देने वाले हैं?

मणिरत्नम की रावण में मंगल के रोल में मैं हूं, इसमें मेरे साथ गोविंदा, विक्रम और ऐश्वर्या भी होंगे. श्याम बेनेगल की वेलडन अब्बा के अलावा कई भोजपुरी प्रोजेक्ट भी हैं.

शिल्पा के दिन फिरे

कुछ साल ही बीते हैं जब शिल्पा शेट्टी को बीते जमाने की अभिनेत्री माना जाने लगा था. न तो उनको बड़ी फिल्म ही मिल रही थी और न ही उनका कोई प्रशंसक बचा लग रहा था. शिल्पा को बिग ब्रदर और राज कुंद्रा का साथ क्या मिला, उनकी तो जैसे किस्मत ही बदल गई. हालांकि उनके डूबते करियर को बचाने का श्रेय राज कुंद्रा को ही जाता है. क्योंकि अगर वो नहीं होते तो न उनको ब्रिग ब्रदर जैसा बड़ा ऑफर मिलता और न ही इतना पैसे वाला पति. खैर वो सब पुराने दौर की बात हो गई. आज शिल्पा और राज मिलकर विदेशों में अच्छा खासा परफ्यूम का धंधा जमा रहे हैं तो दूसरी ओर भारत में राजस्थान रॉयल की आईपीएल टीम खरीद कर नए नए खेल दिखा रहे हैं. अभी हाल ही में आईपीएल के कार्यक्रम में उन्होंने खुलकर बात की. उनके मुताबिक देर से सही पर राज के जीवन में आने से उनको अपनी जिंदगी नए सिरे से संवारने का मौका मिला. वह कहती हैं कि भले ही थोड़ा क्रेजी लगे पर सच यही है कि वह और राज दोनों हर दिन को फेस्टीवल की तरह सेलीब्रेट करते हैं. अधिक से अधिक समय साथ में गुजारने की कोशिश करते हैं. अगर आप उनसे पूछेंगे कि उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन कौन सा है तो शिल्पा कहेंगी कि 22 नवंबर. नहीं समझे! अरे इस दिन उनकी मैरिज एनीवर्सरी जो है.

फिल्म रिव्यू

रोड मूवी: एक अर्थपूर्ण सिनेमाई यात्रा

पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में दो तरह की फिल्में बन रही हैं. पहली किस्म उन कमर्शियल और खोखली स्क्रिप्टों से भरी मल्टीस्टारर फिल्मों की है, जो तथाकथित 175 करोड़ की कमाई कर रही हैं और दूसरी किस्म है रोड मूवी जैसी फिल्मों की, जो अपनी कहानियों में इंटरटेनमेंट एलीमेंट के साथ सामाजिक सरोकारों को भी शामिल करती हैं. लेकिन, भारतीय दर्शकों का एक बड़ा वर्ग इस तरह के सिनेमा के लिए परिपक्व नहीं है. इसलिए ऐसी छोटे बजट की फिल्मों को मल्टीप्लेक्स सिनेमा का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी फिल्में असल में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बनीं फिल्में 2012 और अवतार जैसा प्रभाव रखती हैं. भविष्य में जलसंकट को लेकर होने वाली मारामारी के मसले को राजस्थान के बैकड्रॉप में पेश करती हुई सिनेमाई खूबसूरती की मिसाल है रोड मूवी. विष्णु पिता के थोपे हुए तेल व्यापार से तंग आकर घर छोड़ता है और एक बूढ़े ट्रक (पुराना मॉडल) में पड़ा हुआ बूढ़ा (क्लासिक) सिनेमा प्रोजेक्टर लेकर एक सफर पर निकल पड़ता है. उसके सफर में साथ देता है बाल मजदूरी का शिकार एक अति परिपक्व लड़का और एक अनुभवी मैकेनिक. रेगिस्तान के सफेद जंगल में एक मेले की तलाश में भटकते हुए इनकी मुलाकात भ्रष्ट पुलिसकर्मी और पानी माफिया से होती है. यहां वे पुरानी फिल्मों की रीलों और तेल की बदौलत अपनी जान बचाते हैं. इस फिल्म का हर फ्रेम नए सिनेमा की पाठशाला की नींव भरता है. सिनेमा को सिनेमाई श्रद्धांजलि, सर जो तेरा चकराए का कहानी में अर्थपूर्ण समावेश, सादा अभिनय, जल समस्या और रेगिस्तान में खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, ऐसे कई सशक्त पहलू हैं, जिनकी वजह से फिल्म देखना जरूरी लगता है. फिल्म में नायक खुले मैदान में शौच करता है. पानी माफिया को आत्मा तेल के जरिए मर्द बनाया जाता है और वास्तविकता से करीबी दिखाता हुआ नायक, प्रेम को आखिरी चुंबन के साथ खत्म करना बेहतर समझता है. नक्शे में शॉर्टकट नहीं उकेरे जाते. संवाद बहुत सटीक और नए हैं. विष्णु की भूमिका में अभय देओल नए अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा हैं. तनीषा चटर्जी अपनी पहली ही फिल्म में एक उम्मीद जगाती हैं. बाल कलाकार भी अपने पहले सीन से ही छाप छोड़ता है. पर सबसे बड़ा सरप्राइज सतीश कौशिक का अभिनय है. दरअसल, इतने बड़े करियर में उनका पहली दफा इतना बेहतर इस्तेमाल हुआ है. चार्ली चैपलिन वाली रील के साथ सतीश की मौत वाला दृश्य गहराई से बहुत कुछ कह जाता है. अपनी दूसरी फिल्म का निर्देशन और स्क्रीनप्ले कर रहे देव बेनेगल की पहली फिल्म स्पिलिट वाइड ओपेन (2000) को उतना नोटिस नहीं मिला था, लेकिन अभय देओल के अपने खास दर्शक वर्ग का फिल्म को फायदा मिलेगा. फिल्म का द एंड टाइटल कई भाषाओं में रोचक लगता है. हालांकि रोड मूवी के इस सफर में कई छोटे-मोटे ब्रेकर हैं, मसलन दूर और एकांत में मेले का झटपट भव्य आयोजन और पानी माफिया यशपाल शर्मा वाले दृश्य नाटकीय हैं. कुल मिलाकर इस फिल्म को वास्तविकता के धरातल पर सिनेमा का अर्थपूर्ण सफर कहा जा सकता है. फिल्म करोड़ों का कलेक्शन भले ही न करे, लेकिन करोड़ों सिनेप्रेमियों को संतुष्टि और कोई संदेश जरूर देगी.

राजेश एस. कुमार
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 29 मार्च-4 अप्रैल 2010

www.chauthiduniya.com

दिग्विजय बनाएंगे तीसरा मोर्चा

सरोज सिंह

तीसरे मोर्चे की शक्ल में नीतीश कुमार का विकल्प तैयार करने के प्रयास एक बार फिर शुरू हो गए हैं. इसके लिए बटाईदारी बिल को एक प्रमुख हथियार बनाया गया है. मजे की बात यह है कि इस कोशिश को विभिन्न दलों के नेताओं का समर्थन हासिल है.

बिहार में नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ चुनावी जंग में उतरने के लिए तीसरे मोर्चे का खाका खींचने का काम तेजी से शुरू हो गया है. कांग्रेस के अंदर मचे घमासान ने तीसरे मोर्चे की संभावना को अचानक काफी प्रबल कर दिया. यही वजह है कि नीतीश को सत्ता से उखाड़ने के लिए अलग-अलग घेराबंदी में लगे नेताओं के साथ तीसरे मोर्चे को ज़मीन पर उतारने के लिए बांका के सांसद दिग्विजय सिंह ने बिगुल फूंक दिया है. नीतीश से नाराज़ अपने-अपने इलाक़े के धुरंधर इस काम में कंधे से कंधा मिलाकर दिग्विजय सिंह का साथ देंगे. पूरे बिहार में उक्त नेता घूम-घूमकर जनता का समर्थन हासिल करेंगे और दो मई को पटना के गांधी मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन कर नीतीश को अपनी ताक़त का एहसास कराएंगे.

दरअसल चुनावी साल में नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ एक मज़बूत मोर्चे की ज़रूरत तो सभी नाराज़ नेता महसूस कर रहे थे, लेकिन एक मंच पर आने की पहल ठीक से नहीं हो पा रही थी. परिसीमन के बाद सूबे की जो चुनावी जातीय तस्वीर उभरी है, उसे लेकर भी कुछ नेता अपने मौजूदा दल में ख़ुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. ऐसे नेता भी चाहते हैं कि नीतीश के ख़िलाफ़ एक नया मोर्चा जल्द से जल्द आकार ले. टिकट कटने से आशंकित नेता भी ऐसी ही राय रख रहे हैं, लेकिन तीसरे मोर्चे की बुनियाद रखने में सबसे अहम भूमिका बटाईदारी बिल ने निभाई. बटाईदारी बिल फिलहाल ऐसा मसला है, जिसे केंद्र में रखकर तीसरे मोर्चे का सारा ताना-बाना बुना जा रहा है. किसान बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जब कई दलों के नेता एक साथ सामने आए तो यह साफ़ हो गया कि बटाईदारी बिल को प्रमुख हथियार बनाकर उक्त सारे नेता जनता का मिजाज भांपने में जुट गए हैं. सूबे के कई ज़िलों का दौरा उक्त नेता कर आए हैं और उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ ने उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं. खासकर मोतिहारी में दिग्विजय सिंह की सभा को अगर पैमाना माना जाए तो यह कहा जा सकता है कि दो मई को किसान महापंचायत में पटना एक नए राजनीतिक प्रयोग का गवाह बन सकता है. इससे पहले दस अप्रैल को विधायक क्लब में खास कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संघर्ष की रूपरेखा तैयार होगी. दिग्विजय सिंह और प्रभुनाथ सिंह तो पहले भी एक मंच पर आ चुके हैं, लेकिन जब किसान बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इन दोनों नेताओं के साथ राजद के अखिलेश सिंह, नागमणि एवं लोजपा के सूरजभान सिंह सामने आए तो पटना का राजनीतिक पारा अचानक गरम हो गया. तरह-तरह की चर्चाओं के बीच इन नेताओं ने यह साफ़ किया कि बटाईदारी बिल किसानों को तबाह कर देगा और सामाजिक समरसता को भारी नुक़सान पहुंचाएगा. इसलिए पार्टी सीमा से ऊपर उठकर इसका विरोध ज़रूरी है. इन नेताओं ने पंच लाइन दी कि देर-सबेर नीतीश सरकार इस बिल को लागू ज़रूर करेगी. दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर इस बिल को लेकर सरकार की नीयत साफ़ है तो इसे विचाराधीन क्यों रखा गया. यह बात तय है कि अगर बटाईदारी बिल चुनाव में मुद्दा बना तो नीतीश को अगड़ी जातियों के वोट का भारी नुक़सान उठाना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए कि अगर यह बिल पास हुआ तो सबसे ज़्यादा नुक़सान अगड़ी जातियों खासकर भूमिहार और राजपूत बिरादरी का होगा. यही वह तबका था, जिसने नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाने के लिए खुलकर साथ दिया. यही वजह थी कि अगले ही दिन सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर साफ़ किया कि सरकार के सामने बटाईदारी बिल का कोई प्रस्ताव नहीं है. नीतीश कुमार भी इस मामले में पहले कई बार सफाई दे चुके हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जब बटाईदारी बिल का तीर चलाया तो एक बार फिर यह मुद्दा गरमा गया. बताया जा रहा है कि ललन सिंह, जगदीश शर्मा एवं पूर्णमासी राम सहित कई सांसद और दर्ज़नों नाराज़ विधायक जल्द ही खुलकर तीसरे मोर्चे का झंडा बुलंद करेंगे. इन नेताओं की पूरी कोशिश होगी कि दो मई को नीतीश को अपनी ताक़त का एहसास करा दिया जाए, ताकि पूरे प्रदेश में यह राजनीतिक संदेश चला जाए कि नीतीश कुमार का विकल्प बनकर तैयार हो चुका है. दिग्विजय सिंह की बेदाग छवि और उनकी कुशल संगठनात्मक एवं प्रशासनिक क्षमता का भी लाभ उठाने की तैयारी चल रही है, ताकि जनता के मन में कोई शक-शुबहा न रह पाए. दिग्विजय सिंह कहते हैं कि किसान और बिहार के हित में हमने सफर शुरू किया है और जिन्हें भी किसान एवं बिहार की चिंता है, वे हमारे हमसफर हैं. वह कहते हैं कि बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, इसलिए अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूं. बिहार के लोगों के हक़ की लड़ाई लड़ता रहा हूं और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा. पार्टी सीमा से बाहर आकर भी ऐसे लोग हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें बिहार और किसानों की चिंता है. ऐसा माना जा रहा है कि उक्त नेता पूरी कोशिश करेंगे कि दो मई का शक्ति परीक्षण सफल रहे, ताकि तीसरा मोर्चा सार्वजनिक रूप से ज़मीन पर उतर जाए. इस दौरान वे जनता का मन भी भांप पाएंगे और अपनी राजनीतिक ताक़त का भी आकलन कर लेंगे.

ग़ौरतलब है कि राज्य के जो ताज़ा राजनीतिक हालात हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि अगड़ी जातियों के वोटरों के सामने विकल्प काफी कम हैं. खासकर नीतीश से नाराज़ भूमिहार और राजपूत वोटरों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है. ललन प्रकरण के बाद भूमिहारों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार से ख़फ़ा है. लालू प्रसाद से उनकी नाराज़गी बरक़रार है. भाजपा या फिर लोजपा के दरवाजे ख़ुद-बखुद बंद हो जाते हैं, क्योंकि भाजपा नीतीश के साथ है तो लोजपा लालू प्रसाद के साथ. कांग्रेस ने जो उम्मीद जगाई, उसे पार्टी के स्थानीय नेता धूमिल कर रहे हैं. ऐसे में तीसरे मोर्चे को ज़मीन पर उतारने के लिए ललन सिंह, जगदीश शर्मा, सूरजभान सिंह एवं अजीत कुमार जैसे भूमिहार समाज के कई नेता ज़मीनी तैयारी में दिन-रात जुटे हैं. ग़ौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में लोजपा के कई अगड़ी जातियों के प्रत्याशियों को इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि लालू प्रसाद की पार्टी राजद के साथ उनका गठबंधन था. लालू-राबड़ी के शासन के ख़िलाफ़ भूमिहारों ने एकजुट होकर एनडीए का साथ दिया था, लेकिन ललन सिंह के साथ जो हुआ, उससे उनका समाज आहत है. जहां तक राजपूतों का सवाल है तो इस समाज का दिल भी नीतीश ने कई दफा तोड़ा है. अपने मंत्रिमंडल में राजपूत नेताओं को अच्छा विभाग न देकर नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की.

लोकसभा चुनाव में जब बांका से दिग्विजय सिंह को टिकट नहीं मिला तो राजपूतों का धैर्य टूट गया. नीतीश कुमार के विजय रथ का पहिया बांका में टूटा, तब जाकर इस समाज का गुस्सा कुछ शांत हुआ. प्रभुनाथ सिंह के कुछ समर्थकों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार दिल से चाहते तो महाराजगंज की सीट भी जदयू के खाते में जा सकती थी. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भूमिहार और राजपूत वोटरों की नाराज़गी का एहसास तीसरा मोर्चा बना रहे नेताओं को है और उनकी पूरी कोशिश है कि इन दोनों बिरादरी के जख्मों पर मरहम लगाया जाए. तीसरे मोर्चे के नेताओं को इस बात का भी एहसास है कि तमाम मुद्दों के बावजूद बिहार में जातीय आधार पर ही चुनावी लड़ाई लड़ी और जीती जाती है. इसलिए दूसरी जातियों और जमात के बीच भी पैठ बनाने के लिए उनसे जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है, ताकि जीतने वाली लड़ाई लड़ी जा सके. अगर कोशिश सफल रही और तीसरा मोर्चा ज़मीन पर उतर आता है तो निश्चित तौर पर बिहार में सभी दलों की चुनावी गणित गड़बड़ा सकती है.

दिग्विजय सिंह

लोकसभा चुनाव में जब बांका से दिग्विजय सिंह को टिकट नहीं मिला तो राजपूतों का धैर्य टूट गया. नीतीश कुमार के विजय रथ का पहिया बांका में टूटा, तब जाकर इस समाज का गुस्सा कुछ शांत हुआ. प्रभुनाथ सिंह के कुछ समर्थकों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार दिल से चाहते तो महाराजगंज की सीट भी जदयू के खाते में जा सकती थी.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

भारतीय जनता पार्टी भी अब अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह जातीय राजनीति से घिर गई है. इसका उदाहरण है गया ज़िला भाजपा अध्यक्ष का चुनाव.

झारखंड विधानसभा में विपक्ष ने भ्रष्टाचार के सभी मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज़ोरदार आवाज़ उठाई, लेकिन सत्तापक्ष के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी.

चौथी दुनिया

सियासी दोस्ती में दरार विपक्षी दलों में बहार

सियासत और सत्ता में अजीब शतरंजी होती है. समय के साथ शह और मात के इस खेल में दोस्त और दुश्मन के बीच की दूरियां मिटती, घटती हैं तो कभी अधिक बढ़ती जाती हैं. सीवान की सियासत का एक बड़ा घटक भी इसी हाल से दो-चार हो गया है. जिस राजग के बड़े नेता साथ चले थे, वही चार साल के दौरान ही विपक्ष के पथिक बन गए हैं. वे यहां जनमत बनाने के अपने संकल्प को तिलांजलि देते जा रहे हैं. यह स्थिति उनके प्रतिद्वंद्वी नेताओं और दलों को सबल बनाने का सुनहरा अवसर ही नहीं दे रही, बल्कि विस्तृत फलक तैयार कर रही है. सच्चाई यह है कि जब दोस्त बिछड़ने लगते हैं तो उनके दुश्मन एकजुट हो जाते हैं. लेकिन, दोस्ती दमदार बनी रहे, इसके लिए स्वार्थ और अहं का परित्याग ज़रूरी है. सीवान के विभिन्न जनमानसों में यह चर्चा है, कस्बों एवं बाज़ारों के चायखाने से लेकर चौक-चौराहों और अब गांवों की चौपालों तक होने लगी है. इस जनचर्चा के किरदार हैं स्वास्थ्य राज्यमंत्री व्यासदेव प्रसाद, सांसद ओमप्रकाश यादव और विधान पार्षद मनोज सिंह. चार साल पहले उक्त तीनों नेता राजद बनाम पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को मात देने के लिए एकजुट हुए थे. विगत विधानसभा चुनाव में उक्त तीनों नेता एकजुट हुए थे. हालांकि इसके पूर्व वे विपक्ष के राही थे. विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चुनावी बयार ज़ोरों पर थी. इस चुनाव में सीवान विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी व्यासदेव प्रसाद बने. इनके लिए ओमप्रकाश यादव और मनोज सिंह ने काफ़ी मशक्कत की, मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को एकमत करने का प्रयास किया. इसी के चलते व्यासदेव प्रसाद विधायक और बाद में बिहार की एनडीए सरकार में स्वास्थ्य राज्यमंत्री बन गए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में ओमप्रकाश यादव को जदयू का टिकट नहीं मिला और वृषिण पटेल उम्मीदवार बन गए. इससे ख़फ़ा ओमप्रकाश ने बतौर बाग़ी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ा और भारी मतों से सांसद निर्वाचित हुए. इसके बाद विधान परिषद चुनाव में सीवान क्षेत्र से कर्णजीत सिंह उर्फ़ व्यास सिंह एनडीए प्रत्याशी घोषित हो गए. एनडीए का टिकट न मिलने से नाराज़ हुए मनोज सिंह भी बतौर बाग़ी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े और विधान पार्षद निर्वाचित हुए.

इन नेताओं के बीच दरार कैसे पड़ी, यह जानने के लिए निम्न पंक्तियों पर ग़ौर करना होगा कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं...! पहले विधानसभा का चुनाव हुआ तो व्यासदेव प्रसाद को जिताने के लिए ओमप्रकाश यादव और मनोज सिंह ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव बतौर बाग़ी उम्मीदवार ओमप्रकाश यादव लड़े तो पार्टी नीति के बहाने व्यासदेव प्रसाद ने उनका पुरज़ोर विरोध किया.

व्यासदेव प्रसाद

ओम प्रकाश यादव

मनोज सिंह

लेकिन, मनोज सिंह चुनाव क्षेत्र से लेकर मतगणना केंद्रों तक ओमप्रकाश यादव के क़दमताल में रहे. पर जब विधान परिषद के चुनाव में ज़िला को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह बतौर बाग़ी निर्दलीय उम्मीदवार लड़े तो सांसद ओमप्रकाश यादव ने अपने अंतरंग एवं निर्दलीय प्रत्याशी ज़िला परिषद अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान के समर्थन में उन्हें बैठ जाने का सुझाव दिया. यह मनोज सिंह को नागवार लगा. ओपी यादव ने नंद प्रसाद चौहान के लिए जनसंपर्क करने के अलावा काफ़ी मदद की, लेकिन सारी खींचतान के बावजूद मनोज सिंह विधान पार्षद बन गए. मनोज सिंह को अंदर से यह बात आज भी सालती है कि साथ-साथ चले थे, सिसकते सीवान को सुंदर बनाने के लिए, पर इसे ख़ाक में मिला दिया स्वार्थ की सियासत ने, सिर्फ़ अपना-अपना कुनबा सजाने के लिए!

इन नेताओं के बदले हुए चाल-चरित्र को देख-सुनकर जनता चर्चा कर रही है, जो आगामी चुनावों के लिए इन नेताओं को सबक और सचेत होने का संकेत है. जानकारों का कहना है कि इस सियासी दोस्ती में बढ़ती दरार और खाई से विपक्षी दलों में बहार की बयार बहने लगी है. वैसे राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो सीवान ज़िले में जदयू का जनाधार अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासनी प्रभाव से अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन जदयू की सांगठनिक स्थिति अभी यहां बेहतर नहीं हो पाई है. एनडीए नेताओं की अलग-अलग राह वाली नीति के चलते चुनावी डगर में परेशानी आना तय है. जबकि राजद और भाकपा-माले की सांगठनिक सक्रियता एवं एकजुटता बरक़रार है, जिससे उनके जातीय जनाधार का बिखराव प्राय: नहीं के समान है. कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता अपनी पार्टी को सशक्त करने के लिए शहर से गांवों तक सदस्यता अभियान के बहाने मतदाताओं को सदस्य बनाने में ज़ोर-शोर से लगे हुए हैं.

धनंजय मिश्र
feedback@chauthiduniya.com

तस्करों के निशाने पर बाघ

तमाम सरकारी घोषणाओं के बावजूद वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में बाघ संरक्षण के लिए कोई ठोस और कारगर योजना के लागू न होने से बाघों का जीवन बचाने की मुहिम को झटका लग रहा है. देश में कुल तेरह व्याघ्र परियोजनाएं हैं, जिनमें खरखराव के मामले में वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना तीसरे स्थान पर है. किंतु वास्तविकता के धरातल पर यह सफेद हाथी बनकर रह गई है. जीव-जंतु एवं बाघ संरक्षण के दृष्टिकोण से 1994 में केंद्र सरकार ने वाल्मीकि नगर जंगल को परियोजना का स्वरूप दिया था.

परियोजना की परिधि 880 वर्ग किमी है, जिसमें 335 किमी क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है. बाघों के निवास वाले क्षेत्र को आश्रयणी के नाम से जाना जाता है, जो 545 वर्ग किमी सुरक्षित क्षेत्र है. 1990 में यहां बाघों की संख्या 80 थी. परियोजना बनने के बाद 2002 में वन्य प्राणी संस्थान देहरादून द्वारा बाघों की संख्या 56 बताई गई. 2003 में विभागीय गिनती हुई तो यह संख्या घटकर 52 हो गई. 2005 में फिर विभागीय गिनती के मुताबिक़ बाघों की संख्या 40 हो गई. 2007 में वाइल्ड लाइफ

परियोजना के मदनपुर क्षेत्र में 10 मई 2008 को एक रायल बंगाल टाइगर तस्करों द्वारा मारा गया था. मामले की प्राथमिकी नौरंगीया थाने में दर्ज़ कराई गई थी, जिसकी जांच अभी भी चल रही है. चीन जैसे देश में बाघों के विभिन्न अंगों की मांग सबसे ज़्यादा है.

ट्रस्ट ऑफ इंडिया के गिनती के अनुसार यह संख्या घटकर 18 पर अटक गई है. डीएफओ एस के शामी के अनुसार, वर्तमान में बाघों की संख्या 18 है. परियोजना के अगल-बगल स्थित गांवों में रहने वाले लोगों के अनुसार, बाघों की संख्या घटकर 12 के आसपास सिमट चुकी है. वे बताते हैं कि परियोजना से सटी हुई भारत-नेपाल सीमा तस्करी का केंद्र बन गई है. नेपाल से चीन और अमेरिका आदि देशों के लिए बाघों के अंग भेजे जाते हैं. सूत्रों के अनुसार, नेपाल के रतनगंज इलाक़े में मुन्ना खां नामक शख़्स वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के बाघों की तस्करी विदेशियों के लिए कराता है. मुन्ना भारत का भगोड़ा अपराधी है. परियोजना के मदनपुर क्षेत्र में 10 मई 2008 को एक रायल बंगाल टाइगर तस्करों द्वारा मारा गया था. मामले की प्राथमिकी नौरंगीया थाने में दर्ज़ कराई गई थी, जिसकी जांच अभी भी चल रही है. चीन जैसे देश में बाघों के विभिन्न अंगों की मांग सबसे ज़्यादा है. बाघों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए सोलह साल पहले चीन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके लिए वह आज भी सुरक्षित फॉर्म हाउसों को बढ़ावा दे रही है. वहीं दूसरी ओर भारत में सरकारों के पास कोई सुरक्षात्मक योजना नहीं है.

परियोजना में सैप के जो जवान गश्ती पर लगाए गए हैं, उन्हें भी पंद्रह महीनों से वेतन नहीं मिला है. कई जवान तो नौकरी छोड़कर अन्यत्र चले गए. वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के डीएफओ एस के शामी कहते हैं कि सरकार संरक्षण के लिए पैसा भेज रही है. इस दिशा में शीघ्र ही ठोस क़दम उठाए जाएंगे. जवानों को वेतन न मिलने की बात पर शामी कहते हैं कि कुछ महीनों के वेतन के लिए पैसा आवंटित हो चुका है, भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने इन अभयारण्यों में एसटीएफ तैनात करने के लिए वर्ष 2008-09 के बजट में 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी. यह योजना भी धरी की धरी रह गई.

एक और बाघ की हत्या

आख़िरकार एक और बाघ की हत्या हो गई. तस्करों के इस नए कारनामे ने प्रमाणित कर दिया है कि देश में बाघों का जीवन अब सुरक्षित नहीं रह गया. गत 12 मार्च को वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना का एक और बाघ तस्करों का शिकार बन गया. एसपी डॉ. सिद्धार्थ मोहन जैन ख़बर पाकर घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने पहले बाघ का शव उठवाया और फिर मदनपुर फारेस्ट कार्यालय गए. जैन ने नौरंगीया थाना प्रभारी चंद्रेश्वर पासवान को प्राथमिकी दर्ज़ करने और जांच-पड़ताल का आदेश दिया. बाघ के शव से पूंछ एवं नाख़ून आदि ग़ायब थे. जंगल के बाबुओं ने शव को देर शाम ही दफना देना चाहा, किंतु एसपी और सांसद बगहा वैद्यनाथ महतो के हस्तक्षेप से मीडिया, वन प्रमंडल दो के निदेशक जे पी गुप्ता और डीएफओ एस के शामी के सामने दूसरे दिन 13 मार्च को दिन में बाघ का पोस्टमार्टम हुआ. सीएफओ ने बताया कि बिसरा एवं फोरेंसिक जांच के बाद ही बाघ की मौत का खुलासा हो पाएगा. यह कहने पर कि जांच वाइल्ड लाइफ देहरादून या हैदराबाद स्थित लोकालिकनिस सीसीएमबी में क्यों नहीं? जवाब में सीएफओ ने कहा कि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है. इसके पहले 10 मई 2008 को इसी क्षेत्र में एक बाघ शिकारियों के ट्रिप में फंसकर दर्द से कराहता रहा, पर ट्रैंगुलर गन का अभाव दिखाकर उसकी जान नहीं बचाई गई.

अरविंद नाथ तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

मधु कोड़ा प्रकरण
परदा जो उठ गया...

मधु कोड़ा एंड कंपनी द्वारा किए गए अरबों रुपए के घोटाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए हैं. इसे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है. बावजूद इसके झारखंड की शिबू सरकार इस प्रकरण की सीबीआई जांच से इंकार कर रही है. कोड़ा एंड कंपनी के कारनामों के संबंध में जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे ज़ाहिर होने लगा है कि इस महाघोटाले के तार विदेशों से भी जुड़े हैं. इस प्रकरण पर सत्तापक्ष के बयान चारा घोटाले के उजागर होने के बाद लालू प्रसाद के बयानों की याद दिला रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे लालू प्रसाद ने उस वक़्त कहा था कि हमने चारा घोटाले की निगरानी जांच का आदेश दे दिया है. अब किसी जांच की ज़रूरत नहीं है. क्या है सीबीआई? अंतत: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई तो ख़ुद लालू प्रसाद ही संदेह के घेरे में आ गए. उन्हें जेल जाना पड़ा. मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी. अब मधु कोड़ा प्रकरण पर झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, मंत्रिमंडल के सदस्य एवं सत्ता पक्ष के विधायक भी कुछ वैसी ही भाषा बोल रहे हैं. उनके मुताबिक़, आयकर और प्रवर्तन निदेशालय जांच के लिए सक्षम एजेंसियां हैं. सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है. मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर शिबू सरकार का कतराना कुछ अलग ही कहानी बयां करता है.

इस बार के बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में विपक्ष ने भ्रष्टाचार के सभी मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज़ोरदार आवाज़ उठाई. सदन में सभी विपक्षी सदस्यों ने एकजुट होकर आरोपियों के विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सत्तापक्ष के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. सत्तापक्ष इसकी ज़रूरत से इंकार करता रहा. इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि घोटाले में शामिल लोगों की फ़ेहरिस्त लंबी है और अभी जितने नाम उजागर हुए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा नाम परदे में छुपे हुए हैं. सीबीआई जांच होने पर उनके बेनक़ाब हो जाने का ख़तरा है. सत्ता में बैठे कुछ ताक़तवर लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं. इसीलिए वे मामले की जांच को एक दायरे में ही निपटा देना चाहते हैं. सीबीआई के शिकंजे से बचने के लिए सफ़ेदपोशों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है. प्रकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ग़ौर करने से पता चलता है कि भ्रष्टाचार की बू अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में ही आने लगी थी. हालांकि मधु कोड़ा यूपीए के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए उनके मौसेरे भाई भी ज़्यादातर यूपीए खेमे से ही होने चाहिए. लिहाज़ा मौजूदा एनडीए सरकार को मामले की उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिए, लेकिन संकेत बताते हैं कि यूपीए के अलावा व्यक्तिगत संबंधों के नाते एनडीए के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी मधु खाया था. अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में मधु कोड़ा खान मंत्री थे. खान आवंटन में करोड़ों रुपए के वारे-न्यारे करने का खेल तभी से चल रहा है. कोड़ा के सभी पार्टियों के लोगों से मधुर संबंध रहे हैं. कांग्रेस पहले भी सीबीआई जांच की मांग करती रही है, आज भी कर रही है. भाजपा पहले भी इस विषय पर मौन थी, आज भी मौन है. सिर्फ़ भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय इस मुद्दे को उठाते रहे हैं. वह सूबे में भ्रष्टाचार के कई कारनामों से संबंधित सीडी और दस्तावेज जारी कर चुके हैं. अब तो उन्होंने भाजपा के नेताओं से पूछा है कि भाजपा ने आख़िर किस विवशता के कारण झामुमो के साथ मिलकर सरकार बनाई है. राय ने अपने दल के कई शीर्ष नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए उनकी कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं. यूं तो भ्रष्टाचार की कोई पार्टी या जाति नहीं होती. भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोता लगाने वाले नेताओं, नौकरशाहों और बिचौलियों की तिकड़ी ने सूबे का बंटाधार करने में कोई कोर-कसर बाक़ी नहीं रखी. राज्य से लेकर केंद्र तक इनका नेटवर्क बहुत सशक्त है. हाल में जब आयकर निदेशक (अनुसंधान) उज्ज्वल चौधरी ने कोड़ा एंड कंपनी के लोगों के विरुद्ध छापेमारी के अभियान को तेज़ किया तो उनका तबादला कर दिया गया. बाद में एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने उनके तबादले पर स्थगनादेश जारी किया. सवाल उठता है कि आख़िर सत्ता में बैठे लोगों को छापेमारी तेज़ होने से क्या परेशानी थी? आर्थिक अपराधियों को बचाने के लिए जांच अधिकारी का ही अचानक तबादला करा देना क्या संकेत देता है?

स्थिति यह है कि यदि सीबीआई जांच होगी भी तो न्यायालय के आदेश के बाद ही होगी. मौजूदा सरकार इसकी अनुशंसा करने की मन:स्थिति में नहीं है. घोटाले के कई आरोपियों के विदेशों में जा छुपे होने की बातें भी सामने आ रही हैं. राज्य के अंदर उन्होंने जो निवेश किए हैं, उनकी जानकारी सरकार को है, लेकिन उसे उजागर करने की जगह मामले की लीपापोती की कोशिश जारी है. विदेशों में काला धन जमा करने संबंधी मामलों की जांच सीबीआई के सहयोग से ही संभव है. शिबू सरकार इस प्रकरण पर चाहे जो भी तर्क दे, पर हक़ीक़त कुछ और बयां करती है. फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर अब राज्य की जनता मानने लगी है कि भ्रष्टाचार के इस हमाम में सभी नंगे हैं.

शिबू सोरेन

मधु कोड़ा

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthiduniya.com

ज़िलाध्यक्ष चुनाव में भाजपा की नाक कटी

गठबंधन के सहारे सत्ता में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी में अब वे सारे दुर्गुण आ गए हैं, जो सत्ताधारी दलों में सत्ता की गंध से उत्पन्न हो जाते हैं. यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता की सोंधी महक ने सांगठनिक चुनाव में पद पाने की लालसा से पार्टीजनों के बीच विवाद को बढ़ा दिया है. सबसे अहम बात तो यह है कि जातीय राजनीति से दूर रहने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह जातीय राजनीति से घिर गई है. इसका उदाहरण है गया ज़िला भाजपा अध्यक्ष का चुनाव. चुनाव के दौरान और बाद में गया ज़िले के भाजपाई जिस तरह जातीयता के आधार पर बंट गए हैं, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी कर रहे हैं, वह भाजपा जैसे राजनीतिक दल के लिए शर्म करने की बात है.

नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार.

बात यहीं तक रहती तो कोई बात थी, (क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीयता की बू कमोबेश हर दल में देखी जाती है), मामला चुनाव में मार-पीट, छीना-झपटी, जाति विशेष के ख़िलाफ़ गाली-गलौज करने के आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हुए गया के कोतवाली थाने तक पहुंच गया. गया ज़िला भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में चार उम्मीदवारों के नामांकन के बाद चुनाव पदाधिकारी रत्नेश कुमार सिंह और सहायक चुनाव पदाधिकारी मृत्युंजय झा ने ज़िला भाजपा के वरीय नेताओं के विचार-विमर्श से अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मत निर्वाचन कराने का प्रयास किया. इस प्रयास से इतना हुआ कि सुनील सिन्हा और महेश शर्मा ने अपने नामांकन वापस ले लिए. चुनाव मैदान में दो उम्मीदवार जैनेन्द्र कुमार और अजय कुशवाहा रह गए. अंतत: मतदान कराया गया, जिसमें जैनेन्द्र कुमार को 27 और अजय कुशवाहा को 17 मत मिले. परिणाम की घोषणा के बाद ही पराजित खेमे ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है. ज़िला भाजपा अध्यक्ष पद के पराजित उम्मीदवार परिणाम घोषणा के कुछ देर बाद ही अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाना पहुंचे और नवनिर्वाचित अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार समेत महेश शर्मा, राजीव कन्हैया आदि पर मार-पीट कर सोने का चेन और नगद राशि लूट लेने के साथ जाति विशेष को गाली देने की प्राथमिकी दर्ज़ कराई. कुशवाहा ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि यह सब पूर्व ज़िला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह के इशारे पर हुआ है, जबकि कृष्ण कुमार सिंह ने इसे बेबुनियाद बताया. बहुत मशक्कत के बाद कोतवाली थाने में प्राथमिकी जब दर्ज़ कर ली गई तो इसके विरोध स्वरूप दूसरे दिन नव निर्वाचित अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार के संरक्षक कृष्ण कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाना गिरफ़्तारी देने पहुंचे. पुलिस पदाधिकारियों ने यह कहते हुए गिरफ़्तारी से इंकार कर दिया कि प्राथमिकी दर्ज़ ज़रूर हुई है, लेकिन जांच के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी. दूसरी ओर अजय कुशवाहा का कहना है कि गया ज़िला भाजपा को किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी कहे जाने से छुटकारा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा.

पुलिस इस पूरे प्रकरण पर नज़र रखते हुए जांच करने में लगी है. ज़िला भाजपा के नेता, वरीय कार्यकर्ताओं की ओर से आरोप-प्रत्यारोप, बयानबाज़ी जारी है. इन सबके बावजूद विधान सभा में गया शहर के प्रतिनिधि और ज़िले के इकलौते भाजपा विधायक पथ निर्माण मंत्री, डॉ. प्रेम कुमार के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की गहरी चुप्पी ने इस मामले के रहस्य को और गहरा कर दिया है. स्थिति चाहे जो हो, लेकिन इतना तय है कि गया ज़िला भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में जातीयता की बू के साथ जो बातें सामने आई हैं. उसका असर कहीं दूर तलक जाएगा. हो सकता है इसकी चिंगारी आगामी विधान सभा चुनाव में भड़क जाए, जिसकी क्षति भाजपा को उठानी पड़ सकती है. हालांकि इस मामले में बड़े भाजपा नेता फूंक-फूंक कर क़दम उठाने के प्रयास में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

मतदाताओं के साथ नक्सली भी रखेंगे वजन

सासाराम ज़िले के सात विधानसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित, चेनारी विधानसभा का आगामी चुनाव किसी भी दल एवं प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होगा. बात पहले वाली नहीं रही, क्योंकि नए परिसीमन में इस विधानसभा क्षेत्र से शिवसागर एवं कोचस का आधा हिस्सा तथा करगहर का पूरा प्रखंड कटकर अलग हो गया है. यह पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से एकदम अलग मैदानी इलाक़े में स्थित था. नए परिसीमन ने इस विधानसभा क्षेत्र को केवल कठिनाइयां ही दी है. अब इस क्षेत्र में नक्सलवाद से प्रभावित पूरा चेनारी, रोहतास एवं नौहट्टा प्रखंड के अलावा आधा शिवसागर प्रखंड शामिल है. पिछले दो दशकों में चाहे वह लोकसभा चुनाव रहा हो या विधानसभा चुनाव, हर वक़्त नक्सली संगठनों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज़ करवाई है. राजनीतिक परिपेक्ष्य में देखा जाए तो नए परिसीमन ने इस विधानसभा क्षेत्र से जदयू एवं भाजपा के वोटों में काफ़ी कमी आई है. करगहर प्रखंड के अलग हो जाने से एक बड़ा कुर्मी बहुल्य क्षेत्र कट गया है और जो क्षेत्र जुटा है, उसमें जदयू के आधार वोटों में काफ़ी कमी देखी गई है. अलबत्ता, सताधारी गठबंधन भाजपा एवं जदयू के नेता इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि जातीय गोलबंदी के बीच गठबंधन के उम्मीदवार का निकलना तय है, लेकिन यहां स्पष्ट कर दें कि पुराने चेनारी विधानसभा क्षेत्र में गत महीने कराए गए उप चुनाव के दौरान निर्णायक अंतर से तीसरे स्थान पर रहे एनडीए उम्मीदवार शिवाधार पासवान के कमज़ोर प्रदर्शन ने दल को नए सिरे से तैयारी एवं विचार करने पर विवश किया है. बात यहां उम्मीदवारी की भी होगी, जिसमें पिछली बार शिवाधार पासवान के समानांतर सासाराम के प्रखंड प्रमुख सविता नटराज, चेनारी के प्रखंड प्रमुख मंगल राम, बिहार यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. मनबोध के नामों की चर्चा हुई थी, जो आज भी विकल्प के रूप में जदयू आलाकमान के सामने है. इन तीनों नामों में से चेनारी प्रमुख मंगल राम का नाम कभी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सामने आया था, तो कभी बसपा की उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी. कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी गौतम ने पिछले उप चुनाव में राजद के ललन पासवान को महज़ 900 मतों के अंतर से पराजित किया था. फ़िलहाल, समीकरणों के लिहाज़ से एक बार फिर लड़ाई राजद के ललन पासवान एवं वर्तमान विधायक मुरारी गौतम के बीच होने के आसार हैं. अगर चेनारी प्रमुख मंगल राम जदयू के उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो मज़बूत त्रिकोण भी बन सकता है. हालांकि आधार मतों की मज़बूती को देखकर वर्तमान विधायक मुरारी गौतम अपनी जीत पक्की बताते हैं, लेकिन मतदाताओं के मिजाज़ को देखकर ललन पासवान की तरफ़ होने वाली गोलबंदी ने सभी दलों को भयभीत कर दिया है. चुटिया थाना के यदुनाथपुर से लेकर चेनारी के खुर्माबाद के बीच स्थित इस विधानसभा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर उम्मीदवार को प्रत्येक मतदान केंद्र पर भाकपा (माओवादियों) का असर झेलना पड़ेगा. चाहे वह नौहट्टा, रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर स्थिति गांवों का मतदान केंद्र हो या फिर चेनारी, शिवसागर के तलहटी वाले गांवों में माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र हो. अगर यह कहा जाए कि आसन विधानसभा चुनाव में भाकपा (माओवादियों) का फरमान असर दिखा सकता है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी. देखना यह है कि नक्सलियों के फरमान के ख़िलाफ़ राजनीतिक दलों की पैतरेबाज़ी एवं प्रशासन की चुनावी तैयारी कैसी है. फ़िलहाल, कांग्रेस, राजद, जदयू एवं बसपा चारों के अलावा कई अन्य दलों के संभावित प्रत्याशी अभी से गांवों का दौरा शुरू कर चुके हैं. चाहे टिकट मिले या नहीं.

ललन पासवान

मुरारी गौतम

सविता नटराजन

शिवाधार पासवान

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 29 मार्च–4 अप्रैल 2010

ग्लैमर और मॉडल जगत में अच्छा-खासा नाम कमा चुकी इंशा अब भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लालायित हैं.

कैसे बरक़रार रहेगी मीना बाज़ार की रौनक़

पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया स्थित मीना बाज़ार देश का संभवत: पहला ऐसा बाज़ार है, जिसके प्रांगण में एक साथ 2400 दुकानों का जमावड़ा है. हाल में यह बाज़ार सुर्ख़ियों में था. क्योंकि अफवाह फैली थी कि मीना बाज़ार उजड़ जाएगा. इस संबंध में कई तरह की बातें की जा रही थीं. जिसके चलते दुकानदारों में भय और हड़कंप का माहौल व्याप्त था, लेकिन चौथी दुनिया ने मामले की पड़ताल की तो सच्चाई के रूप में कुछ और ही मामला सामने आया.

बेतिया राज की संपत्ति और ज़मीन की देखरेख से जुड़े अधिकारी रामकिशोर मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बेतिया स्थित मीना बाज़ार की 2400 दुकानों के बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के अनुसार ज़मींदारी उन्मूलन के बाद जो भूतपूर्व ज़मींदार थे, उनकी संपत्ति को सरकार में शामिल कर दिया गया है. इसलिए बेतिया स्थित मीना बाज़ार की कोई भी दुकान बंद नहीं होगी. इस बाबत उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में सरकारी आदेश को बिना ठीक तरीक़े से समझे मीना बाज़ार के संबंध में ग़लत अफवाहें फैलाई गईं. बेतिया और उसके आसपास के इलाक़ों में रहने वाले लोगों के लिए यह ज़रूर राहत की बात है, लेकिन आज यह बाज़ार अपनी हालत पर रोने को मज़बूर है. मीना बाज़ार स्थित प्रेम स्टोर के मालिक विन्धयवासिनी प्रसाद गुप्ता और उनके बेटे शशिभूषण एवं विद्याभूषण ने बताया कि इस बाज़ार में रोज़ाना ज़िले से लगभग बीस हज़ार ग्राहक ख़रीदारी करने के लिए आते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यह देश का एकमात्र ऐसा बाज़ार है, जहां शादी-ब्याह से लेकर श्राद्धकर्म तक के सभी सामान एक साथ मिलते हैं. प्राचीन काल से यह कहावत मशहूर है कि मीना बाज़ार में दुकानों की कतारें कुछ इस तरह से सुसज्जित हैं कि अंदर ख़रीदारी करने वालों को पता ही नहीं चलता कि बाहर कब से मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पूरे बाज़ार की गलियों में बारिश के दिनों में कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता है. लिहाज़ा बरसात के दिनों में ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का नुक़सान होता है. यहां का सब्ज़ी और मछली बाज़ार भी काफ़ी मशहूर है. यहां के एक दुकानदारों ने बताया कि हमलोग नियम से टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधा के नाम हमें कोरा आश्वासन मिलता है. लगभग 1857 या उससे भी पहले का यह मीना बाज़ार आज कई समस्याओं से जूझ रहा है. इन समस्याओं पर जब हमने दुकानदारों से बातचीत की तो प्रेम स्टोर के विन्ध्यवासिनी गुप्ता, आनंद श्री दुकान के मनोज, टाइम ज्वेलर्स के अनूप सर्राफ़ तथा दयाल ऑरनामेंट के मालिक मदन सर्राफ ने बताया कि देश भर में मशहूर इस बाज़ार को देखरेख के अभाव में कई बार अगलगी का शिकार भी होना पड़ा है. ग्राहकों की संख्या कई गुणा बढ़ चुकी है, लेकिन दुकानदारों को पुराने तरीक़े से बनाई गई दुकान में ही सामान रखकर बेचना पड़ता है. उन्हें इसमें मामूली बदलाव करने का भी अधिकार नहीं है और जो लोग सरकार की मुट्ठी गर्म करते हैं, वो मनचाहा कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं. दुकानदारों ने बताया कि कुछ साल पहले तक यह बाज़ार रविवार को बंद रहता था, लेकिन अब सरकार ने इसे लेबर एक्ट से मुक्त कर दिया है और यह हर दिन खुला रहता है. टैक्स अदायगी का विवाद आज तक अनसुलझा है और केस हाईकोर्ट में चल रहा है. महज पांच साल पहले बाज़ार के सदर गेट के पास जहां फल बाज़ार है, वहां की छत गिर गई थी. आज भी कई दुकानों की छतें गिरने के कगार पर है, लेकिन सरकार इस मामले में बहरी बनी हुई है. अतिक्रमण का यह हाल है सड़क के चारों ओर छोटे-छोटे दुकानों का जमावड़ा होने के चलते चलना मुश्किल है, जिसके चलते ग्राहकों को परेशानी होती है. महिला ग्राहक इस परेशानी का सबसे अधिक शिकार होती हैं. बारिश के दिनों में पानी निकलने के लिए सही तरीक़े से नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है. सबसे रोचक बात तो यह है कि 2400 दुकानों को एकसाथ चलने वाले इस बाज़ार में फिलहाल कोई व्यवसायी संघ कार्यरत नहीं है. इससे दुकानदारों को एक साथ कई प्रकार के समस्याओं का समाधान स्वयं ही करना पड़ता है. उनके पास ऐसा काई संगठन नहीं है, जहां वे अपनी समस्याएं रख सकें. बाज़ार में सामान ख़रीदने पहुंची सुलेखा वर्मा ने बताया कि यह बाज़ार हमलोगों के लिए वरदान है, क्योंकि यहां हमारे बजट के हिसाब से सभी सामान उपलब्ध हैं. दातून ख़रीद रहे सैनिक अरविंद ने बताया कि हमलोग देश के कोने- कोने में घूमकर आए हैं, लेकिन एकसाथ इतने दुकानों का जमावड़ा कहीं नहीं दिखा. कपड़ा ख़रीदती चंदा झा ने बताया कि पटना दिल्ली के स्तर की वस्तुएं हमलोगों को यहीं मिल जाती हैं और वह भी सस्ते दर में, इसलिए हमारे लिए यह बाज़ार सबसे अच्छा है.

मनोज कुमार राव
feedback@chauthiduniya.com

मैडम के हौसले

जहां बॉलीवुड में ख़ान की तिकड़ी अपने जलवे दिखी रही है, वहीं भोजपुरी फिल्मों में भी एक ख़ान का पदार्पण हो रहा है. लेकिन यह मत सोचिए कि शाहरूख़ और सलमान ख़ान नुमा बॉडी बिल्डर भोजपुरी फ़िल्मों में आ रहा है. दरअसल भोजपुरी फ़िल्मों में अपने जलवों की बरसात करने के लिए एक अभिनेत्री आ रही हैं. इनका नाम है इंशा खान. ग्लैमर और मॉडल जगत में अच्छा ख़ासा नाम कमा चुकी इंशा ख़ान, अब भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लालायित हैं. अभी हाल में एक भोजपुरी अवार्ड में शिरकत करने आई इंशा खान ने अपनी दिली मंशा ज़ाहिर की है. उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्में भी की हैं पर कमज़ोर पटकथा और गॉडफादर के न होने से उनके करियर को वो दिशा नहीं मिली, जो कि मिलनी चाहिए थी. लेकिन उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है. वह कहती हैं कि आज भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री ने वो मुकाम बना लिया है कि इसे बॉलीवुड से कमतर नही माना जा सकता. यहां के स्टार लोकप्रियता के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं. अब तो भोजपुरी फ़िल्मों को इंटरनेशनल दर्शक भी मिल रहे हैं. ऐसे में भोजपुरी फ़िल्मों में काम करना अपने आप में गर्व की बात है. जब उनसे पूछा गया कि भोजपुरी में कौन सा ऐसा स्टार है, जिसके साथ वह अपने भोजपुरी करियर का आग़ाज़ करना चाहेंगी तो उनका जवाब था कि वह किसी एक का नाम नहीं ले सकतीं हैं. क्योंकि जितना स्टारडम मनोज तिवारी और रवि किशन का है उतना ही दिनेश लाल, प्रवेश और पवन सिंह का भी है. इसलिए यह कहना कि कौन से स्टार के साथ फिल्म करूंगी, जरा मुश्किल है. वो तो चाहती हैं कि एक ऐसी फिल्म बनें कि जिसमें भोजपुरी फिल्मों के सभी बड़े स्टार्स एक साथ दिखाई दें.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चंपारण देगा ग्लोबल वार्मिंग का समाधान

विरेंद्र सिन्हा अपने आविष्कार प्रदूषण निरोधी यंत्र के साथ.

ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर रियो डी जेनेरियो से लेकर कोपेनहेगन तक की बैठक में राष्ट्र प्रमुख अपनी-अपनी चिंता ज़ाहिर कर चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी यह चिंता अब तक किसी ठोस समाधान के रूप में नहीं बदल सकी है. इस विश्व-व्यापी समस्या का एक शुरुआती लेकिन ठोस समाधान निकाला है बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले के विरेंद्र कुमार सिन्हा ने. मोतीहारी के बेलबनवा मोहल्ला के निवासी सिन्हा ने एक ऐसे प्रदूषण निरोधी यंत्र का आविष्कार किया है, जो जेनरेटर या किसी भी इंजन से नकलने वाले धुएं (कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड) और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है.

मार्च के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में नेशनल इनोवेशन फांउडेशन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में विरेंद्र सिन्हा ने अपने प्रदूषण निरोधी यंत्र का प्रदर्शन किया. नेशनल इनोवेशन फांउडेशन के उपाध्यक्ष एवं आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर पद्मश्री अनिल कुमार गुप्ता के अनुसार विरेंद्र कुमार सिन्हा का यह आविष्कार वायुमंडल को प्रदूषित होने से तो बचाता ही है, इस यंत्र में जमा कार्बन कणों का बाद में जूता पॉलिश बनाने, पेंट बनाने जैसे व्यवसायिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी आम के आम, गुठलियों के दाम. नेशनल इनोवेशन फांउडेशन, गुजरात ने सिन्हा के इस आविष्कार का पेटेंट भी करवाया है.

बीआईटी मेसरा ने उनके इस अविष्कार की सघन जांच के बाद कहा है कि यह यंत्र इंजन से निकलने वाले कार्बन कण को अपने अंदर संग्रहित कर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और ध्वनि प्रदूषण को 70 फीसदी तक कम कर देता है. इस यंत्र को छोटे-बड़े सभी तरह के जेनरेटर सेट या धुआं उगलने वाली किसी भी इंजन सेट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. चौथी दुनिया को उन्होंने बताया कि उन्हें इस यंत्र को बनाने में छह साल का समय लगा. 3 एचपी(हॉर्स पावर) से लेकर 15 एचपी तक के इस यंत्र की क़ीमत तीन हज़ार से लेकर आठ हज़ार रुपये है. यह अच्छी बात है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने सिन्हा के इस प्रयास की सराहना की है और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उन्हें पुरस्कार से नवाजा, लेकिन ख़ुद उनके राज्य यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्थानीय प्रशासन की तरफ़ से अब तक सिन्हा को न तो कोई सहायता मिली है और न ही सराहना. इसका एक प्रमाण यह है कि जब नेशनल इनोवेशन फांउडेशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस आविष्कार के बारे में सूचित किया और सिन्हा को सहायता देने की बात कही तो जवाब मिला कि सरकार के पास इस तरह की सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री यदि चाहे तो अपने कोष से ही मदद देकर सिन्हा के इस अविष्कार को कम से कम बिहार में प्रचारित-प्रसारित तो करवा ही सकते हैं, लेकिन बिहार की धरती ही कुछ ऐसी है, जहां की सरकार अपनी प्रतिभा को समय रहते पहचान पाने में अब तक नाकाम रही है. चाहे वो विश्व के प्रख्यात गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह हों या तथागत अवतार तुलसी. बहरहाल, चौथी दुनिया की शुभकामनाएं विरेंद्र कुमार सिन्हा के साथ हैं, ताकि उनका यह आविष्कार आने वाले वक़्त में ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ एक सशक्त हथियार बन कर मानव जाति का कल्याण कर सके.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 29 मार्च-4 अप्रैल 2010

www.chauthiduniya.com

अदानी समूह पर सरकार मेहरबान

बिजली और कोयला संकट के नाम पर शिवराज सिंह सरकार की एक विशेष औद्योगिक घराने के प्रति उदारता कई सवाल उठा रही है. मामले को लेकर राज्य के सियासी गलियारों में खासी सरगर्मी है. प्रमुख विपक्षी नेताओं ने तो सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली है.

संध्या पाण्डे

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बिजली संकट और कोयला संकट से निपटने के लिए जिस उदारता से निजी क्षेत्र का सहयोग लेती आई है, उससे घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के संदेह जन्म लेने लगे हैं. विशेष रूप से गुजरात के अदानी उद्योग व्यापार समूह पर सरकार की अति मेहरबानी अनेक रहस्यों और संदेहों की अनकही कहानी बयां करती है.

वर्षों से बिजली संकट झेल रहे मध्य प्रदेश में 2008 के विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार ने बिजली संकट के समाधान के लिए अन्य राज्यों और निजी कंपनियों से बिना टेण्डर के लगभग दो हज़ार करोड़ रुपयों की बिजली ख़रीदी. लेकिन अज्ञात कारणों से मंहगी बिजली ख़रीदकर पॉवर बैंकिंग के नाम पर सस्ती दरों पर बिजली बेचने का भी काम किया. इस घाटे के अजब-ग़जब कारोबार को लेकर तरह-तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं. कांग्रेस के ज़िम्मेदार नेतागण तो खुलकर आरोप लगाते हैं कि बिजली ख़रीद और बेचने के गोरखधंधे में भारी भ्रष्टाचार कमीशनबाज़ी के रूप में हुआ है. जिन निजी कंपनियों के माध्यम से यह कारोबार हुआ, उनमें अदानी समूह के माध्यम से बिना टेण्डर लगभग 750 करोड़ रूपयों की बिजली ख़रीदी गई.

इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्य सचिव तथा वर्तमान में राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष राकेश साहनी पर विपक्ष ने गंभीर आक्षेप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग कई बार उठाई है. विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती जमुना देवी और विधायक राकेश सिंह ने बिजली विभाग में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा का तो यहां तक कहना है कि पिछले चार वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने 22 हज़ार करोड़ रूपयों की बिजली ख़रीदने और पॉवर बैंकिंग के नाम पर बेचने का कारोबार किया है और इस गोरखधंधे में अदानी कंपनी समूह तथा दूसरे तीन-चार दलालों ने तीन हज़ार करोड़ रूपयों की कमीशन से कमाई की है.

अब मध्य प्रदेश सरकार ने अदानी समूह से कोयला ख़रीदने का सौदा करके बदनामी का एक और मामला खोल दिया है. इस बीच कोयले में मिलावट और घोटाले की आशंका को लेकर श्रीमती जमुना देवी ने समूचे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली है. गुजरात के जिस अदानी समूह के मार्फ़त राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में बिना निविदाओं के बढ़ी दरों पर साढ़े सात सौ करोड़ रूपए की बिजली ख़रीदी थी तथा शिवराज सरकार और तत्कालीन मुख्य सचिव राकेश साहनी संदेहों के घेरे में आ गए और मामला लोकायुक्त तक गया उसी से अब कोयला ख़रीदने की तैयारी की जा रही है. उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश विद्युतमंडल के अध्यक्ष राकेश साहनी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ख़रीदी गई महंगी बिजली पर विपक्षी दल कांग्रेस ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया था. इन आरोपों से लगी राजनीतिक आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि इस बीच सरकार ने विदेशी कोयले की ख़रीद के लिए फिर से अदानी समूह को आदेश जारी करने की तैयारी कर ली है, हालांकि सरकार कह रही है कि वैश्विक निविदा बुलाए जाने पर कोयले की सबसे कम दरें अडानी समूह की हैं. इसी आधार पर उससे कोयला ख़रीदने की तैयारी की जा रही है. अडानी समूह ने राज्य सरकार को 4850 रूपए प्रति टन की दर से डेढ़ लाख मैट्रिक टन कोयला देने की सहमति दी है. इसके लिए राज्य सरकार की गारंटी पर मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी, सिंडीकेट बैंक से साढ़े नौ प्रतिशत ब्याज दर पर क़र्ज़ लेने जा रही है.

इस बीच सूत्रों का कहना है कि अदानी समूह द्वारा निविदा में दी गई दरें भारतीय कोयला आपूर्ति कंपनियों एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल की दरों से लगभग दो गुना ज़्यादा है.

शिवराज सिंह चौहान

सरकार के पास पैसे नहीं

एक ओर तो सरकार अदानी कंपनी समूह से आयातित कोयला ख़रीदने का फ़ैसला कर चुकी है और इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं, तो दूसरी ओर सरकारी बिजली कंपनी पॉवर जनरेटिंग कंपनी ने सतपुड़ा ताप बिजली घर सारणी के लिए जब विदेश से कोयला आयात करने के लिए सरकार से जनवरी माह में पैसे मांगे, तो ख़ज़ाना खाली होने का बहाना बनाकर सरकार ने इस कंपनी को पैसा देने से साफ़ इंकार कर दिया.

बताया जाता है कि कंपनी ने सरकार से 72 करोड़ रुपयों की मांग की थी. सरकार ने जब पैसे देने से मना कर दिया, तो कंपनी ने जबलपुर के सिंडिकेट बैंक से साढ़े नौ प्रतिशत ब्याज दर पर 72 करोड़ रुपए ऋण लेने के प्रयास किए. लेकिन बैंक ने साफ़ कर दिया कि यदि राज्य सरकार इस ऋण के लिए गारंटी देगी, तभी कंपनी को ऋण प्रदान किया जा सकेगा. बताते हैं कि सरकार ने गारंटी देना मान लिया है. इससे यह सवाल उठता है कि अगर सरकारी कंपनी द्वारा कोयला ख़रीदी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार अदानी कंपनी समूह से अरबों रूपयों का कोयला कहां से ख़रीदेगी या फिर यह भी कि सरकार को अदानी कंपनी को उपकृत करना है, इसीलिए उसने अपनी बिजली कंपनी को कोयला कंपनी के लिए पैसे देने में असमर्थता जताई है.

टैक्स चोरी में पकड़े गए

गुजरात की अदानी समूह के प्रमुख कर्ताधर्ता राजेश अदानी पिछले दिनों केंद्रीय सरकार के सेंट्रल एक्साइज एवं आयात शुल्क विभाग द्वारा करोड़ों रूपयों की कर चोरी के मामले में गोवा में गिरफ़्तार किए जा चुके हैं. इसकी जानकारी राज्य सरकार को भी है, लेकिन फिर भी इस कंपनी से कोयला आयात करने का क़रार मध्य प्रदेश सरकार ने किया है.

राजेश अदानी

मध्य प्रदेश में कई कोयला खदानें हैं और इन खदानों का कोयला देश भर में भेजा जाता है. कोयले के इस कारोबार में खदान से लेकर कोल डिपो और परिवहन प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में कोयला चोरी होता है और अच्छी गुणवत्ता के कोयले को चुराकर वजन पूरा करने के लिए कोयले के ढेर में पत्थर और कचरा मिलाया जाता है. यही पत्थर और कचरायुक्त कोयला बिजली संयंत्रों को भेजा जाता है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बिजली उत्पादन कंपनियों के आला अफसर कई बार शिकायत कर चुके हैं कि राज्य के बिजली संयंत्रों को मिलने वाले कोयले में बड़ी मात्रा में पत्थर और कचरा होता है, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित होता है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि कोयला कंपनियां तो अच्छा कोयला ही भेजती हैं. बीच में कोयला परिवहन करने वाले और भंडारण करने वाले कोयला चोरी करते हैं और उसमें पत्थर कचरा मिलाकर वजन पूरा कर देते हैं. इस गोरखधंधे में कोयला कंपनियों और बिजली संयंत्रों के ज़मीनी अधिकारियों की मिली भगत से इंकार नहीं किया जा सकता है. कोयला चोरी करोड़ों रुपयों का लाभदायक धंधा है और इस कमाई का बंटवारा ऊपर से नीचे तक होता है. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में तो कोयला चोरी का बड़ा मामला संसदीय जांच समिति ने पकड़ा भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी किसी का ध्यान नहीं गया है. यह चोरी का कोयला उद्योगों, कल कारखानों और कोयला आपूर्ति करने वाली व्यापारिक कंपनियों के भंडार में ही जाता है. विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता जमुना देवी ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मिलावटी और पत्थरयुक्त कोयले की आपूर्ति के पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है. उन्होंने कहा है कि कोयला परिवहन ठेकेदारों, अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत के बिना यह काम नहीं हो सकता है. उन्होंने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है.

जमुना देवी

राघोव जी

राकेश साहनी

कोयला आयात पर आशंकाएं

मुख्यमंत्री और बिजली संयंत्रों के आला प्रबंधकों ने मिलावटी कोयले की बार-बार शिकायत करके बिजली संयंत्रों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले के आयात के समर्थन में माहौल तैयार किया और केंद्र सरकार से आयात की अनुमति भी ले ली है. लेकिन इस बारे में कांग्रेस नेताओं को पूरी आशंका है कि कोयला आयात का धंधा भ्रष्टाचार से प्रेरित है. कांग्रेस के प्रवक्ता अरविंद मालवीय के मुताबिक़ राज्य सरकार अदानी समूह के माध्यम से कोयला आयात कर रही है, वह अपने लाभ के लिए बिजली संयंत्रों को घटिया विदेशी कोयला ही बेचेगी. मालवीय ने बताया कि देशी कोयले में नमी का प्रतिशत 12 तक रहता है, जबकि आयातित कोयले में नमी का प्रतिशत 14 तक रहता है.

अरविन्द मालवीय ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राकेश साहनी को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का अध्यक्ष बनाने पर भी आपत्ति की है और आरोप लगाया है कि पिछले वर्षों में बिजली विभाग में हुए भ्रष्टाचार के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी विद्युत मंडल के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने के पीछे मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है, यह मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए. भाजपा के कुछ नेताओं ने भी राकेश साहनी की इस तरह की नियुक्ति पर एतराज जताया है लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है.

एक यह भी आशंका जताई जा रही है कि देश में बड़ी मात्रा में हो रही कोयला चोरी को ठिकाने लगाने के लिए कुछ कंपनियां, बिजली संयंत्रों को कोयला बेचने के लिए लालायित हैं और हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार का आयातित कोयला ख़रीदने का फ़ैसला भी इन कंपनियों के दबाव का ही नतीजा हो.

feedback@chauthiduniya.com

सार-संक्षेप

बुदनी में वनवासियों पर अत्याचार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्वाचन क्षेत्र बुदनी के वनग्राम खटपुरा के 200 वनवासी परिवारों को एक भाजपा नेता के इशारे पर वन विभाग के अफसर प्रताड़ित कर रहे हैं. 25 वर्षों से वनभूमि पर रहने वाले वनवासियों का आरोप है कि उन्हें खेती के लिए पट्टे देना तो दूर, वन अधिकारी उनकी फ़सल चौपट कर उनके ख़िलाफ़ झूठे मुक़दमे दर्ज करा रहे हैं. पीड़ित आदिवासियों ने राजधानी पहुंच कर पत्रकारों को अपनी व्यथा सुनाई. मध्य प्रदेश आदिवासी संघर्ष मोर्चा के संयोजक नाहर सिंह अमलियार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2005 तक के क़ब्ज़ाधारियों को वनभूमि के पट्टे देने का आदेश जारी करने के बावजूद राज्य सरकार उन्हें पट्टे नहीं दे रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला. अमलियार ने कहा कि निरीह आदिवासियों को सीहोर ज़िला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष के दबाव में प्रताड़ित कर रहे हैं. 24 दिसंबर 2009 की एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वन अधिकारियों द्वारा उनके झोपड़े तोड़कर फ़सलों को नष्ट किया जा रहा है. विरोध करने पर नौ आदिवासियों को काले हिरण के शिकार के आरोप में फंसा दिया गया. 60 दिनों तक उक्त आदिवासी जेल में रहे.

सात गांव शासन के रिकॉर्ड से ग़ायब

जबलपुर ज़िले के सात गांव ज़मीन पर तो हैं और इन गांवों में सैकड़ों लोग भी रहते हैं, लेकिन सरकार के राजस्व नक़्शों में इन गांवों का कहीं कोई अता-पता नहीं है. जबलपुर ज़िले में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के कारण डूब क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को यहां से हटाकर अन्यत्र बसाया गया. इन्हीं विस्थापितों के बसने से बरगी के पास मगरधा, कठौतिया, बढ़ैया खेड़ा, भिड़की, खाम खेड़ा, बिजौरा और खमरिया गांव बने, लेकिन जबलपुर ज़िले के राजस्व रिकॉर्ड में इन गांवों की भूमि को आज तक शामिल नहीं किया गया है. इन गांवों के निवासी इस बारे में ज़िला कलेक्टर से कई बार मिल चुके हैं और उन्हें विधिवत आवेदनपत्र भी दे चुके हैं. 2009 में कलेक्टर ने इन गांवों का दौरा कर स्थिति का जायज़ा भी लिया था, लेकिन फिर भी राजस्व विभाग ने इन गांवों की भूमि को रिकॉर्ड में अभी तक शामिल नहीं किया. राज्य सरकार ने इन सातों गांवों को मान्यता दी है और यहां पंच-सरपंचों के चुनाव भी होते हैं. मगरधा पंचायत में शामिल उक्त सातों गांव आज भी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं हैं. इसी कारण ग्रामीण विकास और जनता के कल्याण के कार्यक्रम इन गांवों में लागू नहीं होते. राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना में भी इन गांवों को शामिल नहीं किया गया है. इसी कारण ग्रामीणों को रोज़गार और शासन की ग़रीब हितकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है.

वनभूमि पर अवैध क़ब्ज़ा

भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) ने लगभग 600 एकड़ सरकारी वनभूमि पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा कर रखा है. यह तथ्य छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया है. बाल्को वेदांता समूह की कंपनी है और इसे 1971 में शासन ने 937 एकड़ भूमि आवंटित की थी. बाद में कारखाने को भूमि की और ज़रूरत पड़ी, तब कलेक्टर ने उसे फिर अतिरिक्त भूमि आवंटित की. इस प्रकार बाल्को के पास कुल 1173 एकड़ भूमि थी, लेकिन शासन की बिना अनुमति कारखाना प्रबंधन ने 600 एकड़ भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा कर लिया. यह भूमि ज़्यादातर वनभूमि है. सरकारी अभिलेखों में यह वन भूमि खाली और सरकार के क़ब्ज़े वाली बताई गई है, लेकिन वास्तव में इस भूमि पर बाल्को का क़ब्ज़ा है. बताया जाता है कि अवैध क़ब्ज़े की जानकारी मिलने पर 2008 में वन विभाग ने बाल्को को क़ब्ज़ा हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन इस पर प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया. तब शासन भी गहरी नींद सो गया. एक बार फिर अवैध क़ब्ज़े का मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार क़ब्ज़ा हटाने के लिए बाल्को प्रबंधन पर कठोर दबाव बनाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही है. एक ओर तो सरकार वनवासियों को भू-अधिकार देने में भूमि की कमी का रोना रो रही है, दूसरी ओर वन भूमि पर बड़े उद्योगपतियों के अवैध क़ब्ज़े को लेकर उसे कोई चिंता नहीं है.

66 बालिकाएं और 70 बालक लापता

राजधानी भोपाल की 66 बालिकाएं और 70 बालक पिछले एक साल से लापता हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला. इनकी आयु आठ से पंद्रह वर्ष के बीच है. जानकारी के अनुसार, पिछले एक वर्ष में राजधानी से कुल 368 बालिकाओं के लापता होने की सूचनाएं पुलिस थानों में दर्ज की गई थीं. 302 बालिकाओं का पता चल गया, जिनमें से दो की लाश मिली है, लेकिन 66 बालिकाओं का अभी तक कोई पता नहीं चला है. बालिकाओं के मामले में केवल 17 मुक़दमे दर्ज किए गए. इसी तरह गत एक वर्ष में भोपाल से 334 बालक लापता हुए, लेकिन इनमें से 71 का अभी तक कोई पता नहीं चला है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदर्श कटियार का कहना है कि बालिकाओं के ग़ायब होने के मामले में किसी गिरोह की सक्रियता का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन पुलिस खोजबीन कर रही है. भोपाल में पिछले वर्ष पुलिस ने बालिकाओं का अपहरण कर उन्हें मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ा था. पूछताछ में कई क्षेत्रों से लापता हुई छह बालिकाओं को मुंबई, ग्वालियर एवं पुणे आदि शहरों में भेजने की बात पता चली थी. गिरोह में चार महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन अदालत में पुलिस पर्याप्त प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, इसलिए गिरोह के सभी सदस्य बरी हो गए.

जनपद पंचायत अध्यक्ष गिरफ़्तार

छतरपुर पुलिस ने जनपद पंचायत बक्सवाह की अध्यक्ष मीना राजे को डकैतों को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ़्तार किया है. मीना राजे पर आरोप था कि फरार डकैत रज्जू राजा सहित कई अपराधियों को उनका संरक्षण हासिल है. पुलिस महानिरीक्षक आर एस मीणा ने बताया कि मीना राजे के ख़िलाफ़ वन्यप्राणी संरक्षण क़ानून के तहत भी मामले दर्ज हैं. उनके घर से पुलिस ने चीतल के सींग, खाल, जीवित हिरण, 315 बोर का एक अवैध कट्टा और सिक्स राउंड रिवाल्वर भी बरामद किया. मीना राजे के साथ उनके पति हरबल सिंह को भी डकैतों को संरक्षण देने और वन्य प्राणी संरक्षण कानून के उल्लंघन का आरोपी बनाया गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अनाज के लिए तरसते आदिवासी

मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के कोरकू आदिवासी बहुल खालवा विकासखंड में आदिवासी अनाज के लिए तरस रहे हैं. पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के समय यह क्षेत्र भुखमरी से पीड़ित आदिवासियों की व्यथा-गाथा के कारण चर्चा में आया था. लगभग दो माह की अवधि में खालवा में 50 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार होकर असमय काल के गाल में समा गए. लगभग 60 स्त्री-पुरुषों की जीवनलीला पर्याप्त भोजन न मिलने और मौसमी बीमारियों से पीड़ित होने के कारण असमय समाप्त हो गई. चुनाव के समय कांग्रेस ने खालवा में कुपोषण और भुखमरी को लेकर बहुत शोर मचाया, तब सरकार ने इस इलाक़े में सस्ते राशन के वितरण एवं ग़रीबों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की थी. लेकिन, आज भी स्थिति अच्छी नहीं है.

खालवा में गंभीर रूप से खाद्य संकट क्यों आया? इस पर सरकार ने कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा. दस वर्ष पहले तक यह हरा-भरा वनक्षेत्र था. यहां आम, जामुन, जाम (बिही), तेंदू, सीताफल और अनेक फलदार वृक्षों से ग़रीब आदिवासियों को साल भर मौसमी फल मुफ्त में खाने के लिए सुलभ रहते थे. उक्त फल उच्चस्तरीय पौष्टिक आहार भी हैं. इनके अलावा वनों से कोरकू आदिवासी गोंद, शहद एवं कंदमूल फल आदि लाकर अपना और अपने परिवार का पेट भर लेते थे. उक्त भोज्य पदार्थ भी उनके शरीर को निरोगी एवं पुष्ट बनाने में सहायक और उपयोगी होते थे. इसके अलावा आदिवासी और वनवासी अपने उदर पोषण के लिए ज्वार, मक्का, कोदों, कुटकी जैसे मोटे एवं सस्ते अनाजों की फ़सल पैदा कर लेते थे, लेकिन सरकार की अजीबोग़रीब कृषि नीति के कारण आदिवासी कमाई के लालच में कपास, सोयाबीन आदि नगदी फ़सलों की पैदावार करने लगे और उन्होंने मोटे अनाजों की खेती करना बंद कर दिया. लेकिन, अब तो नगदी फ़सलों की खेती भी कम हो रही हैं, क्योंकि उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की बढ़ती क़ीमतों के कारण आदिवासी इन्हें ख़रीद नहीं पा रहे हैं. फिर भी पैसे के लालच में आदिवासी किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आज भी नगदी फ़सलों पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. इस कारण अनाज के मामले में अब तक आत्मनिर्भर रहे आदिवासी अब सरकारी और मुफ्त के राशन पर आश्रित हो गए हैं.

सरकारी राशन वितरण की दोषपूर्ण एवं भ्रष्ट व्यवस्था के चलते खालवा के ग़रीब आदिवासी किसान और मज़दूर अब घरेलू खाद्य असुरक्षा के शिकार हो रहे हैं. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग रेत-कंकड़ मिले मोटे चावल के टुकड़े खाने को मजबूर हो गए हैं. ऐसा क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण कम किए जाने के कारण हुआ है. ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निर्धारित प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलो राशन का कोटा घटाकर 21 किलो कर दिया गया है. यानी बीपीएल हितग्राहियों को निर्धारित कोटे का मात्र 65 प्रतिशत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.

स्पंदन समाज सेवा समिति ने हाल में खालवा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया. डाफिया गांव में स्थित राशन की दुकान का अध्ययन करने पर पता चला कि इसके तहत तीन गांवों के 279 बीपीएल कार्डधारकों का निर्धारित कोटा क़रीब 78 क्विंटल है, जबकि पिछले छह माह से मात्र 28 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन हो रहा है, जो 35 प्रतिशत आवंटन गिरावट को दर्शाता है. एक औसत परिवार में 35 किलो खाद्यान्न क़रीब 15 दिन की खाद्य सुरक्षा प्रदान करता था, परंतु वर्तमान में यह घटकर मात्र एक हफ्ते तक ही पर्याप्त होता है. वर्तमान में बाज़ार में गेहूं की दर 13 से 14 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो आदिवासियों की ख़रीद क्षमता से बाहर है. विकल्प के रूप में ज्वार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. इस कारण रेत-कंकड़ मिले मोटे चावल के टुकड़े जो 4-5 रुपये प्रति किलो मिलते थे, अब 9-10 रुपये प्रति किलो तक बिकने लगे हैं. साप्ताहिक ग्रामीण बाज़ारों में इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए यह प्रति किलो 50 प्रतिशत अधिक आर्थिक बोझ डालने वाली बात है. क्षेत्र के किसान-मज़दूर अगले तीन-चार माह तक इस स्थिति के बने रहने या बदतर होने की आशंका जताते हैं. वे कहते हैं कि गेहूं की कटाई तक यह हालत बनी रहेगी.

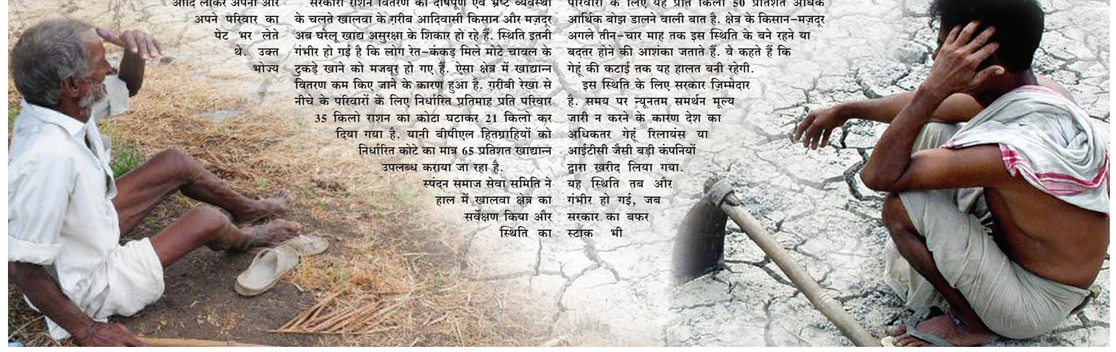

इस स्थिति के लिए सरकार ज़िम्मेदार है. समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी न करने के कारण देश का अधिकतर गेहूं रिलायंस या आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा ख़रीद लिया गया. यह स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब सरकार का बफर स्टाक भी कम हो गया. मजबूरी में सरकार को आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करना पड़ा, जो अब राशन की दुकानों से वितरित किया जा रहा है. स्थानीय लोग इसे लाल गेहूं के नाम से पुकारते हैं. लोगों के अनुसार, इसका स्वाद अजीब है और यह पेट ख़राब करता है. वे उस समय को याद करते हैं, जब अमेरिका से गेहूं आया था और गाजर-घास छोड़ गया. पता नहीं, आस्ट्रेलिया का गेहूं क्या गुल खिलाएगा. गरीबी और क़र्ज़ से त्रस्त कई किसानों ने इसे खेतों में बो दिया है. जहां तक खालवा का प्रश्न है, प्रशासन को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए. यह पांचवी अनुसूची का अधिसूचित क्षेत्र है और कुपोषण एवं भुखमरी के लिए अत्यंत संवेदनशील है. पिछले 2-3 वर्षों से यह क्षेत्र कुपोषण से मौतों के लिए सुर्ख़ियों में रहा है. यहां सभी मानव विकास सूचकांक न्यूनतम हैं और अस्थाई पलायन काफ़ी व्यापक है. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को तत्काल राहत के लिए कदम उठाते हुए यहां के बीपीएल परिवारों को पूरा खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए. यह कहकर कन्नी काट लेना कि आगे से ही खाद्यान्न कम आ रहा है, ग़रीबों की उपेक्षा होगी.

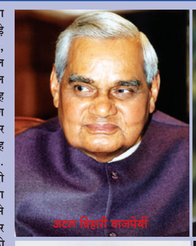

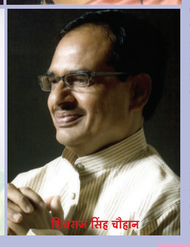

feedback@chauthiduniya.com

सीहोर : घर की सुध तो ले लो भैया!

राजधानी भोपाल का पड़ोसी ज़िला सीहोर मध्य प्रदेश के अति पिछड़े और ग़रीब ज़िलों में शुमार है, लेकिन इसे गर्व है कि इसने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा एवं वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना जनप्रतिनिधि चुनकर देश और प्रदेश का भाग्य विधाता बनाया. जापर विपदा परत है, सो आवत यही देश, यह कहावत सीहोर के बारे में खरी उतरती है. चुनाव जीतने के लिए चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों या आज विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज या फिर अपने ज़िले में चुनाव हारने के कारण पराजय की आशंका से त्रस्त सुंदर लाल पटवा हों, सीहोर ज़िले ने सभी को आश्रय दिया, सहारा दिया और ऊंचा उठाया, लेकिन यह ज़िला आज भी ग़रीबी, पिछड़ापन और विपदाएं झेल रहा है.

शिवराज सिंह चौहान सीहोर ज़िले की बुदनी तहसील के ग्राम जैत में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे, पले-बढ़े और शिक्षित हुए. आगे चलकर उन्होंने गांव वालों की समस्याओं को लेकर ईमानदारी से संघर्ष किया और जनता ने उन्हें नेता बनाया. आज चौहान बुधनी क्षेत्र की जनता के बल पर ही राजनीति के शिखर पर हैं और सीहोर-विदिशा ज़िलों में ठोस जनाधार के कारण उनकी भाजपा के नेताओं में पूछ-परख बनी हुई है. आज भाजपा के पास नेतृत्व का संकट है. सुषमा स्वराज ऐसी नेता हैं, जिनकी कोई ज़मीन नहीं. वह चुनाव जीतने के लिए हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक सब जगह जा चुकी हैं. इस बार वह विदिशा से लड़ीं और जीतीं. इसलिए सुषमा स्वराज भी शिवराज सिंह के सहारे लोकसभा में विपक्ष की नेता की कुर्सी पर विराजमान हुई हैं. शिवराज भाजपा में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता हैं और मध्य प्रदेश में तो उनका कोई मुक़ाबला ही नहीं हैं, लेकिन इतनी ताक़त और व्यापक जन समर्थन होते हुए भी शिवराज सिंह बड़े कमज़ोर और असफल मुख्यमंत्री साबित हुए. इसका प्रमाण है सीहोर ज़िला.

अटल बिहारी वाजपेयी

सुषमा स्वराज

सुंदरलाल पटवा

शिवराज सिंह चौहान

प्रति व्यक्ति वार्षिक आय प्रचलित भाव से रुपये में

क्र.	वर्ष	मध्य प्रदेश प्रतिव्यक्ति आय	सीहोर जिला प्रतिव्यक्ति आय
1.	1999-2000	12384	11056
2.	2002-03	12697	11480
3.	2003-04	14306	14052
4.	2004-05	14471	12642
5.	2005-06	15466	13851
6.	2006-07	16875	14586
7.	2007-08	18051	14703

ग़रीबी की मार

किसी व्यक्ति या क्षेत्र की संपन्नता का मापदंड उसकी आर्थिक स्थिति से लगाया जाता है. मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय और प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद को संपन्नता का मापदंड माना है. इस हिसाब से सीहोर मध्य प्रदेश के उन कुछ ज़िलों में शामिल है, जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय राज्य की औसत आय से नीचे है. मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भाव पर) वर्ष 2003-04 में 14306 रुपये थी, लेकिन सीहोर में यह आय 14052 रुपये ही थी. यहां बता देना ज़रूरी है कि 1999-2000 में राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय 12384 रुपये थी तो सीहोर ज़िले में यह आय 11056 रुपये थी. कांग्रेस शासन में 2000 से 2003 के बीच सीहोर में संपन्नता आई और आय 11056 से बढ़कर 14052 रुपये हो गई, लेकिन जब राज्य में दिसंबर 2003 से भाजपा की सरकार बनी और लगभग डेढ़ वर्ष बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तबसे सीहोर विकास और संपन्नता के मामले में तेज़ी से पिछड़ रहा है. 2003-04 में जब सीहोर प्रति व्यक्ति आय के मान में राज्य के औसत की बराबरी की ओर बढ़ रहा था, तभी भाजपा सत्ता में आई. लेकिन, भाजपा के सत्ता में आते ही यह जिला प्रदेश की तुलना में तेज़ी से पिछड़ने लगा. (देखें बॉक्स)

खेती की दुर्दशा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गांव वालों द्वारा भैया और किसान पुत्र के संबोधन से खुश होते हैं, लेकिन किसानों और गांव के लिए उन्होंने कितना क्या किया है, इसका सबूत सीहोर ज़िले की दुर्दशा बखान करते आंकड़े देते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

कृषि फ़सल क्षेत्रफल (हज़ार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल का नाम	वर्ष 2003-04	2005-06	2007-08	2008-09
1.	मक्का	15867	15362	14597	15000
2.	सोयाबीन	255302	269817	284541	308700
3.	कपास	176	183	95	105
4.	गन्ना	2640	2271	2510	1100
5.	चना	85766	81076	112834	102700
6.	गेहूं	157151	145315	165365	81500
7.	ज्वार	5096	3648	2853	2800

गुजरात के लिए शराब तस्करी

मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन वहां के सभी शहरों में अवैध रूप से शराब का कारोबार धड़ल्ले से होता है. वजह, मध्य प्रदेश से तस्करी के ज़रिए रोज़ बड़ी मात्रा में शराब गुजरात भेजी जाती है.

तस्करी के इस कारोबार में शराब कारखाने से लेकर सरकारी एवं ग़ैर सरकारी शराब ठेकेदार, पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारी शामिल हैं. गुजरात की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले के पिटोल कस्बे से रोज़ ही अवैध रूप से शराब गुजरात भेजी जाती है. कभी-कभी पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा दिखाने के लिए छापामारी करके कुछ मात्रा में शराब पकड़ ली जाती है. जानकारों का कहना है कि छापे की कार्रवाई भी तस्करों के सहयोग से ही अंजाम दी जाती है.

गत 9 मार्च को रात्रि लगभग 12 बजे पुलिस ने पिटोल कस्बे में सरकारी शराब की दुकान के पास स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर अवैध रूप से रखी गई 2438 पेटी शराब बरामद की, जिसका मूल्य लगभग 50 लाख रुपये बताया जाता है. गुजरात में इस शराब का मूल्य बढ़कर एक से सवा करोड़ रुपये हो जाता है. इसमें अधिकांश शराब हाई रेंज की है. छापे में 960 पेटी रॉयल स्टार व्हिस्की, 356 पेटी ब्लू चीफ क्वार्टर, 780 पेटी पॉवर स्ट्रांग-5000 बीयर, 60 पेटी एरिस्टोक्रेट प्रीमियम, 50 पेटी एरिस्टोक्रेट व्हिस्की, 90 पेटी एसी ओल्ड रिजर्व एवं दो पेटी बोदका बरामद हुई. पुलिस ने मौक़े से उमाकांत जायसवाल एवं सुखदेव चौहान को गिरफ़्तार किया.

> अवैध गतिविधियों के लिए कुख्यात हो चुके पिटोल में एक बार फिर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की लाइसेंसी दुकान से सटे एक कथित गोडाउन से 2438 पेटी शराब बरामद की है.

झाबुआ और गुजरात

मध्य प्रदेश का झाबुआ ज़िला मूलत: आदिवासी बहुल क्षेत्र है. राज्य की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय जहां 21 हज़ार रुपये है, वहीं झाबुआ ज़िले में यह आय 11621 रुपये है. यानी यह ज़िला राज्य का अति ग़रीब क्षेत्र है. राज्य की कुल आबकारी आय 1536 करोड़ रुपये की तुलना में झाबुआ ज़िले में आबकारी आय लगभग 75 करोड़ रुपये बताई जाती है, जो राज्य के किसी भी संपन्न ज़िले की आबकारी आय से कहीं ज़्यादा है.

इससे स्पष्ट है कि सरकारी ठेकों और दुकानों को वैध रूप से आपूर्ति की जाने वाली शराब की एक बड़ी मात्रा तस्करी द्वारा गुजरात भेज दी जाती है. तस्करी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-59 का उपयोग किया जाता है. रात में दो बजे से सुबह छह बजे तक ट्रकों, ट्रालियों और अन्य वाहनों के ज़रिए शराब गुजरात पहुंचाई जाती है. इसके लिए झाबुआ ज़िले के सीमावर्ती कस्बों और गांवों में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से शराब का भंडारण किया जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 29 मार्च–4 अप्रैल 2010

तंग कमरों में बंद होने के कारण इन पक्षियों को न तो सही पोषण मिलता है और न ही उचित देखरेख. यही कारण है कि मोरों की ख़ूबसूरत प्रजाति भी ख़तरे में पड़ गई है.

प्रशासन की सुध और इलाज की राह देखते ग्रामीण

कछारी गांव जहां हर शख्स बहरा है

असगर क़ुरैशी

कहते हैं कि भारत चमत्कारों का देश है. यहां ऐसे-ऐसे आश्चर्यजनक, अजब-ग़जब और अद्भुत समाचार मिल जाते हैं, जो और कहीं नही मिलते. पर कभी-कभी कुछ समाचार ऐसे होते हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं. कछारी गांव इसका जीगता-जागता उदाहरण है. आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सामाजिक परिवेश में प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर कई गोष्ठियां आपने सुनी होंगी, परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में एक गांव ऐसा भी है, जहां केवल बधिर व्यक्ति ही निवास करते हैं. इस गांव का कोई भी व्यक्ति सामान्य स्तर तक सुन पाने के क़ाबिल नहीं है. यह कहानी मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले की है, जिसे अधिसूचित आदिवासी ज़िला कहा जाता है.

आदिवासी विकास के नाम पर राज्य एवं केंद्र की सरकारें भले ही लाख दावे पेश करें, मंडला ज़िले के कछारी गांव को उससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. कछारी के निवासियों का दोष केवल इतना है कि उन्होंने एक आदिवासी ज़िले में जन्म लिया, जिसके विकास के लिए अरबों रुपये ख़र्च किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ काग़ज़ों पर! वास्तविकता कुछ और होती है. आदिवासी कल्याण की योजनाएं आज भी राज्य में आम व्यक्ति के हित को पूरा कर पाने में कुछ प्रतिशत ही मददगार हो पाती हैं. सरकार सदा की तरह उदासीन रहती है और कछारी के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बहरेपन के संताप को झेलते रहते हैं. मंडला जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कछारी ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 500 है. इस गांव में रहने वाले 400 लोग एक रहस्यमय बीमारी के शिकार हैं. एक उम्र तक पहुंचने के बाद उनमें सुनने की क्षमता क्रमश: घटने लगती है. गांव के लोग किसी की बात को पूरी तरह सुन नहीं पाते. नतीजतन वे अधिकतर मूक रहना ही पसंद करते हैं. गांव की लड़कियों की शादी इसी कारण से नहीं हो पाती है, क्योंकि समाज उन्हें बहरा मानता है. मजबूरन गांव में ही परिवारों के मध्य शादी-विवाह के रिश्ते बनते हैं.

गांव के 60 वर्षीय बुजुर्ग राजाराम जो इस बीमारी के शिकार नहीं हैं, के अनुसार यह बीमारी इस गांव में सालों से चली आ रही है. यह बीमारी पैदा होने के साथ नहीं, बल्कि 10-15 वर्ष की उम्र में बच्चों पर प्रभाव डालती है. इस बारे में जांच करने कई बार डॉक्टरों की टीम इस क्षेत्र में आई, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला. गांव के पटवारी के अनुसार, न सुन पाने के कारण गांव का भूमि संबंधी रिकॉर्ड भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाता. यह गांव आसपास के क्षेत्रों में बहरा गांव के नाम से चर्चित है. ज़िला चिकित्सालय के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस गांव के बारे में हमें जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली हैं. हम नाक, कान, गले के डॉक्टरों को भेजकर उचित इलाज की व्यवस्था करेंगे. उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग के के श्रीवास्तव ने भी इन तथ्यों की जानकारी मिलने पर गांव में श्रवणयंत्र बांटने का आश्वासन दिया है. आदिवासी क्षेत्र में इस रहस्यमय बीमारी पर शोध आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई.

feedback@chauthiduniya.com

अप्रवासी मज़दूर बदहाली के शिकार

अरविंद वर्मा

असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे सैकड़ों अप्रवासी मज़दूरों की जान-माल की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है. कटनी ज़िले में विभिन्न उद्योगों से जुड़े देश भर के हज़ारों मज़दूर केवल नियोक्ता के रहमोंकरम पर आश्रित हैं. ज़िला प्रशासन या किसी अन्य संस्था द्वारा इन मज़दूरों को सुरक्षा या संरक्षण देने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गई है. कटनी क्षेत्र में खनिज संपदा की बहुलता के कारण देश भर के खनिज व्यवसायी अप्रवासी श्रमिकों के माध्यम से यहां उत्खनन की गतिविधियों का संचालन करते हैं. इनमें से लगभग 35 से 40 प्रतिशत खदानें अवैध रूप से संचालित की जाती हैं, जिनके बारे में ज़िला प्रशासन को पूरी जानकारी है, पर वह कोई कार्यवाही कर पाने में सक्षम नहीं है. उत्खनन कार्य से जुड़े हज़ारों अप्रवासी मज़दूरों की जान-माल की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है. विगत दिनों बिलेहरी के समीप सीमेंट से लदा ट्रक पलटने से आंध्र प्रदेश से आए हुए मज़दूरों पर क़हर टूटा था. आधा दर्ज़न से अधिक महिला और पुरुष मज़दूर इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों द्वारा पुलिस को सूचना न देना और घायलों को शासकीय चिकित्सालय के स्थान पर निजी माध्यमों से इलाज उपलब्ध कराना शंका का कारण बनता है. कटनी ज़िले में विभिन्न व्यवसायों से संबद्ध अप्रवासी मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनके लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाएं ज़रूरत के लिहाज़ से अपर्याप्त हैं. अपने घर से दूर उक्त मज़दूर नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं. राज्य का श्रम विभाग भी इस दिशा में कोई प्रयास कर पाने में नाकाम रहा है. हजारों मजदूरों के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है. शासन-प्रशासन भी शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

जीवाश्मों की अवैध तस्करी

मध्य प्रदेश के धार ज़िले में यत्र-तत्र उपलब्ध साढ़े छह करोड़ वर्ष पुराने जुरासिक काल के जीवाश्मों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है. धार ज़िले में डायनासोर जीव के अंडे और कंकाल कई बार मिल चुके हैं. इस वजह से देश-विदेश के पुराजीव वैज्ञानिकों और जीवाश्म शोधकर्ताओं की इस क्षेत्र में रुचि बढ़ी है. वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मानना है कि ज़िले से प्राचीन जीवों के जीवाश्म चोरी-छिपे बाहर ले जाए जा रहे हैं, लेकिन विभाग सीमित संसाधनों के कारण इस चोरी को रोकने में नाकाम रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासियों, विशेषकर ग्रामीणों को जीवाश्मों की न तो पहचान है और न ही वे इनके महत्व को समझते हैं. लेकिन, जो लोग जीवाश्मों का महत्व समझते हैं, वे स्थानीय निवासियों, विशेषकर आदिवासियों को जीवाश्म संग्रह के काम में लगाते हैं और थोड़ा-बहुत पैसा देकर क़ीमती जीवाश्मों को अपने साथ ले जाते हैं. बताया जाता है कि इन जीवाश्मों की विदेशों में ऊंची क़ीमत मिलती है. धार ज़िले से डायनासोर के अंडे और उसके शरीर के विभिन्न अंगों की हड्डियां कई स्थानों से ग़ायब हैं. धार ज़िला वन विभाग ने राज्य सरकार को इन जीवाश्मों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी थी. बाद में मुख्य वन संरक्षक ने भी ऐसी ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजी थी. इसमें धार ज़िले के पांच वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले डायनासोर के जीवाश्मों को संरक्षण देने का सुझाव दिया गया है, लेकिन वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अब तक बैठक न होने के कारण इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्वीकृति नहीं मिली है. नियमानुसार मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन अभी बोर्ड का पूरी तरह गठन ही नहीं हुआ है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय पक्षी मोर संकट में

पिंजरे में क़ैद राष्ट्रीय पक्षी मोर.

प्रशासन के उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पक्षी मोर पर संकट मंडराने लगा है. मोर को क़ैद करके उसे शोभा की वस्तु बना लेने का चलन इन दिनों राज्य में गति पकड़ रहा है. वन विभाग कामला इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है. परिणाम यह है कि मोर इन दिनों संकट में हैं. बिलासपुर ज़िले के ग्राम मलहार के एक मंदिर परिसर में दो मोर वर्षों से एक बाड़े में बंद हैं और दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. इन्हें वही खिलाया जाता है, जो मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ता है. इन मोरों की देखरेख के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है. मंदिरों में आने वाले दर्शनार्थी मोरों के साथ खिलवाड़ भी करते हैं और अचानक ही कुछ खाने के लिए भी दे देते हैं. खाने के लिए दी जाने वाली सामग्री स्तरीय है या नहीं, इसकी जांच की चिंता किसी को नहीं है. वन विभाग ने इन मोरों की मुक्ति के लिए कभी कोई क़दम नहीं उठाया.

सत्य नारायण बाबा धाम, रायगढ़ पहाड़ मंदिर की पीछे रहने वाले एक शिक्षक और गोमरड़ा गांव में ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से राष्ट्रीय पक्षी को बंधक बनाने का प्रकरण सार्वजनिक चर्चा का विषय है, पर छत्तीसगढ़ शासन को इस संदर्भ में अब तक कोई जानकारी नहीं है. सत्य नारायण बाबा के मंदिर कोसमनारा की दूरी ज़िला मुख्यालय से दो किलोमीटर है. यहां पर तीन मोरनियों और एक मोर को छोटे से पिंजरे में बंद करके रखा गया है. प्रदेश के कई अधिकारी इस आश्रम में दुआएं मांगने के लिए आते हैं. मोरों को देखते भी हैं, पर उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाते. तंग कमरों में बंद होने के कारण पक्षियों की आयु पर भी फ़र्क़ पड़ता है. इन पक्षियों को पालतू बनाकर यदि बाद में जंगल में छोड़ा जाए तो उनकी जान जाने का ख़तरा 80 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, ऐसा पशु विशेषज्ञों का कहना है. छत्तीसगढ़ में 11 अभयारण्य हैं, जिनमें से चार में मोर का अस्तित्व अभी भी है. इसके अलावा अमरकंटक, राजस्थान, पेनरा और बालाघाट के जंगलों में भी मोर पाए जाते हैं.

छत्तीसगढ़ में मोरों की उपस्थिति अधिकांशत: आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में है. आदिवासी लोग प्रकृति से सीधा संपर्क होने के कारण मोरों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करते हैं. राज्य के वन्य प्राणी मुख्य वन संरक्षक आर के टामटा के अनुसार, मोरों को बंधक बनाकर रखना अपराध की श्रेणी में आता है. डीएफओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि मोरों को बंधक बनाए जाने की सूचना उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है. इस तरह के जीवों को रखने के लिए अभी तक कोई विशेष व्यवस्था नहीं है. अत: वैकल्पिक स्थान की खोज की जा रही है.

युगल किशोर तिवारी
feedback@chauthiduniya.com